लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० से १६५६ और १६५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १६६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३६–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–६०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२६१–६२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र ३५२१,३५२२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३५२१–२२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भूकम्प ३५२२–२३

विधेयक—पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० . ३५२३–२४

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . . ३५२४

औषधि (संशोधन) विधेयक . . . ३५२४–३०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५२४,३५२५–२९

खण्ड २ से ११ तथा १ . . . ३५२९–३०

पारित करने का प्रस्ताव . ३५३०

सभा का कार्य . . . ३५२४

सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक ३५३०–३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३०–३१

खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ . ३५३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३१

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ३५३२–५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३२–४९

खण्ड २ से १० तथा १ . . . . . ३५४९–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५५२–५३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक ३५५३–५६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५५३–५६

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३५५७–६३

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां,, . . ३५६३

दैनिक संक्षेपिका ३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

मंगलावर, ६ सितम्बर, १९६०

१५ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां स्थापित करना

+

*१०८७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और स्वामी श्रद्धानन्द की मूर्तियां स्थापित करने के लिये स्थान चुन लिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अन्य स्थानों पर जहां से विदेशियों की मूर्तियां हटाई जायेंगी, पंडित मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की मूर्तियां स्थापित करने का प्रश्न भी विचाराधीन है; और

(ग) क्या महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भी दिल्ली में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ग). सलाहकार समिति ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, स्वामी श्रद्धानन्द, लाल लाजपत राय तथा महारानी लक्ष्मी बाई की मूर्तियां को सुझावदाताओं द्वारा सुझाये गये स्थानों पर स्थापित करने की दृष्टि से विचार किया था । परन्तु

समिति का अभिमत है कि या तो सुझाए गये स्थान उपयुक्त नहीं थे, या आवश्यक धनराशि प्रत्यर्पित नहीं की गई थी।

सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना से सम्बन्धित विस्तरण सुझावदाताओं के साथ परामर्श द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) जिन स्थानों से विदेशियों की मूर्तियां हटाई जायेंगी, उन स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इस समिति को यह सुझाव दे कि जैसे भी हो, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लाल किले के सामने और स्वामी श्रद्धानन्द की प्रस्तर प्रतिमा दिल्ली के टाउन हाल के सामने, जहां पहले घंटाघर था, ही स्थापित की जाये, क्योंकि इन दोनों का उन स्थानों पर हुई एतिहासिक घटनाओं से सम्बन्ध है ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं इस सम्बन्ध में पहले भी उत्तर दे चुका हूं और शायद माननीय सदस्य के ही प्रश्नों का उत्तर दिया हो कि यह एडवाइज़री कमेटी वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री में है। उन्होंने इन बातों की अच्छी तरह से जांच की और देखा कि इन जगहों पर ये मूर्तियां, या कोई मूर्तियां, स्थापित नहीं हो सकतीं। इस के अलावा जहां तक मुझे कोई इत्तिला है, इस के बारे में जो कुछ खर्चा होगा, वह दिया जायगा, इस सम्बन्ध में किसी ने उन को इत्मिनान भी नहीं दिलाया है।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द :** मई में श्री टेगोर और श्री मोतीलाल नेहरू की जन्म-शताब्दी भी आ रही हैं। क्या उनकी मूर्तियों को भी दिल्ली में कहीं लगाने की प्रस्थापना है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मेरे विचार में यह प्रस्थापना है कि संसद्-भवन के पास ही कहीं पंडित मोतीलाल नेहरू की मूर्ति लगाई जाय।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द :** टैगोर की मूर्ति भी कहीं लगाई जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मुझे इसका पता नहीं है; परन्तु बताया गया है कि इस सम्बन्ध में भी प्रस्थापना विचाराधीन है।

†**श्री भक्त दर्शन :** माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बताया है कि विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटाने के बाद उन स्थानों पर किन की मूर्तियां स्थापित की जायें, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन को हटाने के बाद वे स्थान खाली रखे जायें या उन की पूर्ति अवश्य की जायेगी।

श्री गो० ब० पन्त : जहां कोई दूसरी चीज़ रखी जायगी, वह जगह तो खाली नहीं रहेगी और जहां कोई चीज़ नहीं रखी जायगी, वहां कोई मूर्ति नहीं होगी।

†**श्री रंगा :** क्या महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां लगाने की कोई प्रस्थापना नहीं है ?

†**श्री त्यागी :** नहीं।

†**श्री रंगा :** क्या गृह-कार्य मंत्रालय के लिए यह सम्भव नहीं कि इस दिशा में कुछ करे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त : इस प्रकार की कोई प्रस्थापना गृह-कार्य मंत्रालय के सामने आई ही नहीं और न ही उस पर विचार ही किया गया है ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सम्भव नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि गृह-कार्य मंत्रालय स्वयं ही इस कार्य को करने की बात क्यों नहीं उठाता ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह काम सीधे गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यों और कर्तव्यों के अन्तर्गत नहीं आता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** जैसा कि अभी गृह-कार्य मंत्री ने कहा है, क्या सरकार इन मूर्तियों को लगाने के लिये वैकल्पिक स्थानों की तलाश करेगी ?

†**श्री गो० ब० पंत :** यदि सुझाव निर्धारित फार्म तथा शर्तों के अनुसार प्राप्त होंगे और उस में वित्तीय पेशकश भी होगी तो परामर्श समिति इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार करेगी ।

†**श्री त्यागी :** देश में प्रचलित एक भ्रांति को हटाने के लिये मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? अभी गृह-कार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बात पर विचार हो रहा है कि श्री मोतीलाल नेहरू की मूर्ति संसद् भवन के पास ही कहीं लगाई जाय । क्या इस का खर्च किसी व्याक्ति विशेष ने दिया है अथवा यह कार्य सरकार के निर्णय के अनुसार होगा ?

†**एक माननीय सदस्य :** सुभाष चन्द्र बोस की मूर्त्ति क्यों नहीं लगाई जाती ?

†**श्री त्यागी :** जब महात्मा गांधी और सरदार पटेल की मूर्तियां लगाने में सरकार अर्थाभाव अनुभव कर रही है, तो मोतीलाल नेहरू जी की मूर्त्ति लगाने का निर्णय कैसे हो रहा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** सरकार इस पर कुछ खर्च नहीं कर रही है । इस मूर्त्ति के लगाने का व्यय मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा वहन किया जायेगा । वही इस समारोह को करने और इस के लिये धन संग्रह करने के कार्य को कर रही है ।

†**श्री त्यागी :** यदि अन्य स्मारक समितियां इस दिशा में अन्य मूर्तियां लगाने के लिये धन दें तो उन्हें भी लगाया जा सकता है, महात्मा गांधी की मूर्त्ति भी इस में शामिल है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मेरे विचार में महात्मा गांधी की मूर्त्ति के लिये तो कोई स्थान निर्धारित कर लिया गया होगा । यह मामला सीधे मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता । इस के लिये निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय की अनुमति लेनी होती है । मैं इस के लिये पूछताछ करूंगा । सरदार पटेल की मूर्त्ति के लिये भी कुछ लोगों ने धन देना स्वीकार कर लिया था ।

†**श्री त्यागी :** तो क्या उस मूर्त्ति को लगाया जा रहा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी हां ।

†**श्री त्यागी :** मैं यही जानना चाहता था, और यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह तो स्पष्ट ही है कि इस मूर्त्ति को विजय चौक में लगाया जायेगा । यह बहुत बड़ी मूर्त्ति होगी । यह बात मैं ने इस से पूर्व भी कही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में लगी विदेशियों की मूर्त्तियों को हटाने में कितना समय लगेगा ? खास कर जो विदेशी राजाओं और महाराजाओं की मूर्त्तियां हैं ? जिन मूर्त्तियों को हटा दिया गया है उसे क्या किया जा रहा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह मामला भी सदन के समक्ष कई बार आ चुका है और यह बताया जा चुका है कि जब किसी अजायब घर में या अन्यत्र उचित स्थान उपलब्ध होगा, तब उन मूर्त्तियों को हटा दिया जायेगा जिन्हें हटाने का इरादा है ।

†**श्री आचार :** इस सम्बन्ध में निर्णय करने वाली समिति के सदस्य कौन हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं इस समिति के सदस्यों के नाम भी गत बार बता चुका हूं । अब इस समय वह नाम मेरे सामने नहीं हैं । सभी सदस्य इस मामले के विशेषज्ञ हैं ।

†**कई माननीय सदस्य** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । इस प्रश्न पर १० मिनिट खर्च हो गये हैं ।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट

\+

†*१०८८ **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :
श्री पांगरकर :
श्री हेमराज :
श्री इ० मधसूदन राव :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या वित्त मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिये जाने की सम्भावना है ?

†**वित्त उपमंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति द्वारा प्रस्तुत मुख्य सिफारिशों की सविस्तार छानबीन हो चुकी है । अगले कुछ ही दिनों में इस दिशा में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की आशा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** लगभग ४०० सिफारिशें थीं । क्या सरकार ने सब पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कुल ३०७ सिफारिशें थीं और सब पर सरकार ने विचार किया है। बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। कुछ सामान्य बातों के सम्बन्ध में हैं जोकि स्वमेव ही कार्यान्वित हो गई हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव :** क्या इस विषय पर विधि आयोग ने जो अपना अन्तिम प्रतिवेदन दिया है, सरकार उस पर विचार कर रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जी हां, वास्तव में आयकर कानून में जो मुख्य संशोधन इस समिति की सिफारिशों के फल-स्वरूप करने होंगे उसे विधि आयोग द्वारा निर्मित संहिताबद्ध विधेयक में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

†**श्री अ० मु० तारिक :** कमेटी ने यह जो सिफारिश की थी कि जिन लोगों की आमदनी साढ़े सात हजार से ज्यादा नहीं है, जब वे अपनी रिटर्न्स दें तो, उन को फेस वैल्यू पर ही मंजूर किया जाये, मज़ीद इनवैस्टिगेशन न की जाये, इस सिलसिले में वजारत ने क्या फैसला किया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** तमाम बातों का फैसला हो रहा है और कुछ ही दिनों में जो फैसला होगा, सुना दिया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस से पूर्व एक प्रश्न था कि प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति केन्द्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बनाई जानी चाहिये। क्या उस सिफारिश पर सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है, यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** ये सभी महत्वपूर्ण सिफारिशें समिति के समक्ष हैं। उन में से प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के विचार से कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** आज का दिन इस पर चर्चा के लिये निर्धारित था।

†**कुछ माननीय सदस्य :** परन्तु इसे हटा दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि माननीय सदस्य प्रतिवेदन का अध्ययन करना चाहते थे, उन्हें सरकार की सिफारिशें भी प्राप्त हो जायेंगी और एक बार ही सारे मामले पर चर्चा हो जायेगी।

†**कुछ माननीय सदस्य :** इसे स्थगित कर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या प्रश्नों के घंटे में चर्चा की अनुमति दी जा सकती है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या हमें इस सत्र के समाप्त होने तक सिफारिशों का पता चल जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सत्र समाप्त होने तक उसे सभा पटल पर रखे जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हम प्रयत्न करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जमीन की कीमत

+

†*१०८९ श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मकान बनाने के लिये जमीन की बढ़ती हुई कीमतों सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख) जिन प्रस्थापनाओं का परीक्षण हो रहा था, उन सब के मिल जाने से प्रतिवेदन पर बड़े ध्यान से विचार किया गया है । आशा है कि इस दिशा में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या नई दिल्ली में भूमि के दर १०० गुणा से भी अधिक बढ़ गये हैं, और यदि हां, तो भूमि के दरों का स्थायीकरण करने की दिशा में सरकार क्या पग उठा रही है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली और उस के आस पास की ३४ हजार एकड़ भूमि को अधिसूचित कर दिया गया है । इस को कुछ समय हो गया है । अतः भूमि अर्जन के लिये भूमि की दर बढ़ ही नहीं सकते । साथ ही इस भूमि को बेचा भी नहीं जा सकता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह ठीक है कि दिल्ली की बहुत सी कीमती भूमि पर हटमेंट बने हुए हैं । क्या सरकार इस भूमि पर कई मंजिलों वाली इमारतें बनाने अथवा इस प्रयोजन के लिये इसे बेचने का विचार कर रही है ताकि दिल्ली में आवास की समस्या कुछ सुगम हो सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध कीमत से है न कि इमारतों से ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार नई दिल्ली में समुचित स्थानों पर इमारतें बनाना चाहती है ताकि उपलब्ध स्थानों का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्योंकि भूमि के दर लगभग सभी बड़े बड़े नगरों में बढ़ रहे हैं और इस प्रश्न का सम्बन्ध गन्दी बस्तियों के साफ करने के साथ भी है, अतः क्या इस प्रश्न पर कि भूमि की इस सट्टेबाजी को कैसे रोका जाय, कोई सामान्य चर्चा की गई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : काफी सम्मेलन हुए हैं, योजना आयोग ने इस ओर काफी ध्यान दिया और कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं । उन सुझावों पर विचार किया जा रहा हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुनासिब दरों की जो जमीन सरकार ने अपने पास रखी हैं, उन प्लाटों को अलाट करने के लिये क्या सिद्धान्त रखा जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : यह सभी बातें विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सरकार द्वारा अर्जित भूमि की कीमत और जनसाधारण द्वारा वेसी ही ज़मीन की दी जाने वाली कीमत में क्या अन्तर है ? सरकार इन के अन्तर को किस प्रकार हटाना चाहती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह भी प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में जब भी कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा माननीय सदस्यों को बता दिया जायेगा।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को पता है कि कई भूमि बेचने वालों और बस्तियां बसाने वालों ने भूमि यह कह कर लोगों को बेची थी कि वह इसका विकास करेंगे, परन्तु अब वे ऐसा नहीं कर रहे। अब ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल भूमि की दरों से है। सभी बस्तियां बसाने वालों ने उचित ढंग से काम नहीं किया। शायद सरकार को इसदिशा की ओर ध्यान देना ही होगा।

†**श्री जयपाल सिंह :** कल प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि दिल्ली की वृहद् योजना की कुछ बातें समय से पूर्व प्रकट हो गयी थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उससे भी भूमि के दामों पर कुछ प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** खेद है कि मुझे पता नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा था। मैं यहां नहीं था। यह ठीक है कि जमीन की कीमतों में वृद्धि हुई है। उसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही करनी ही होगी। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि वर्तमान हालात में नये घर बने और जो स्वयं घर नहीं बनवा सकते उनके लिये आवास की व्यवस्था की जाये।

†**श्री जांगड़े :** क्या यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है कि दिल्ली की खाली पड़ी हुई ज़मीनों को दिल्ली प्रशासन के कब्जे में करा दिया जायेगा और उसके उपरान्त उसे कोआप्रेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियों और दूसरी ऐसी संस्थाओं को बिल्डिंग पर, नीलामी पर, सस्ती कीमत पर भविष्य में दिया जाएगा ?

श्री गो० ब० पन्त : मैंने जेसे कहा ३४,००० एकड़ ज़मीन के लिये तो लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक अभी कार्रवाई कर दी गई है और उसके ऊपर तो कीमत जिस दिन से वह नोटिफिकेशन निकला है बढ़ नहीं सकती है। अगर कोई ज्यादा दे या कोई कुछ और करे तो वह उसका खतरा उठाता है। कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ की बात का जहां तक ताल्लुक है, कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ जो असली हों और जो कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ में शामिल होने वाले लोग हैं, वे उसका असली उपयोग करें। तो उन के बारे में जो तजवीज आगे होगी उसका लिहाज किया जायेगा। मगर कोआपरेटिव सोसायटी के नाम पर भी बहुत से लोग ऐसी कार्यवाइ करते हैं जो कि कोअपरेशन के बिल्कुल खिलाफ होती है और जिन के बीच में कोअपरेशन होना चाहिये उनके रास्ते में दिक्कतें लाते हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** सरकार द्वारा जो भूमि ली गयी है उसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। सरकार उनका शीघ्र से शीघ्र उपयोग करने के लिये क्या कर रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस पर भी विचार हो रहा है। जो भूमि बिल्कुल खाली पड़ी रही है, उसके उचित उपयोग करने के बारे में विचार किया जाता रहा है। यदि विशेष समय की अवधि में उसका प्रयोग न हो पाया तो कोई ऐसी कार्यवाही करनी ही होगी ताकि इसे लोगों के लाभ में लगाया जाये और यह भूमि उन्हें दी जाये जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

†**श्री थानू पिल्ले :** जिन क्षेत्रों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उनमें व्यक्तिगत रूप में अथवा आवास संस्थाओं द्वारा जो भूमि ली गयी है उसे भी सम्मिलित किया गया है क्या जिन

†मूल अंग्रेजी में

लोगों ने पैसे दिये हैं, उनके न तो पैसे ही वापिस किये जाते हैं और न ही उन्हें भूमि दी जाती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** हां, कुछ एसी भूमि इन क्षेत्रों में सम्मिलित की गयी है।

पेट्रोलियम संस्था

+

†*१०९०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन }

†क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री २ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** संस्था के लिये योजना अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है और दिल्ली में आरम्भिक संस्थापन चालू करने की व्यवस्था भी कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार को संस्था के लिये मकान अर्जन करने की प्रार्थना की गयी है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि उसके लिये स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। क्या इसके लिये कोई स्थान देख लिया गया है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** देहरादून में कुछ स्थानों का अस्थायी रूप में निरीक्षण किया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह पेट्रोलियम संस्था की स्थापना हम स्वयं ही करेंगे अथवा कोई विदेशी सहयोग भी इसके लिये प्राप्त होगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** हमने फ्रॉस की पेट्रोलियम संस्था का सहयोग स्वीकार कर लिया है। उन्होंने स्वयं ही सहयोग की पेशकश की थी।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस संस्था के लिये देहरादून को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है । फिर क्या कारण है कि इसका प्रारम्भिक कार्यालय दिल्ली में रक्खा जा रहा है, और देहरादून में इसका कार्य कब शुरू होगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** उत्तर बड़ा सरल है । देहरादून में हमें भूमि का अर्जन करना होगा, वहां इमारतें बनानी होंगी। अभी हाल तो प्रारम्भिक कार्य को चलाने के लिये हमने संस्था के लिये अस्थायी तौर पर केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था में व्यवस्था की है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** पेट्रोल संस्था और ईंधन गवेषणा संस्था के कार्य का विभाजन किस आधार पर किया जा रहा है ? क्या पेट्रोलियम के ईंधन के रूप में प्रयोग के सम्बन्ध में ईंधन गवेषणा संस्था में भी एक सेक्शन होगा अथवा यह कार्य पेट्रोलियम संस्था तक ही सीमित रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून कबिर :** यह दोनों प्रश्न अलग अलग हैं । मुख्यतः इस संस्था के दो कार्य होंगे । दो प्रमुख प्राविधिक विभाग हैं । एक विभाग का काम गैस और तेल शोधन से होगा और दूसरे का सम्बन्ध पूरी तरह पेट्रोलियम उत्पादों से होगा । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है । केंद्रीय ईंधन गवेषणा संस्था ईंधन गवेषणा की कुछ सामान्य समस्याओं से सम्बन्धित होंगी, पेट्रोलियम से तो इसका सामान्य सम्बन्ध होगा ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन:** देश में पेट्रोलियम का ज्ञान रखने वाले तकनीकी व्यक्तियों की बहुत कमी है और इस उद्देश्य के लिये तेल और गैस आयोग देहारदून में एक संस्था भी चला रहा है । क्या इस संस्था को भी उसमें मिला दिया जायेगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** इसे इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और हमने खान और तेल मन्त्री को ही पेट्रोलियम संस्था की परिषद् का प्रधान बनाया है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या इस संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में किसी विदेशी सरकार से सहायता ली जा रही है । यदि हां, तो किस मात्रा में ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यह तो मैंने पहले ही जवाब में कहा हमने फ्रॉस की पेशकश स्वीकार कर ली है ।

राज्यों में राष्ट्रीय नाट्यशालायें

†***१०९२. श्री अ० मु० तारिक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक राष्ट्रीय नाट्यशाला स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) और (ख). एक नाट्यशाला प्रत्येक राज्य की राजधानी में बनाई जा रही है । यह टैगोर शताब्दी समरोह का ही अंग है । इस पर खर्च होने वाले प्रथम २ लाख में से ५० प्रतिशत भारत सरकार देगी । २ लाख से ऊपर व्यय होने पर ऊपर के व्यय का २५ प्रतिशत भारत सरकार देगी । २ लाख से ऊपर कम होने पर ऊपर के कम का २५ प्रतिशत भारत सरकार देगी । परन्तु व्यय २½ लाख से ऊपर नहीं होना चाहिये ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** जिन राज्यों ने इस प्रस्थापना को स्वीकार करके नाट्यशालाओं के बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है, उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** सभी राज्यों ने यह बात मान ली है, परन्तु योजना और इमारतें बनाने का काम भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग प्रक्रम पर है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या किसी राज्य ने इस दिशा में किसी सलाहकार की मांग की है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** रंगमंच निर्माण के सम्बन्ध में यहां एक सम्मेलन किया गया था । उसमें बहुत से राज्यों ने भाग लिया था । हमने राज्य सरकारों को भी अपनी अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप देने की सलाह दी थी । यह भी कहा था कि यदि उन्हें सुविधा हो तो वे हमारे यहां उपलब्ध दो विशेषज्ञों का परामर्श ले सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या आन्ध्र ने भी नाट्यशाला के लिये कहा था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम विस्तार में जा रहे हैं और हमारे १६ राज्य हैं ।

†**श्री हुमायून कबिर :** वह ११ लाख व्यय करके नाट्यशाला बनाने की योजना बना रहे हैं ।

†**श्री रामानाथन् चेट्टियार :** क्या मद्रास में राष्ट्रीय रंगमंच बनाने की प्रस्थापना है; यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता क्या होगी ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यह सब मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सुझाव है कि सभी राज्यों की नाट्यशालाओं का डिजाइन एक जैसा हो, अथवा राज्यों के स्थानीय किसी लोक प्रिय अथवा ऐतिहासिक डिजाइन लिये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून कबिर :** इस मामले में राज्य सरकारों को पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी । हमने उन्हें केवल अपनी योजनायें भेजने के लिये कहा है ।

†**श्री त्यागी :** देश की आर्थिक अवस्था ठीक न होने के कारण और राष्ट्र पर काफी ऋण होने के फलस्वरूप, क्या इस प्रकार की योजनाओं को लम्बित नहीं किया जा सकता जिनसे कि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यह मतभेद वाला विषय है कि किस से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

†**श्री तंगामणि :** क्या टैगोर शताब्दी समारोह तक कोई राज्य राष्ट्रीय नाट्यशाला का निर्माण पूर्ण कर लेगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** सभी राज्य इसे मई तक पूरा कर लेने की सोच रहे हैं । परन्तु यदि ७ मई तक यह काम पूरा न हो सका तो राज्यों द्वारा हमें यह आश्वासन दिया गया है कि यह काम अक्तूबर अथवा नवम्बर में जरूर पूरा हो जायेगा ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** किस राज्य ने इस दिशा में निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है?

†**श्री हुमायून कबिर :** मैंने कहा न कि भिन्न भिन्न राज्यों में यह काम भिन्न भिन्न प्रक्रम पर है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या कवि के नगर कलकत्ता में किसी विशेष स्थान पर इस नाट्यशाला को बनाया जायेगा जिसका सम्बन्ध कवि की गतिविधियों से रहा है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** इस बात का निर्णय राज्य सरकार करेगी कि उन्हें नगर में अथवा किस स्थान पर नाट्यशाला बनानी है । केवल आसाम और गुजरात में ये नाट्यशालायें इन राज्यों की राजधानियों में नहीं होंगी । आसाम वाले इसे गौहाटी में और गुजरात वाले इसे अहमदाबाद में बनाना चाहते हैं ।

†**श्री तिम्म्या :** किसी नाट्यशाला को विदेशी नाट्यशाला के अनुरूप बनाया जायेगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** यह नाट्यशाला बहुत ही अच्छी नाट्यशाला होगी । इससे न केवल हमारी आवश्यकतायें ही पूरी होंगी प्रत्युत् यदि कोई दलविदेश से भी आ जायेगा तो उनकी आवश्यकताओं को भी यहां पर पूरा किया जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रंगमंच को मुख्य चीजों को विदेशों से मंगाने की अनुमति होगी? और यदि २।। लाख से काम न चला तो आवश्यक चीजें लेने के लिये केन्द्र से और अधिक सहायता प्राप्त करने की सम्भावना होगी ?

†**श्री हुमायून कबिर** : प्रत्येक प्रकार का ध्यान रखा जायेगा परन्तु केन्द्रीय अनुदान १।। लाख से अधिक सम्भव नहीं होगा ।

श्री राधेलाल व्यास : प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक नेशनल थिएटर बनाने की योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों की राजधानियों के अलावा क्या एक ऐसा नेशनल थिएटर उज्जैन में भी बनाने की योजना है, जहां कि कवि सम्राट कालिदास हुआ था, और जिसकी आवश्यकता कई बार बतलायी जा चुकी हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : प्रश्न राष्ट्रीय नाट्यशालाओं के बारे में है । मैं यह जानना चाहता था कि जिस प्रकार राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय नाट्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं, क्या उज्जैन में भी एक राष्ट्रीय नाट्यशाला स्थापित की जायेगी । ऐसी दशा में यह प्रश्न मूल प्रश्न से क्यों उत्पन्न नहीं होता ? यह भी राष्ट्रीय नाट्यशाला के बारे में ही प्रश्न है ।

†**श्री हुमायून कबिर** : यह प्रश्न टैगोर शताब्दी के अवसर पर बनाई जाने वाली राष्ट्रीय नाट्यशालाओं के बारे में है । बेशक, कालीदास एक महान राष्ट्रीय कवि थे, लेकिन टैगोर और कालीदास आखिर थे तो अलग अलग व्यक्ति ही ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : मूल प्रश्न में टैगोर का उल्लेख नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या टैगोर शताब्दी के सिलसिले में बनाई जाने वाली नाट्यशालायें कालीदास के लिए प्रयोग नहीं हो सकेगी ?

†**श्री हुमायून कबिर** : क्यों नहीं हो सकेंगी, परन्तु माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि क्या कालीदास से सम्बन्धित उज्जैन में कोई राष्ट्रीय नाट्यशाला बनेगी अथवा नहीं । इस प्रश्न का उस मामले से बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री राधेलाल व्यास** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मुख्य प्रश्न में यह नहीं कहा गया कि ये राष्ट्रीय नाट्यशालाएं केवल टैगोर शताब्दी की स्मृति में ही बनाई जा रही हैं । यह तो साधारण प्रश्न है । मैंने मुख्य प्रश्न के संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है । क्या माननीय मंत्री यह निश्चित कर सकते हैं कि अनुपूरक मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस संगत प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बता सकत हैं कि उज्जैन में राष्ट्रीय नाट्यशाला बनाई जाएगी या नहीं । उदाहरणार्थ शिलांग के स्थान पर गोहाटी में नाट्यशाला का प्रस्ताव है, इसी तरह अन्यंत्र भी हैं । क्या भूपाल के अतिरिक्त उज्जैन में भी होगा ?

†**श्री हुमायून कबिर** : मध्य प्रदेश में भोपाल में निर्माण कार्य काफी प्रगति कर चुका है । उज्जैन के बारे में हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** क्या इस के व्यय संबंधी प्रस्ताव चर्चा के लिये सभा के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि कुछ लोग यह अनभव करते हैं कि देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन नाट्यशालाओं पर अधिक खर्च किया जा रहा है?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री किसी सदस्य को इस मामले को सभा के सामने लाने से नहीं रोकते।

वैज्ञानिक विषयों की उच्च शिक्षा सम्बन्धी मूल्यांकन समिति

†*१०९६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणि-शास्त्र, जीव-रसायन शास्त्र (बायो-कैमिस्ट्री) और गणित के अध्यापन और अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त तीन समितियों ने क्या प्रगति की है ; और

(ख) उनकी रिपोर्टें कब पेश होन की सम्भावना है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). अक्तूबर १९६० के अन्त तक इन समितियों के प्रतिवेदन पूर्ण होने की आशा है। तब इन पर विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र पर होने वाली गोष्ठियों में चर्चा होगी और वहां व्यक्त किये गये विचारों को शमिल करके अन्तिम प्रतिवेदन इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व तैयार हो जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या तीन गोष्ठियां होंगी या केवल एक?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कई गोष्ठियां होंगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन में किन को आमंत्रित किया जाएगा?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन विषयों में दिलचस्पी रखने वालों को।

नौसेना भर्ती-फार्मों में श्रेणी और उप-श्रेणी के स्तम्भ

†*१०९८. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना के भर्ती के फार्मों में श्रेणी और उप-श्रेणी का कोई खाना नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वायु-सेना और स्थल-सेना के फार्मों से श्रेणी और उप-श्रेणी के स्तम्भों को समाप्त कर देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). विमान बल के बारे में 'श्रेणी' संबंधी निर्देश हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि सेना के बारे में अभी वर्तमान व्यवस्था को बदलना संभव और साध्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीहेमराज :** क्या भर्ती के समय पदाधिकारी जातियों और उपजातियों सैनिक एवं गैर-सैनिक जातियों के आधार पर भेदभाव करते हैं, और उस आधार पर अभ्यार्थियों को अस्वीकार कर देते हैं, और यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम वर्गहीन समाज बनाना चाहते हैं, और हम देश में वर्ग व्यवस्था रखने में विश्वास नहीं करते, क्या सरकार भर्ती पदाधिकारियों को हिदायतें देगी कि वे जाति और उपजाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करें ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सैनिक जातियों या अन्य किसी ऐसे आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यद्यपि इस विचार से हमें सहानुभूति है, इतिहास को भी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि डोगरा, मराठा, महार, बंगाली, बिहारी आदि पलटनें हैं। हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सेना की स्थिति खराब होगी। विराम बल आदि नई सेनाओं में हम इसे नहीं लाते। श्रेणी का उतना महत्व नहीं होता जितना समझा जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक वर्ग होता है, जो भारतीय सेवा के ढांचे में ठीक बैठता है और जिसे धीरे धीरे बदलना है। यदि हम डोगरा पलटनों को समाप्त कर दें, तो हमें बड़ी हानि होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह चाहते हैं कि सरकार केवल वर्तमान नाम जारी रखें परन्तु दूसरों को भी इस में आने दे।

†**श्री कृष्ण मेनन :** इन सब पलटनों में अन्य लोग भी हैं। इनमें पूर्णतया एक ही जाति के लोग नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो नाम जारी हैं परन्तु दूसरों को भी आने दिया जाता है।

†**श्री कृष्ण मेनन :** डोगरा पलटनों में अधिकांश डोगरे हैं, परन्तु दूसरों को भी लाने में आपत्ति नहीं है। फिर हमें कामों का भी विचार करना पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि कुमाऊं वालों को सेवा से अलग कर दें, तो कुछ प्रदेशों में हमें बड़ी कठिनाई हो जाएगी। कुछ शारीरिक आवश्यकताएं भी किसी एक भाग में काम देती हैं, दूसरों में नहीं।

†**श्री हेम राज :** भर्ती पदाधिकारी भर्ती के समय ऐसे अभ्यार्थियों को भी अस्वीकार कर देते हैं जिनका शरीर बहुत अच्छा होता है, चूंकि वे किसी ऐसी जाति के होते हैं, जिन्हें वे सैनिक जाति नहीं मानते। इसलिये क्या मंत्री महोदय यह हिदायत जारी करेंगे कि भर्ती के लिये जाति का प्रश्न अनिवार्य न समझा जाए ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में सैनिक जातियों का कोई भेद नहीं। हम सब सैनिक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस आधार पर कि वह सैनिक जाति का नहीं किसी को अस्वीकार किय जाता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी नहीं।

†**श्री त्यागी :** फिर श्रेणी की क्या जरूरत है ?

†**श्री जयपाल सिंह :** कुछ समय पूर्व सब जाति नामों को, अर्थात् सिख पलटन, मराठा पलटन आदि को हटाने का प्रस्ताव था और यह छोड़ दिया गया था। क्या इस मामले में और अधिक विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कृष्ण मेनन : जी हां, सेना में ये नाम देश की वर्तमान स्थिति में समाप्त करना संभव नहीं, वांछनीय नहीं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मूल प्रश्नकार माननीय सदस्य ने जाति और श्रेणी के बारे में पूछा है परन्तु माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इस का यह अभिप्राय है कि व्यक्ति अमुक राज्य या प्रांत के हैं । श्रेणी का स्तंभ भरते समय वास्तव में किसी को क्या भरना पड़ता है ?

†श्री कृष्ण मेनन : ये श्रेणियां हैं, गूजर, जाट, बंगाली, बिहारी, उड़िया, डोगरा, कुमाऊं, लद्दाखी, आदिवासी, भील, गोंड, संनल, गढ़वाली, आसामी, गोरखा आदि । ये सब विचार अत्यन्त ठीक और तर्क संगत हैं, परन्तु हमें व्यवहारिक बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है ।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : प्रश्न श्रेणियों के बारे में नहीं, अपितु जातियों और उपजातियों के बारे में था । प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारा देश जातियों और उपजातियों के कारण भूतों और प्रेतों का देश बन रहा है । क्या इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिरक्षा मंत्री सेना से जातियों और उपजातियों का भेदभाव समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

†श्री कृष्ण मेनन : एक स्तंभ उप श्रेणि का है । राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी उप श्रेणियां है । इन मामलों में इन का विशेष अर्थ होता है । श्रेणी शब्द स्वतः लागू नहीं होता, क्योंकि इस से आजकल आर्थिक श्रेणियां अभिप्रेत हैं । यह व्यवहारिक तरीका है जिसके द्वारा सेना में एक रूपता रखी जा सकती है । शारीरिक आकार का प्रश्न है, उदाहरणार्थ, हम सेना से गोरखा पलटन को नहीं हटा सकते । धर्म, जाति या ऐसी और किसी बात के आधार पर भेद भाव करने का कोई प्रयास नहीं है । उदाहरण के लिये, जाट पलटन में, इसमें मुस्लमान और सिख भी हो सकते हैं, परन्तु वे जाट हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : ब्राह्मण गोरखा भी हो सकते हैं ।

†श्री कृष्ण मेनन : ब्राह्मण उप श्रेणी है ।

†श्री च० क० भट्टाचार्य : यदि ब्राह्मण उप श्रेणी है तो यह शब्द उप श्रेणी जातियों और उपजातियों का पर्यायवाची है ।

†श्री कृष्ण मेनन : जी नहीं ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि चूंकि जाति दर्ज की जाती है, अधिकतर अनुसूचित जातियां जो सेना में योद्धाओं के रूप में भर्ती किये जाते हैं उन्हें इकाइयों में केवल सफाई और झाड़ू देने का काम दिया जाता है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह सच नहीं है । मुझे खेद है कि माननीय सदस्य सभा में ऐसी बात कह रहे हैं ।

आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था

+

†*१०९९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति कल्याण के लिये एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यह संस्था कहां स्थापित की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । परन्तु समाज कल्याण और पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण सम्बन्धी अध्ययन दल ने ऐसा सुझाव दिया था ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । उपरोक्त सुझाव के बारे में यह बात है कि दीर्घकालीन उद्देश्य के रूप में एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्था स्वीकार्य है परन्तु इस समय तो प्रादेशिक संस्था ही काफी है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री ने कहा है कि राज्यों में प्रादेशिक अनुसंधान संस्थाएं चल रही हैं । क्या केन्द्र और राज्यों की संस्थाओं में कोई समन्वय है ?

†**श्री दातार** : छः प्रदेशों में ये संस्थाएं हैं, अन्यों में अभी नहीं हैं । उन में स्थापित हो जाने पर समन्वय का प्रश्न उठेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना के बारे में रेणुका रे समिति की सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है । यदि हां, तो संस्था स्थापित करने के बारे में कब तक अन्तिम फैसला किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : मेरा उत्तर स्पष्ट है । सरकार ने केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है । इस समय छः प्रादेशिक संस्थाएं हैं । जब अन्य राज्यों में भी प्रादेशिक संस्थाएं कायम हो जायेंगी, तो सरकार इस प्रश्न को लेगी ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : आदिम जाति कल्याण के लिय किस प्रकार का अनुसंधान किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : अनुसंधान वहां की भाषाओं, लोगों के रीति-रिवाजों और उन्हें संगठित करने के उपायों के बारे में होगी ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या अब तक इनका पर्याप्त ज्ञान नहीं हुआ ?

†**श्री दातार** : कुछ अभिकरणों ने गैर सरकारी अनुसंधान किया हैं । परन्तु हमारे पास सम्पूर्ण चित्र होना चाहिये । इसी कारण इन संस्थाओं का बड़ा मूल्य है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मंत्री जी ने कहा है कि आदिम जाति मामलों के लिये आखिरका एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्था होगी । क्या इस का यह अर्थ है कि नरतत्वीय सर्वेक्षण का महानिदेशक नहीं रहेगा, अथवा यह उसके उत्तरदायित्व के अतिरिक्त होगा ?

†**श्री दातार** : अनुसंधान संस्थाएं यथावत् चलती रहेंगी । सरकार यह भी विचार करेगी कि आया इन में से एक संस्था को केन्द्रीय संस्था बनाया जा सकता है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या नरतत्वीय सर्वेक्षण का महानिदेशक अपने पद पर जारी रहेगा या इस केन्द्रीय संस्था की स्थापना पर उस में मिल जायेगा ?

†**श्री दातार** : यह बात प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे काम पर निर्भर है । सरकार समूचे प्रश्न पर विचार करेगी जब वह केन्द्रीय संस्था का प्रश्न उठायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : इस समय नरतत्वीय सर्वेक्षण का महानिदेशक उन प्रादेशिक संस्थाओं से सर्वथा भिन्न है । इन में कोई समन्वय दिखाई नहीं देता । सरकार यह प्रतीक्षा कर रही है कि सब राज्य अपनी संस्थाएं आरम्भ कर दें और तब केन्द्रीय संस्था का विचार किया जायेगा । परन्तु दशाब्दियों से नरतत्वीय सर्वेक्षण का महानिदेशक रहा है और वह भी अनुसंधान कर रहा है । उस के पास बहुत कर्मचारी हैं । क्या यह केन्द्रीय संस्था उस के बराबर चलेगी या उस के ही अधीन होगी ?

†**श्री दातार** : यह बराबर नहीं होगी, बल्कि समन्वयकारी होगी । मैं ने नहीं कहा कि केन्द्रीय संस्था आरम्भ की जायेगी । प्रादेशिक संस्थाएं चलाई गई हैं । सरकार उनका काम देख रही है और यथाशीघ्र इसे आरम्भ करेगी ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या नरतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के काम आदिम जातियों और वैसे ही वर्गों के मामलों में न्यूनाधिक तौर पर एक ही प्रकार का अनुसंधान नहीं है । प्रादेशिक संस्थाओं में और नरतत्वीय सर्वेक्षण के अनुसंधान कार्य में क्या अन्तर होगा ?

†**श्री दातार** : नरतत्वीय अनुसंधान इन संस्थाओं के कार्य का एक भाग होगा । परन्तु अनुसंधान की अन्य बातें भी हैं, जिन्हें ये प्रादेशिक संस्थाएं करेंगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सही नहीं है कि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय अपने नरतत्वीय विभाग के द्वारा उचित तरीके से आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी अनुसंधान कर रहा है ? क्या केन्द्रीय संस्था उस मंत्रालय के अधीन काम करेगी और गृह-कार्य मंत्रालय के अधी न नहीं होगी ?

†**श्री दातार** : अभी इस संस्था को आरम्भ करने का समय नहीं आया । सरकार समन्वय और सहकार्य के सब प्रयत्नों का स्वागत करेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में लोक तंत्रीय विकेन्द्रीकरण

\+

†*११०० { (श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :
(श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या शिक्षा मंत्री २४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के बारे में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश सरकार और योजना आयोग के बीच हो रही चर्चा समाप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हो गया है; और

(ग) उसका व्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बच्चों और स्त्रियों सम्बन्धी कार्यक्रम पंचायत समितियों को देने का फैसला किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार का क्या मत था ? क्या यह सच है कि उन्हें राज्य में इस समाज कल्याण बोर्ड का कोई उपयोग नहीं है और वे कर्मचारीवृंद पर होने वाला अनावश्यक व्यय बचाना चाहते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समाज कल्याण बोर्ड और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच मतभेद था । बोर्ड अपनी परियोजना कार्यान्विति समितियों को पंचायत समितियों के सहकार्य से काम करना चाहता था परन्तु सरकार चाहती थी कि ये समितियां पंचायत समितियों के अधीन काम करें । चूंकि यह स्थिति केन्द्रीय बोर्ड को स्वीकार्य नहीं थी, उस ने समूचा कार्यक्रम पंचायत समितियों को सौंपने का फैसला कर लिया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पंचायत समितियों को यह काम सौंपने से कितनी बचत होगी ? यदि कुछ बचत होगी, तो सब विभिन्न राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया जाता ?

†**श्री का० ला० श्रीमाली** : कोई बड़ी बचत की संभावना नहीं है । यह राज्य सरकारों के स्वविवेक पर है कि वे समाज कल्याण बोर्ड का सहकार्य चाहते हैं या नहीं । बोर्ड किसी राज्य सरकारों को अपनी इच्छानुकूल परियोजना कार्यान्विति समितियां बनाने के लिये नहीं कह सकता । उन्हें राज्य सरकार के सहकार्य पर निर्भर रहना पड़ता है ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : विकेन्द्रीकरण की इस योजना में स्थानीय स्वयंसेवी समाज कल्याण संस्थाओं का क्या भाग है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उनका बड़ा महत्वपूर्ण भाग है । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय बोर्ड में ७००० वैतनिक कर्मचारी हैं और यह काम इन लोगों द्वारा —इस विकेन्द्रीकरण अभिकरण द्वारा किया जा सकता है ? मंत्री जी कैसे कहते हैं कि बचत नहीं की जा सकती ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कोई विशेष बचत होगी, क्योंकि जो काम परियोजना कार्यान्विति समितियों द्वारा किया जा रहा था, वह पंचायत समितियों द्वारा जारी रहेगा । वे बहुत से उन लोगों को भी लगायेंगे जो केन्द्रीय बोर्ड में काम कर रहे थे । इसलिये कोई बचत नहीं होगी । यदि माननीय सदस्य को कोई इसकी सूचना है, तो वह मुझे भेज दें ।

†**डा० सुशीला नायर** : गांवों में स्त्रियों और बच्चों के कल्याण का काम कुछ विशेष प्रकार का है, और पंचायत समितियों के पास कोई अनुभव न होने से वे पर्याप्त मार्ग दर्शन नहीं कर सकेंगी और कार्य को हानि पहुंचेगी । इस के लिये क्या परित्राण किये गये हैं और इस काम के समन्वय तथा कार्य संचालन के लिये पंचायत समितियों का मार्ग दर्शन कौन करेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह मत आन्ध्र प्रदेश सरकार के समक्ष रखा गया थ । परन्तु राज्य सरकार ने यह पंचायत अधिनियम पारित किया है और प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण हो गया है, उन्हों ने समूचा कार्य केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को न देकर पंचायत समितियों को देने का फैसला किया है । मुझे आशा है कि पंचायत समितियां भी स्त्रियों और बच्चों का ध्यान रखेंगी । मैं मानता हूं कि क्योंकि भूतकाल में उन की परवाह नहीं की गई, इसलिये उन की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता था कि केन्द्रीय बोर्ड परियोजना कार्यान्वित समितियों

†मूल अंग्रेजी में

के साथ अपना काम जारी रखे । परन्तु जब राज्य सरकार ने दूसरा फैसला कर लिया है, मामले में कुछ नहीं किया जा सकता ।

†**श्री मि० सु० मूर्ति** : केन्द्रीय बोर्ड इन पंचायत समितियों को जो धन भेज रही है क्या उसे अन्यत्र लगाने का प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इन पंचायतों ने स्त्रियों और बच्चों के बारे में अपने समाज कल्याण कार्य की योजना बना ली है, या उन्हें कुछ समितियां बनाने की सलाह दी गई है, जो उन्हें अधिक विशेषीकृत विचार दे और इस काम के लिये लोगों का मार्ग दर्शन करें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आंध्र सरकार पंचायत समितियों की एक स्थायी समिति बनाने का विचार करती है, जो परियोजना कार्यान्विति समिति के स्थान पर होगी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : केन्द्रीय सरकार परित्राणों की आवश्यकता अनुभव करती है, माननीय मंत्री जी के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, यदि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सीधे इस में नहीं आता, तो क्या यह संभव नहीं है कि परियोजना कार्यान्विति समिति राज्य समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा पंचायत समितियों की सहायता करे ? क्या राज्य सरकार के सामने यह विचार रखा गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्या के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : यह सुझाव कुछ समय पूर्व भी दिया गया था । इसे कार्य रूप में लाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: इस प्रश्न का क्षेत्र सीमित था, परन्तु सदस्य अधिक व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं । पूर्वसूचना मिलने पर इस का उत्तर दिया जा सकता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : केन्द्रीय बोर्ड आंध्र में कितना धन खर्च कर रहा था ? क्या वह व्यय वहां जारी रहेगा या नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस की जानकारी नहीं कि समाज कल्याण बोर्ड कितना व्यय कर रहा था । परन्तु राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि उस ने बच्चों और स्त्रियों के कल्याण के लिये पंचायत समितियों को ४०,००० रुपये दिये हैं, और वे स्त्रियों के कल्याण विभाग के बजट उपबन्धों से अधिक राशि भी इन को देंगे । मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों के पास धन का अभाव नहीं है ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : समाज कल्याण के लिये एक उपसमिति का प्रस्ताव है । क्या स्थानीय कल्याण अभिकरणों—स्वयंसेवी संस्थाओं—को विशिष्ट क्षेत्रों में समाज कल्याण का काम सौंपा जायेगा, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र का विशेष अनुभव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वस्तुत: इस मामले पर पंचायत समितियों और आन्ध्र सरकार को विचार करना है । मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र

+

†*११०४. { **श्री अमजद अली :**
श्री कालिका सिंह :
श्री दशरथ देव :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के पारित होने के पश्चात् राज्यों और संसद् के दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिन में कि रक्षित स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर भी अनुसूचित जाति का उम्मीदवार चुना गया हो ;

(ख) क्या दो-सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों से जात-पांत की बुराई को बढ़ावा मिला है ;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय इन को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ;

(घ) क्या दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों को समाप्त करने वाले विधेयक को शीघ्र ही पेश करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १८ ।

(ख) इस तरह की किसी बुराई के बारे में निर्वाचन आयोग की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने के प्रश्न पर अभी सरकार विचार कर रही है ।

†**श्री अमजद अली** : इस बात के बावजूद कि सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सकी है, मंत्रालय ने किस प्रकार राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में इसे शामिल करने का परामर्श दिया?

†**श्री हजरनवीस** : राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल इतना ही उल्लेख है कि यह विधेयक प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : अभिभाषण में कहा गया है कि विधेयक इसी अधिवेशन में, बजट अधिवेशन में, प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री हजरनवीस** : अभिभाषण मेरे सामने है । उस में कहा गया है "विधेयकों और संशोधनों के रूप में अनेक विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है । इन प्रस्तावों में ये शामिल होंगे :—"

इसलिये जो बताया गया था, वह केवल विचार था ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या मैं यह समझूं कि सरकार ने इस विषय के बारे में कोई निर्णय करने से पहले ही राष्ट्रपति को परामर्श दिया था या कुछ कठिनाइयों के कारण उस पर दोबारा फिर विचार किया गया ?

†**श्री हजरनवीस** : इस विषय पर लगातार छानबीन की जा रही है । दूसरी बार क्या, तीसरी बार भी विचार हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अमजद अली** : वह निश्चय बाद में किया गया था या क्या बात थी ?

†**श्री हजरनवीस** : हम ने सोचा था कि हम विधेयक पुरस्थापित कर सकेंगे । बाद में हम ने यह देखा कि इस विषय पर और विचार करने की आवश्यकता है जो हम अब कर रहे हैं ।

†**श्री अमजद अली** : क्या निर्णय करने के बाद और अपने अभिभाषण में इसे रखने के लिये राष्ट्रपति को परामर्श देने के बाद इस का परीक्षण किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा उसे अभिभाषण में रखे जाने से पहले कोई निश्चय नहीं हुआ था । किन्तु बाद में उस पर फिर विचार किया गया होगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस सदन में हमेशा यह बात कही गई है कि डबल मैम्बर कांस्टिट्युएंसीज़ सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ होंगी । सरकार के इस कथन के बावजूद क्यों बिल नहीं लाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : यह सही है कि प्रेसीडेंट के यहां एड्रेस देने से पहले यह खयाल था कि इस बिल को यहां पेश जल्दी कर दिया जाय .....

श्री अमजद अली : डिसिशन नहीं हुआ था ?

श्री गो० ब० पन्त : डिसिशन हुआ था एक तरह से कि यह बिल पेश किया जाये और यह बिल बने । उस के बाद यह मालूम हुआ पार्लिमेंट में कि इस मामले में काफी मतभेद है .....

†**श्री अमजद अली** : कैसे मालूम पड़ गया ?

श्री गो० ब० पन्त : तो यह समझा गया कि इस बारे में आपस में बातचीत कर के फिर बिल लाया जाय । कोई बड़ी भारी उजरत की बात थी नहीं । जनरल इलैक्शन से पहले यह मामला तय हो जाना चाहिये जिस से कि इस के मुताबिक अमल हो सके । तब भी बिल पास हो जाता तो कोई खास नतीजा उस का नहीं था । अगर इस पर कोई फैसला भी हो तो उसे ऐसे वक्त में हो जाना चाहिये जोकि जेनरल एलेक्शन से पहले हो ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : श्रीमान्, औचियत्य प्रश्न के हेतु । माननीय मंत्री कहते हैं कि संसद् में यह तय हुआ कि वह इस बिल को पेश करने के विरुद्ध हैं । तो फिर संसद् के सामने यह विषय रखे बगैर उन्हें यह कैसे मालूम हो सकता है कि संसद् में मतैक्य नहीं था ?

श्री गो० ब० पन्त : माननीय प्रश्नकर्ता अपने दल की नीति के अनुसार चाहते हैं कि हर चीज़ हिन्दी में हो और अंग्रेज़ी में कुछ भी न हो । मुझे दुख है कि वह मेरी अत्यन्त सरल भाषा नहीं समझ सके । मैं ने यह नहीं कहा कि संसद् ने इस पक्ष में या उस पक्ष में कोई निर्णय किया था । मैंने कहा था कि मुझे कुछ मित्रों से ज्ञात हुआ कि इस विधेयक में मतभेद है और हम ने यह महसूस किया कि यह अधिक अच्छा होता कि विधेयक पेश करने से पहले रास्ता साफ हो जाता ताकि यहां सभा में अनावश्यक विवाद को दूर किया जाता । जैसाकि मैं ने आप को बताया, हम ने यह सोचा कि इस बारे में कोई विशेष शीघ्रता की बात नहीं है और यदि सभा स्वीकार करती है तो अगले सामान्य निर्वाचन से पहले यह समय पर पारित हो सकता है । फिर यदि वह कुछ समय बाद ही पारित किया जाता है तो उसके कारण किसी को कोई नुक्सान नहीं हो रहा है । मैं यह भी बता दूं कि केरल में निर्वाचन होने वाले थे तब केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की यह इच्छा

---

†मूल अंग्रेजी में

थी कि निर्वाचन से पहले ऐसा विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि उससे उसको ही कठिनाई होगी और कमसे कम उस उप-निर्वाचन के लिए वह एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र पसन्द नहीं करेगी।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि राष्ट्रपति द्वारा इस आशय का संकेत दिये जाने से पहले कि दो सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र समाप्त करने के लिए संसद् के सामने एक विधेयक रखा जायेगा, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से दो अथवा एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में अपनी राय जाहिर करने के लिए कहा था और अधिकतर राज्य सरकारों ने पहले ही केन्द्रीय सरकार को यह सूचित कर दिया था कि वे सभी एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में हैं?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैंने अनौपचारिक रूप से मुख्य मंत्रियों से पूछा था और वे सामान्यरूप से इस प्रस्ताव के पक्ष में मालूम होते हैं।

†**श्री तिम्मया** : इस बात को देखते हुए कि संरक्षण समाप्त कर देने के बाद अनुसूचित जाति के सदस्यों को भविष्य में एक सदस्य वाले क्षेत्र में लड़ना पड़ेगा, क्या सरकार इस विधेयक को यथा शीघ्र प्रस्तुत करने पर विचार करेगी यद्यपि इस विषय में कुछ मतभेद हो, क्योंकि यह अनुसूचित जाति के अधिकतर सदस्य और अन्य जातियों के भी अधिकतर सदस्य एक सबस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों के पक्ष में हैं ?

†**श्री गो ब० पन्त** : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अनुसूचित जाति के अधिकतर सदस्य इस विधेयक के पक्ष में हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके साथ मेरी जानकारी ठीक ठीक नहीं मिलती। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से विचार स्थगित कर दिया था।

†**श्री बालकृष्णन्** : क्या मद्रास के मुख्य मंत्री अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में नहीं थे क्यों कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों से पृथकता की भावना उत्पन्न होती हैं और वह दलित वर्गों की उन्नति के लिए हानिकारक है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे यह नहीं मालूम है।

†**श्री बसुमतारी** : इस बात को देखते हुए कि असम में स्थिति कुछ विचित्र है, क्या असम के मुख्य मंत्री ने अपनी बैठकों में हुई चर्चा को ध्यान में रखकर एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की थी?

†**श्री गो० ब० पन्त**: मुझे याद नहीं कि असम के मुख्य मंत्री ने ठीक ठीक क्या कहा था, न ही मैं यह याद कर सकता हूं कि प्रत्येक मुख्य मंत्री ने क्या क्या कहा। लेकिन जब मुख्य मंत्रियों के साथ मेरी बातचीत हुई तो मेरी सामान्य धारणा यह थी कि वे सामान्य तौर पर इस प्रस्ताव के पक्ष में थे।

†**श्री नि० चं० लारकर** : कौन कौन से राज्य वर्तमान प्रथा को जारी रखने के पक्ष में थे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जो राज्य वर्तमान प्रथा को जारी रखने के पक्ष में है, उनके नाम मुझे ठीक ठीक याद नहीं हैं। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसकी इतनी विस्तृत छानबीन इस दशा में आवश्यक हो। यह केवल एक सुझाव के रूप में रखा गया है कि यह विषय विचार करने योग्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं एक संवैधानिक विषय के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सरकार ने संविधान के दृष्टिकोण से इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के स्वतः उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर रोक लगाना संविधान के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि यदि स्थान किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए सुरक्षित हों तो उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी शेष और अनुसूचित जाति के लोग अपने गृह-निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़े होने के विशेषाधिकार से वंचित हो जायेंगे ? क्या इस बात का परीक्षण किया गया है कि..... (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा सहमत है और सरकार की यह इच्छा हो कि केवल एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र ही रहें, तो मैं नहीं समझता कि संविधान उसके विरुद्ध होगा। उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। हम संविधान में परिवर्तन करते रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : क्या मैं यह बता सकता हूं कि इस दृष्टिकोण से इसका परीक्षण किया गया है और संसद् द्वारा ऐसे प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने में कोई असंवैधानिक बात नहीं होगी। वह ऐसा करना चाहती है या नहीं यह एक अलग बात है। वास्तव में अभी भी आदिम जाति क्षेत्रों में आदिम जाति के लोगों के लिए एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र मौजूद हैं। (**अन्तर्बाधा**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, मैं और प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड

†*१०९१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के सचिवों और कोषाध्यक्षों ने अपने वेतन के रूप में अब तक कुल कितना धन लिया है ; और

(ख) सरकार और गैर-सरकरी साझीदार द्वारा आज तक क्रमशः कुल कितनी पूंजी लगायी गयी है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ३० सितम्बर, १९५९ तक की अवधि में १,१२,५०० रुपये।

(ख) सरकार द्वारा विनियोजन ३५,३५,००० रुपये।

गैर-सरकारी साझीदारों द्वारा विनियोजन ३४,६५,००० रुपये।

आय-कर की बकाया रकमें

†*१०९३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत छोड़ कर चले जाने वाले विदेशियों के नाम आय-कर की ७ करोड़ रु० की रकम बकाया है ; और

(ख) यदि हां तो यह रकम वसूल करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) ३१ मार्च, १९६० को उन विदेशियों पर जो थोड़ी या कुछ भी सम्पत्ति नहीं छोड़ गये हैं, आय-कर की बकाया रकम की राशि ११.०७ करोड़ रुपये थी ।

(ख) सरकार ने कर वसूल करने के लिये आय-कर अधिनियम की धारा ४६ के अधीन प्रत्येक उपाय किये हैं और आगे भी किये जाते हैं । जो भी आस्तियां उपलब्ध थीं, उन्हें कुर्क करा लिया गया है और भविष्य में जिन आस्तियों का पता चलेगा, उन्हें भी कुर्क करा लिया जावेगा । जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये हैं और निष्क्रान्त घोषित कर दिये गये हैं, उनके बारे में निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक के पास दावे दायर कर दिये गये हैं । पाकिस्तान के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को भी वसूली के प्रमाणपत्र भेजे गये हैं ।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

†*१०९४. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जापान के साथ ४० लाख टन लौह-अयस्क का निर्यात करने के समझौते को अन्तिम रूप देने से पहले मध्य प्रदेश सरकार की राय ली गयी थी ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने कुछ प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की थीं !

(ग) क्या इन प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया था ; और

(घ) ये प्रस्थापनायें क्या थीं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) करार को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के विचारों का पता लग गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). २९ प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

५० नये पैसे के सिक्के

†*१०९५. { श्री पांगरकर :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या वित्त मंत्री २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ५० नये पैसे के सिक्कों के कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह विषय अभी भी विचाराधीन है ।

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†*१०९७. श्री प्र० के० देव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर १४०० कर लेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हमारी वर्तमान भूतत्वीय संस्था और विद्यालय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिय आवश्यक संख्या में भूतत्वज्ञ तैयार कर सकते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूतत्वीय विद्यालय खोलने की कोई प्रस्थापना है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कहां खोला जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में भूतत्वीय कर्मचारियों की संख्या तृतीय योजना के अन्त तक काफ़ी बढ़ा दी जायेगी । तथापि, इस बारे में अभी निश्चित रूप से कोई आंकड़े नहीं दिये जा सकते ।

(ख) से (घ) इस समूचे प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था जिसने अनुमान लगाया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २००० भूतत्वज्ञ और व्यावहारिक भूतत्वज्ञों की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में अग्रिम अध्ययन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदान से विश्वविद्यालयों में भूतत्वीय विभागों का विस्तार किया जा रहा है । जादवपुर विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय, आन्ध्र विश्वविद्यालय और मैसूर अथवा मद्रास विश्वविद्यालय---इन सात विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर और भारतीय खान और व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान स्कूल, धनबाद में भी इन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है । इनको कानपुर और बम्बई की प्रौद्योगिकी संस्थाओं में भी, इनके पूर्ण रूपेण कार्य करने पर, लागू किया जायेगा ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय खान ब्यूरो और अन्य संगठनों के सहयोग से भूतत्वविज्ञान और व्यावहारिक भूतत्वविज्ञान के छात्रों को क्षेत्रीय शिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है ।

इन उपायों के परिणाम स्वरूप भूतत्वज्ञों की वर्तमान संख्या के विरुद्ध जो कि २९० है ४०० भूतत्वज्ञ प्रति वर्ष तैयार किये जाने की आशा है ।

घड़ियों का तस्कर-व्यापार

*११०१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि घड़ियों का तस्कर व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा है और भारत को वित्तीय हानि होती है क्योंकि इसे उन घड़ियों पर सीमा शुल्क नहीं मिलता ;

(ख) क्या यह सच है कि तस्कर व्यापार से लाई गई इन घड़ियों में से अधिकतर घड़ियां सरकारी अधिकारियों के पास मिलती हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस मामले में जांच करने के बाद साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ तादाद में घड़ियां चोरी-छिपे लायी जाती हैं और जहां भी सीमा-शुल्क, यानी कस्टम ड्यूटी की चोरी की जाती है वहीं देश को माली नुकसान होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार के पास यह यकीन करने के लिये कोई वजह नहीं है कि चोरी छिपे लायी गयीं ज्यादातर घड़ियां सरकारी अफसरों के पास हैं ।

(ग) सवाल के (ख) हिस्से का जवाब को देखते हुए सरकार ऐसी किसी जांच की जरूरत नहीं समझती ।

केरल के लिये कच्चा लोहा और इस्पात

†*११०२. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के 'कोटा-होल्डरों' से कच्चा लोहा और इस्पात प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि कच्चा लोहा और इस्पात मिलने में कठिनाई होने के कारण केरल में बहुत से कारखाने बन्द हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) सरकार को पता है कि केरल को कच्चे लोहे और इस्पात की सप्लाई संतोषजनक नहीं है, जिस के परिणामस्वरूप कुछ कारखानों में काम में अस्थायी रूप से कुछ गड़बड़ हो गयी है ; तथापि केरल को कच्चे लोहे और इस्पात के शीघ्र संभरण के लिये पग उठाये गये हैं ।

बिहार में कोयले की कमी

†*११०३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में कोयले की कमी के सम्बन्ध में २ जुलाई, १९६० के "सर्चलाइट पटना" के एक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार को कोयले का पूरा कोटा न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बिहार में कोयले की आवश्यक मात्रा में सप्लाई न होने के कारण वहां के उद्योगों को बड़ी हानि हो रही है; और

(घ) कोयले के सम्भरण में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बिहार राज्य में उपभोक्ताओं को आवंटित कोयले के अभ्यंश में कोई कमी नहीं हुई । तथापि, परिवहन की कठिनाई के कारण बिहार को, अन्य राज्यों की तरह पूरा अभ्यंश नहीं भेजा जा सका । जनवरी-जून, १९६० की अवधि में कुल मिला कर सब उपभोक्ताओं को कुल अभ्यंश का २८.६ प्रतिशत संभरित किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कोयले के परिवहन के लिये वैगनों के संभरण में वृद्धि के लिये रेलवे भरसक प्रयत्न कर रही है। सड़क द्वारा परिवहन के लिये भी बिना रोक टोक पर्मिट दिये जा रहे हैं।

नेपाल के साथ व्यापार-समझौता

†*११०५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और नैपाल के बीच "वाणिज्य तथा व्यापार" की प्रस्तावित नई सन्धि के बारे में क्या प्रगति हुई है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: वाणिज्य तथा व्यापार सम्बन्धी एक नई सन्धि को अन्तिम रूप देने के बारे में नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों से आगे बातचीत करने के लिये ५ सितम्बर, १९६० को एक भारतीय शिष्टमण्डल काठमाण्डू गया। बातचीत चल रही है।

उत्तर प्रदेश को कोयले का सम्भरण

†*११०६. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उद्योगों और व्यापार के लिये कोयले के सम्भरण में कमी कर दी गया है;

(ख) यदि हां, तो उस में कितने प्रतिशत कमी की गई है; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को आवंटित कोयले के अभ्यंश में कोई कमी नहीं हुई है। किन्तु परिवहन की कठिनाइयों के फलस्वरूप, पूरे अभ्यंश का संभरण नहीं किया जा सका। जनवरी से जून, १९६० तक की अवधि में सब उपभोक्ताओं के बारे में कुल अभ्यंश का ६३.४ प्रतिशत का संभरण किया गया। जिस को, परिवहन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

इंग्लिश चैनल तैराकी प्रतियोगिता

†*११०७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलिश चैनल को पार करने के लिये बटलिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये इस वर्ष (१९६०) तक कितने भारतीय इंगलैंड जा रहे हैं;

(ख) क्या भारत सरकार उन में से किसी को आर्थिक सहायता दे रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ;

(घ) उन में से कितने व्यक्तियों ने भारत सरकार से सहायता की प्रार्थना की है; और

(ङ) उन में से प्रत्येक को कितना धन दिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ) ऐसा समझा जाता है कि इंगलिश चैनल को पार करने के लिये इस वर्ष कोई बटलिन प्रतियोगिता नहीं होगी। तथापि इस बारे में वित्तीय सहायता के लिये सरकार को एक आवेदन-पत्र मिला था जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवृत्ति-वेतन नियमों में संशोधन

†*११०८. **श्री अमजद अली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग की इन सिफारिशों को देखते हुए कि सभी सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में एकरूपता लाई जाये और सरकारी नौकरी में जाने की न्यूनतम आय २० वर्ष से घटा कर १८ वर्ष कर दी जाये, क्या सरकार का विचार निवृत्ति वेतन नियमों में संशोधन करने का है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : भारत सरकार ने सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिये निवृत्ति वेतन के लिये न्यूनतम आय-सीमा २० से घटा कर १८ कर देने का फैसला कर लिया है। इस बारे में आवश्यक आदेश और निवृत्ति वेतनों में आवश्यक संशोधन जारी किये जा रहे हैं ।

उदिपी और कारकल में संस्कृत कालेज

†*११०९. **श्री आचार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देने से इन्कार करने पर, जैसा कि राज्य-पुनर्गठन के पहले मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था दक्षिण कनारा जिले में उदिपी और कारकल में स्थित दो संस्कृत कालेजों को बाध्य होकर अपने आप को सामान्य आर्ट्स् कालेजों में परिणत करना पड़ा;

(ख) क्या संस्कृत आयोग के प्रधान और सरकार को भी उन्हें मान्यता देने और पहले के समान अनुदान देते रहने के बारे में अभ्यावेदन भेजे गये थे; और

(ग) क्या भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन कालेजों को पहले के समान चालू रखने और उन्हें बन्द न होने देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय को, एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ग) यह मामला मैसूर विश्वविद्यालय के बारे में है ।

सोवियत रूस से आने वाले मिट्टी के तेल की पहली खेप

†*१११०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस से मिट्टी के तेल की पहली खेप के हमारे देश में कब तक पहुंच जाने की आशा है ?

(ख) मिट्टी के तेल को किस प्रकार वितरित करने का विचार है ? और

(ग) पहली खेप में कितना तेल होगा और उस का मूल्य कितना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)**: (क) से (ग) रूसी नर्यात संगठन से इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड बम्बई को डीजल तेल की एक खेप मिल चुकी है और ११,००० टन मिट्टी के तेल की पहली खेप के अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में आने की आशा है। कम्पनी द्वारा यह तेल सरकारी विभागों, राज्य परिवहन निगमों आदि और कुल अन्य समवायों को बेचा जायेगा। इंडियन आयल कम्पनी एजेन्टों और डीलरों की नियुक्ति और सहकारी सगठनों से लाभ उठाने पर भी विचार कर रही

---

†मूल अंग्रेजी में

है । कीमत का निर्धारण नौभरण की तिथि को अबाहन में नौतल-पर्यान्त निशुल्क मूल्य के अनुसार, सहमत डिस्काउन्ट काट कर किया जायेगा । अतः अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता ।

दिवंगत प्रिंस अलीखां की सम्पत्ति

†*१११११. **श्री आसर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिवंगत प्रिंस अली खां की बम्बई में विशाल सम्पत्ति है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क का निर्धारण कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उनके नाम आयकर की बहुत बड़ी रकम बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) से (ङ). सम्पदा-शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८० और भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए सम्पदा-शुल्क रिकार्डों और आय-कर रिकार्डों की कोई जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रविधिक असैनिक कर्मचारियों के लिये छात्रवृत्तियां

†*१११२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के उन प्रविधिक असैनिक कर्मचारियों को भी, जो अगोपनीय पदों पर काम कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संस्था द्वारा टेक्निकल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये दिये जाने वाली छात्रवृत्तियों और अधिछात्रवृत्तियां लेने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिये इन आदेशों को अधिसूचित किया गया है; और

(ग) क्या सम्बद्ध आदेशों और उन तथ्यों को, जिनके कारण ये आदेश जारी करने पड़े, सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता विकास कार्यक्रम के अधीन और अपने नियमित कार्यक्रम के अधीन छात्रवृत्ति।अधिछात्रवृत्ति देता है । यूनेस्को की वे छात्रवृत्तियां।अधिछात्रवृत्तियां जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन आती हैं, कम विकसित देशों को दी जाती हैं और वे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से प्रत्येक रूप से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये दी जाती हैं । क्योंकि प्रतिरक्षा संस्थापनाओं के कर्मचारी देश की सामाजिक व आर्थिक सुधार सम्बन्धी कार्यों पर नियोजित नहीं हैं, उनको इन छात्रवृत्तियों।अधिछात्रवृत्तियों का लाभ नहीं मिलता । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन सभी सहायता में लागू होने वाली इस स्थिति को जुलाई, १९५५ में प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सब कार्यालयों को बता दिया गया था और इस बात से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कुछ कर्मचारी अगोपनीय पदों पर काम करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. तथापि, यूनेस्को द्वारा अपने नियमित कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत छात्रवृत्तियां/अधि-छात्रवृत्तियां यूनेस्को की सब गतिविधियों (शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति) के सब पहलुओं के बारे में है और यह कार्यक्रम केवल अविकसित देशों तक ही सीमित नहीं है परन्तु यह सहायता सब सदस्य राज्यों को दी जाती है। वर्ष १९५८–६० की अवधि में इस कार्यक्रम के अधीन ऐसी किसी छात्रवृत्ति अथवा अधिछात्रवृत्ति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो प्रतिरक्षा संगठनों के कर्मचारियों के लिये लाभदायक हो।

ओरियन्टल गैस फैक्टरी कलकत्ता

†*१११३. **श्री अरविंद घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ओरियन्टल गैस फैक्टरी, कलकत्ता के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से सहमत नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित ओरियन्टल गैस कम्पनी विधेयक, १९६० को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये रख रखा है और उसकी जांच की जा रही है।

मौंटिसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†*१११४. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्रों में सहायता-प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों को नियुक्ति के लिये मौंटिसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में एक समान नीति अपना रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) मान्यता का अधिकार सम्बन्धित संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन को है।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारें राज्यों में विद्यमान परिस्थितियों और सम्बन्धित संस्थाओं के स्टैण्डर्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी मान्यता के अधिकारों का प्रयोग करती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†*१११५. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल के के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, १९४७ के उपबन्धों के अन्तर्गत एक मुकदमा शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या उन पर कोई जुर्माना किया गया था और यदि हां, तो किस प्रकार ?

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) से (ग). पिछले वर्ष प्रवर्तन निदेशक (इन्फोर्समेन्ट डायरेक्टर) ने एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के पांच अधिकारियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच आरम्भ की। न्यायिक कार्यवाही पर एक पर २,००० रुपये का जुर्माना लगाया गया और दूसरे को छोड़ दिया गया। एक पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही चल रही है। बाकी दो में से जांच से पता चला है कि एक के विरुद्ध कोई मामला नहीं है और दूसरे की जांच अभी हो रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति

†*१११६. श्री तंगामणि : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के नये उपकुलपति की नियुक्ति हो गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपकुलपति के चुनाव के लिये क्या पद्धति अपनायी जाती है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, हां। परन्तु उन्होंने अभी अपने पद का कार्य-भार नहीं संभाला है। उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में जल्दी निर्णय इसलिये नहीं किया जा सका कि पदाली बनाने के लिये जो एक समिति बनायी गयी थी, उसका एक सदस्य विदेश चला गया था।

(ग) उप-कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, विश्वविद्यालय के 'विज़िटर' की हैसियत से, ३ से अन्यून व्यक्तियों की तालिका में से की जाती है। यह तालिका तीन सदस्यों की एक समिति तैयार करती है। इस समिति के दो सदस्य ऐसे होते हैं जिन का विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यताप्राप्त कालिज अथवा संस्था से कोई सम्बन्ध न हो और जो कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत हों। तीसरा सदस्य 'विज़िटर' द्वारा मनोनीत होता है। 'विज़िटर' इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का प्रधान नियुक्त करता है। यदि 'विज़िटर' समिति द्वारा सिफ़ारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी को मंजूर नहीं करता, तो वह नयी सिफ़ारिशों के लिये कह सकता है।

---

†मूल अंग्रजी में

पुरातत्व विभाग

†*१११७. **डा० मा० श्री० अणे :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वर्ष पहले प्राक्कलन समिति ने पुरातत्व विभाग को दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर ले जाने की सिफारिश की थी और इस विभाग को नागपुर ले जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यह कब क्रियान्वित हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस विभाग की पूर्व इतिहास, अरबी और फारसी लेख, खुदाई और एटलस शाखाओं को वर्ष १९५८ में स्थानान्तरित कर दिया गया था । रसायन, संग्रहालय और उद्यान शाखाओं को भी दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है । उत्तर-पश्चिमी सर्किल का शीघ्र स्थानान्तरण किये जाने की आशा है । इस विभाग और पुरातत्वीय पुस्तकालय का सदर कार्यालय दिल्ली में रहेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अध्ययन के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

†*१११८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन के लिये छुट्टियां देने और अच्छी नौकरियों के लिये आवेदन पत्र भेजने के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन करने वाले नये नियम केवल वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं;

(ख) सचिवालय के गैर-प्रविधिक स्थायी कर्मचारियों को इन अतिरिक्त अवसरों से वंचित क्यों रखा गया है; और

(ग) क्या उन्हें सरकार के अन्तर्गत अपनी पदालियों के अतिरिक्त अन्य पदालियों के पदों के लिये आवेदन पत्र भेजने से भी रोका जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) अध्ययन के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियमों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है । वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों पर लागू होने वाले, सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अन्य स्थानों पर पदों के लिये भेजने के बारे में आदेशों को कुछ हद तक पुनरीक्षित किया गया है और उन्हें सामान्य सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). सचिवालय के गैर-टेक्निकल स्थायी कर्मचारियों के संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापित स्थायी पदों के लिये आवेदन पत्र निर्बाध रूप से भेजे जा सकते हैं। अन्य पदों के लिये भी उनके आवेदन-पत्र अधिकारियों की मर्जी पर भेजे जा सकते हैं

पाइप लाइनों के साथ साथ रेडियो-फोन सम्पर्क

†*१११९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर भारत में ७२० मील लम्बी पाइप लाइन के साथ साथ रेडियो-फोन प्रणाली की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रणाली को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है :

(१) वी० एच० एफ० (बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी) मल्टी चैनल ट्रंक रेडियो।

(२) एच० एफ० इमरजेन्सी स्टेण्ड-बाई रेडियो।

(३) वी० एच० एफ० मोबाईल मेन्टेनेन्स रेडियो।

(४) इन्स्ट्रमेंट टेलीमीटरी।

(५) कन्ट्रोल और इन्स्ट्रूमेंटेशन।

राजस्थान में तांबा, जस्ता और सीसे के निक्षेप

†*११२०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तांबा, जस्ता और सीसे की खुदाई और उन्हें साफ करने का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) देश में तांबे, जस्ते और सीसे की कितनी आवश्यकता है और इन की कितनी सप्लाई होने की सम्भाव्यता है ; और

(ग) इस विषय में १९४७ से ले कर अब तक क्या किया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) राजस्थान में तांबा, जस्ता और सीसे की खुदाई और गलाने का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में खेतरी स्थान पर एक विद्युदंशिक तांबा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिस की वार्षिक क्षमता १०,००० टन तांबा धातु की होगी। इस संयंत्र के लिये तांबा खेतरी से दिया जायगा और यह भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अब खोदे जा रहे दरीनो क्षेत्र से भी दिया जायेगा। भारत के धातु निगम द्वारा एक जस्ता गलाने वाला संयंत्र उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है जिस की क्षमता १५,००० टन प्रति वर्ष की है। इस परियोजना के वर्ष १९६२ तक पूरा हो जाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जैसा कि अलौह धातु विकास परिषद् द्वारा मूल्यांकन किया गया है, देश में तांबा, शीशा और जस्ते की वर्तमान आवश्यकता क्रमशः ८५,००० टन, ३५,००० टन और ८५,००० टन है जबकि देश में तांबे का उत्पादन लगभग ८००० टन है और शीशे का लगभग ४००० टन है। इस समय जस्ते की सारी मात्रा आयात की जाती है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]

भारतीय वायु सेना के पूना केन्द्र में चोरी

†*११२१. **श्री गोरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६० के पहले सप्ताह में भारतीय वायू सेना के पूना केन्द्र के नं० २ विंग में चोरी हो गई ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कर्मचारियों पर चोरी का सन्देह था उन्हें ९ अगस्त, १९६० को, पूना की सिविल पुलिस को इस घटना की सूचना देने से पहले, वायू सेना के गार्ड-रूम में पीटा गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में कुछ कर्मचारियों ने असैनिक पुलिस से शिकायत की है जिन्हों ने मामला दर्ज कर लिया है और वे जांच पड़ताल कर रहे हैं।

रोम ओलम्पिक में भारतीय दल

†*११२२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्री अ० मु० तारिक :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवराज :
श्री प्र० के० देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोम ओलम्पिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों की कितनी संख्या है और उन के नाम क्या हैं ;

(ख) भारतीय दल के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था ;

(ग) इस दौरे पर कितना व्यय किया गया ; और

(घ) क्या यह सच है कि पुलिस के एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इस दल में शामिल हैं और वह इस के नेता भी थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) ७३। नामों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]

(ख) भारतीय खिलाड़ियों के चुनाव का उत्तरदायित्व भारतीय ओलम्पिक संस्था और संबंधित राष्ट्रीय खेल-कूद फेडरेशन पर है जिन की अपनी चुनाव समितियां हैं। इस चुनाव के लिये भारतीय ओलम्पिक संस्था ने कुछ अर्हता प्रमाप निर्धारित किये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खिलाड़ियों के वापस आने पर वास्तविक खर्च का पता लगेगा, तथापि, सरकार ने व्यय में सरकारी अंश की मंजूरी देने के लिये तीन लाख, निन्यानवे हजार चार सौ चौरासी रुपये (३,९९,४८४ रुपये) का खर्च मंजूर किया है ।

(घ) दल के मुखिया, श्री अश्विनी कुमार, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल (पुलिस) हैं ।

इंडिया सेरिमिक्स लिमिटेड, नेल्लोर को कोयले का संभरण

†*११२३. **श्री र० ल० रेड्डी :**
श्री वेंकटा सुब्बया :
श्री रामी रेड्डी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया सेरामिक्स लिमिटेड, नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश) को कोयले की सलप्लाई न होने के कारण अपना कारखाना बन्द करना पड़ा ;

(ख) कोयले का संभरण न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कारखाने के बन्द होने से ३०० कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ;

(घ) कोयले के सम्भरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) कारखाने को पुनः खोलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) कोयला नियंत्रक को ८ अगस्त, १९६० को कारखाने से एक नोटिस मिला था कि कारखाना १५ अगस्त से कोयले के अभाव में बन्द हो जायेगा । परन्तु वास्तविक रूप से उस के बन्द होने के बारे में नहीं बताया गया है ।

(ख) इस कारखाने को कोयला वाल्टेयर के जरिये भेजा जाता है जो इस समय कठिन है ।

(ग) से (ङ) इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कारखाना बन्द हो गया है या नहीं । तालाबन्दी का नोटिस प्राप्त होने पर, कोयला नियंत्रक ने तीन वैगन कोयला भेजने की व्यवस्था की । उन की मासिक आवश्यकता ७ वैगन की है । उन्होंने मध्य प्रदेश क्षेत्र से १० वैगनों की तदर्थ मंजूरी भी दी है । इस परिवहन की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जा रही है ।

शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का रक्षण

†*११२४. **श्री ब० चं० कामेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद ४६ के अनुसार, जिस में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति का उल्लेख है, शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों (स्कूल, हाई स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय) में प्रवेश के लिये इन जातियों के विद्यार्थियों के लिये स्थान रक्षित रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सहायता पाने वाली सभी शिक्षा संस्थाओं में स्थान रक्षित रखे जाते हैं ; और

---

†भूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में विशेषत: दिल्ली में, प्रवेश प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). भारत सरकार ने सब राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया है कि :

(१) २० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित रखे जायें ताकि वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पा सकें ।

(२) जहां पर प्रवेश प्रवेश-परीक्षा द्वारा हो वहां पर ऐसे विद्यार्थियों को ५ प्रतिशत नम्बरों की छूट दी जाये यदि वह निम्न प्रतिशतता अर्हता परीक्षा पास करने के लिये अपेक्षित न्यूनतम स्टेण्डर्ड से नीचे न गिरती हो ।

(३) ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये अधिकतम आय-सीमा में तीन वर्ष की वृद्धि की जाये ।

विश्वविद्यालय ने सामान्यत: पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इन सुझावों को मान लिया है और सम्बन्धित संस्थाओं को आवश्यक निदेश जारी कर दिये हैं ।

प्राथमिक और माध्यमिक प्रावस्थाओं में सीटों का सुरक्षित रखा जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि इन संस्थाओं में प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय सामान्यत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये व्यवस्था करता है यदि वे प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम शर्तों को पूरा करें ।

इस विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित किये हैं :

१. दिल्ली पालीटेक्नीक
२. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज
३. लेडी इर्विन कालिज
४. मौलाना आज़ाद मेडिकल कालिज
५. केन्द्रीय शिक्षा संस्था (सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट आफ़ एजकेशन) ।

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

†*११२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी को दिल्ली प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाने के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन के बारे में भारत सरकार का निर्णय २६ जुलाई १९५९ को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्य आयुक्त, दिल्ली को भेजे गये एक पत्र में दिया गया है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]** ।

बंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को दिल्ली में लागू करना

†*११२६. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई भिखारी अधिनियम को दिल्ली पर लागू करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, १९५९ को, उसमें उचित संशोधन करके, संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में लागू कर दिया गया है । यह उस तिथि से लागू होगा जो कि मुख्यायुक्त सरकारी गजट में अधिसूचित करे ।

भारत को विकास ऋण निधि का ऋण

†*११२७. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को विकास ऋण निधि का ऋण मिलने में इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के कारण विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां क्या हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा

†*११२८. { श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को देश में अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा के गठन के सम्बन्ध में वैज्ञानिक कर्मचारी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं और उनकी जांच कर ली गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) समिति की अभी तक चार बैठकें हो चुकी हैं परन्तु यह अभी तक अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे सकी हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल के लिये छिद्रण

†*११२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल पाने के लिये बदायूं और उझानी के निकट छिद्रण-कार्य शुरू करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भूकम्पीय और विश्लेषणात्मक परीक्षणों का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) २६-८-१९६० को उझानी में कुएं संख्या १ पर खुदाई आरम्भ की गयी और २-९-१९६० तक उसमें २३३ मीटर गहरा छिद्र किया जा चुका था। तेल और गैस के लिये नहीं परन्तु सतह के बारे में भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लिये कुएं का छिद्रण किया जा रहा है।

(ख) भूमि के परिणामों से पता चला है कि उझानी में लगभग १,००० मीटर की गहराई में चट्टानों के निर्माण में परिवर्तन की संभावना है। इस गहराई से ऊपर के चट्टान जैतिज हैं और तुलनात्मक रूप से भूतत्वीय रूप से कम महत्व के हैं और इस गहराई से नीचे के चट्टान अधिक ठोस हैं और वे गुम्बज की शक्ल के बने हुए हैं।

निवेली में मिट्टी साफ करनें का संयंत्र[1]

†*११३०. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली में मिट्टी साफ करने वाले संयंत्र की सप्लाई के लिये टैंडरों की जांच की जा चुकी है ;

(ख) क्या किसी टैंडर को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो जिस फर्म का टैंडर स्वीकार किया गया है उसका क्या नाम है और टैंडर का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) निदेशक मंडल ने मेसर्ज डोर आलिवर (इन्डिया) लिमिटेड, बम्बई के टेंडर मंजूर कर लिये हैं। यह प्रस्ताव एक मशीनीकृत संयंत्र के संभरण के लिये है जो प्रत्येक आठ घंटे की

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Clay Washing Plant.

पारी में १० टन धुली हुई मिट्टी तैयार कर सकेगा। लगभग सारे सामान देश में बनेंगे। यह फ़र्म फालतू पुर्जे और असैनिक इंजीनियरी का सामान भी देगी। इसके अतिरिक्त यह संयंत्र उनकी देखरेख में लगाया जायेगा।

केरल के इस्पात री-रोलिंग कारखाने

†*११३१. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इस्पात री-रोलिंग कारखाने की स्थापना करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस किस को दिया गया है ;

(ग) कारखाने में काम कब शुरू होगा ;

(घ) जिस व्यक्ति को लायसेंस दिया गया है क्या उसे इस्पात तथा किसी अन्य धातु उद्योग का पूर्व-अनुभव है; और

(ङ) क्या सरकार को लाइसेंसधारी की वित्तीय क्षमता के बारे में सन्तोष है ?

†**इस्पत खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जी, हां। मेसर्ज ए० वी० थामस एंड कम्पनी, लिमिटेड, कोचीन को।

(ग) इस मिल के जून, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) लाइसेंस में एक विदेशी सार्थ के सहयोग से मिल लगाने की व्यवस्था है जिनको आवश्यक अनुभव है।

(ङ) राज्य सरकार ने बताया है कि सार्थ के पास री-रोलिंग मिल लगाने और उसे चलाने के लिये वित्तीय क्षमता है ।

बनारस विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम

†*११३२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम शुरू करने की किसी योजना की जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना क्या है और इस समय किस प्रक्रम पर है ;

(ग) क्या शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम का नये एम० बी० बी० एस० मेडिकल पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध होगा ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद कालेज को समाप्त करने का स्वयं सुझाव दिया था ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). स्नातकोत्तर स्तर पर शुद्ध आयुर्वेद के विकास के लिये विश्वविद्यालय की आवश्यकता के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विचार कर रहा है। आयोग इस मामले को शीघ्र ही एक विज़िटिंग कमेटी को भेज देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) और (च). वर्तमान आयुर्वेदिक कालिज को समाप्त नहीं किया जा रहा है परन्तु उसको चिकित्सा विज्ञान कालिज में परिवर्तित किया जा रहा है जिसमें एम० बी० बी० एस० के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी जिसमें आयुर्वेद के तत्व भी शामिल होंगे ।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार

†*११३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी आदि देने के मामले में विदेशों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के लिये विदेशी अर्हता को प्राथमिकता देने के बारे में कोई नियम अथवा आदेश नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पैट्रोलियम उत्पाद

†*११३४. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री सूपकार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत तेल निर्यात संगठन के साथ हाल ही में हुए करार के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से कीमतों में कोई कमी होगी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख) जितने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है, उसके आयात के लिये पूर्णत: सरकारी वितरण संगठन, इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड और सोवियत तेल निर्यात संगठन के बीच १५-७-६० को करार पर हस्ताक्षर हुए थे । अभी तक एक खेप आई है । अभी से यह अनुमान लगाना कठिन है कि रूस से कमी वाले पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

प्रशासनिक सतर्कता विभाग

†*११३५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद् की प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति द्वारा सरकार के कार्य की आलोचना को और उन समितियों द्वारा बताये गये प्रशासनिक सतर्कता विभाग को विशेष छानबीन करने और उनके बारे में शीघ्रता से प्रतिकारक उपाय करने के लिये सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के पश्चात् प्रशासिनक सतर्कता विभाग को कितने मामले सौंपे गये है ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय का प्रशासनिक सतर्कता विभाग यह पता लगाने के लिये लोक लेखा समिति और प्राक्कलन सामति जैसी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों की परिनिरीक्षा करता है कि इन समितियों द्वारा संसद को बतायी गयीं अनियमिताओं में से किसका सम्बन्ध कार्य कुशलता की कमी से है। ऐसी जांच किये जाने पर विशिष्ट बातों को सम्बन्धित प्रशासी मंत्रालयों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा जाता है।

(ख) लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष १९५९ में बताई गई ५३ बातें और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति द्वारा वर्ष १९६० में बताई गई ६१ बातें विभिन्न मंत्रालयों को निर्देशित की गयी हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष १९५९ के प्रतिवेदन में निर्देशित मदों के बारे में की गयी कार्यवाही बतायी गयी है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९२] बाकी मामलों में कार्यवाही लम्बित है।

मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी संस्करण

*११३६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी संस्करण संसद् सदस्यों को उनके अंग्रेजी संस्करण के साथ नहीं बांटे जाते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसद् के पिछले अधिवेशन में कुछ मंत्रालयों की हिन्दी रिपोर्टें उन मंत्रालयों की बजट संबंधी मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद बांटी गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) १४ मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी संस्करण और तीन मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी सारांश, सम्बन्धित मंत्रालयों के अनुदानों की चर्चा होने से पूर्व बांटे गए।

(ख) सात मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी संस्करण, अपनी अनुदान सम्बन्धी चर्चा समाप्त हो जाने के बाद बांटे गए।

(ग) कुछ मंत्रालयों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी संस्करण को छापेखाने से प्राप्त करने में कठिनाइयां पेश आईं। हिन्दी जानने वाले स्टाफ की कमी होने से कुछ मंत्रालयों को भी इस कार्य में देरी हुई। वार्षिक रिपोर्टों के हिन्दी रूपान्तरों को अंग्रेजी रूपान्तरों के साथ वितरण के लिये सब मंत्रालयों को आदेश दिये गये हैं।

दमदम पर सोने का पकड़ा जाना

†*११३७. श्री रघुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ अगस्त, १९६० की रात को दमदम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंगकाक से पश्चिम की ओर जाने वाले एक यात्री से सोने की १९ छड़ें पकड़ीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस बारे में ब्यौरा दिया हुआ है ।

विवरण

६ अगस्त, १९६० की रात्रि को बैंगकाक से एक अमरीकी राष्ट्रजन, श्री एम० जे० बलैकली कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर पहुँचा । श्री बलैकली को उसी रात अर्थात् ७-८-६० की प्रात : २ बजे के वायुयान से कराची जाना था । दमदम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों को संदेह हो गया और उन्होंने श्री बलैकली की तलाशी लेने का निर्णय किया । तलाशी लेने से पहले उन से पूछा गया कि क्या उनके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी घोषणा जरूरी है । उसने बताया कि उसके पास कुछ सोना है और उसके पास से एक रेशमी जाकट ले ली गयी जिसमें सोने की १८ छड़ थीं । उसने एक सोने की छड़ और दी जो चिपकने वाली पट्टी से उसके पैर में लिपटी हुई थी । सोने का वजन और मूल्य क्रमश: ६०० तोला और ७८,००० रुपये पाया गया है । इस मामले में जांच पड़ताल जारी है ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†*११३८. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९-६० में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लघंन की सब से अधिक घटनाऐं हुईं ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यावाही की है ; और

(ग) कितने मामलों में न्याय-निर्णयन की कार्यावाही शुरू हो गयी है ?

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय (एन्फ़ार्समेंन्ट डायरेकरेट) पूरी तरह सतर्क है और अपराधों को पकड़ने और अपराधियों को दण्ड देने के बारे में इसने कार्यकारी पग उठाये हैं ।

(ग) इस वर्ष (१९५९-६०) दर्ज किये गये मामलों में से १०५ मामलों में न्यायिक कार्यवाही आरम्भ की गयी है ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन

†*११३९. श्री हेमराज : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जल्दी निर्वाचन कराने के लिये जैसा कि विधि मंत्री ने लोक-सभा में १ अप्रैल, १९६० को लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सुझाव दिया था, क्या प्रगति हुई है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है और निकट भविष्य में इस पर निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े हुए वर्गों के लिये समाज कल्याण योजनायें

†*११४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय समन्वय समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: सम्बन्धित मंत्रालयों और योजना आयोग से प्रार्थना की गयी है कि वे उन व्यक्तियों के नाम बतायें जिन्हें वे समिति में मनोनीत करना चाहते हैं।

रूरकेला में तेल की पाइप-लाइनों का कारखाना

†*११४१. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला तेल की पाइप-लाइनों के कारखाने में उत्पादन शुरू होने की कौनसी तिथि निर्धारित की गयी है ; और

(ख) आसाम तेल-क्षेत्र से गोहाटी और बरौनी तक तेल की पाइप-लाइनें ले जाने का काम कब शुरू होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सितम्बर, १९६० में।

(ख) पाइप लाइन का वास्तविक निर्माण अक्तूबर, १९६० में आरम्भ होगा।

विदेश जाने वाले भारतीयों को यात्रा कोटा

†*११४२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में विदेशों में जाने वाले भारतीयों को फिर से मूलभूत यात्रा-कोटा देने की मांग पर विचार किया है ;

(ख) यदि मुद्रा (करेंसी) की निर्बाध सीमा को (एक) फिर से २७० रु० कर दिया जाये अथवा (दो) बढ़ा कर ५०० रू० कर दिया जाये तो इस से अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) वर्तमान प्रतिबन्धों से विदेशों से धन भेजने पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां, परन्तु हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते हुए सरकार ने अभी मूलभूत यात्रा कोटा बहाल न करने का फैसला किया है।

(ख) यदि यह माना जाय कि विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वही रहती है जो इस समय है, तो विदेशी मुद्रा के व्यय में लगभग ११७ लाख रुपये की वृद्धि होगी यदि सीमा बढ़ा कर २७० रुपये कर दी जाये। और यदि सीमा बढ़ा कर ५०० रुपये कर दी जाये तो २५५

†मूल अंग्रेजी में

लाख रु० वृद्धि होगी। तथापि, वास्तविक अतिरिक्त उत्तरदायित्व बहुत अधिक होगा क्योंकि सीम में वृद्धि होने से बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विदेश जाने की संभावना है।

(ग) विदेशी यात्रा पर वर्तमान प्रतिबन्धों से विदेशों से धन के प्रेषण पर कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ा है।

निवेली उर्वरक परियोजना के लिये मशीनें

†*११४३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली उर्वरक परियोजना के लिये आवश्यक संयंत्र और मशीनें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उन के कब तक पहुंचने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जी नहीं। निगम द्वारा मेसर्ज़ पिंस्चबामग लिन्डे (Messrs Pintsch Bamag-Linde) पश्चिमी जर्मनी और मेसर्ज़ अन्सालडो (Messrs Ansaldo) इटली के साथ की गई संविदाओं के अनुसार संयंत्र, मशीनों और उपकरणों का संभरण इस महीने आरम्भ हो कर दिसम्बर, १९६१ तक समाप्त होगा।

केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक वर्गीकरण

†*११४४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ से १९५५-५६ तक केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक वर्ष के बजट का आर्थिक वर्गीकरण तैयार करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस की एक प्रति सभा पटल पर कब तक रखे जाने की सम्भावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) आंकड़ों के छांटने और विभिन्न मदों में उन के पुनर्वर्गीकरण का काम लगभग समाप्त हो गया है। इन आंकड़ों को विनियोग लेखों में उपलब्ध आंकड़ों से चैक करने और मिलाने में पर्याप्त समय लगेगा।

(ख) इस कार्य के समाप्त होने पर परिणाम घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

रद्दी लोहा परिष्करण उद्योग[१]

†*११४५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात मंत्रणा परिषद् में रद्दी लोहे का परिष्करण करने के उद्योग को सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Scrap processing industry

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस्पात उद्योग/व्यापार के अलग-अलग विभागों को अलग-अलग प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

महाराष्ट्र में बहुप्रयोजन स्कूल

†२१३२. **श्री पांगरकर:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में जब से बहु प्रयोजन स्कूलों की योजना आरम्भ हुई है, तब से कितने ऐसे स्कूल खोले गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : २२ (१० सरकारी और १२ गैर-सरकारी)

नेपाल को सहायता

†२१३३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री २४ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सरकार को उन की विकास योजना की कार्यान्विति के लिये जो सहायता दी जा रही है, उसमें और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नेपाल को भारतीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी १९६० से निम्न प्रगति हुई है :—

(१) निम्न क्षेत्रों में १.१८ करोड़ रुपये तक सहायता स्वीकार की गई है :—

(१) औद्यानिकी का विकास

(२) पशु चिकित्सा सेवाओं का विकास

(३) त्रिभुवन विश्वविद्यालय का विकास

(४) वन विद्या का विकास

(५) राष्ट्रीय प्राभिलेखों की स्थापना

(६) औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना ; और

(७) इंजीनियरिंग स्कूल की स्थापना ।

नेपाल सरकार तथा विकास बोर्डों आदि के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को निम्न राशि अनुदान देना :—

(१) १९५४ करार के अन्तर्गत छोटी सिंचाई और जल संभरण बोर्ड को ५.५ लाख रुपये

(२) १९५९ करार के अन्तर्गत छोटी सिंचाई और जल संभरण बोर्ड को ६ लाख रुपये

(३) प्रादेशिक परिवहन संगठन को १२ लाख रुपये

(४) शिक्षण संस्थाओं को १.२० लाख रुपये अर्थात् त्रिभुवन आदर्श विद्यालय को ८०,००० रुपये और गांधी स्मारक निधि को ४०,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) प्रसूति गृह तथा बाल कल्याण बोर्ड को १.५ लाख रुपये

(६) ग्राम विकास बोर्ड को ५ लाख रुपये ; और

(३) कामों/सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रगति नीचे दी जाती है :—

(१) त्रिभुवन राजपथ की देखभाल की जाती है, और सड़क चौड़ी करने, मोड़ों को आसान करने तथा उतराई चढ़ाइयों को सुधारनेका काम पूरी तर ह चल रहा है।

(२) त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत, रक्सौल–भेंसे सड़क, नौ टनवा–पोरखारा सड़क, काठमंडू–त्रिसूली सड़क, नेपालगंज—सूरखेत सड़क, धारन–धानकूटा-भोजपुरा सड़क, काठमंडू–सिंधौली–जनकपुर सड़क, धानगढ़ी–डंडेलकुरा–वैराडी सड़क और कृष्णनगर–पियूथाना सड़क पर काम प्रगति पर है। काठमंडू–त्रिसूली सड़क को ट्रकों के चलने योग्य बनाने का काम वर्षा के शीघ्र पश्चात् आरम्भ होगा। वर्षा से पूर्व यह जीप चलने योग्य बनाई गई थी। धनकुट्टा–तेराथूम, काठमंडू–पोखारा सड़क और साल्यान–बिपूथान सड़क का काम भी शीघ्र ही आरम्भ किया जाने वाला है।

(३) छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत, पोखारा काम पर राजगीरी का काम चोटी तक पहुंच गया है। फिरके खोला पर पुल पूरा हो चुका है और उपयोग के लिये खोल दिया गया है। टिका भैरो में २३ पुल और पुलियां बनाई गई हैं और शेष १७ का काम प्रगति पर है। अन्य छोटी सिंचाई परियोजनाओं का काम भी प्रगति पर है।

(४) अमलेखगंज वालम्बू और संखू जल संभरण योजनायें पूरी हो चुकी हैं।

(५) त्रिसूली जल-विद्युत परियोजना के बारे में हैड वर्क्स पावर चैनल, सुरंगों, संतुलन कारी जलाशय और त्रिशूली नदी के ऊपर पुल के कार्यकारी प्राक्कलन तैयार हो चुके हैं। परियोजना क्षेत्र में कर्मचारियों के क्वार्टर और मिलाने वाली सड़कों के निर्माण का कार्य ठेके पर दिया गया है और काम होने वाला है। त्रिशूली पुल का छोटा ढांचा बनाने का काम हाल ही में ठेके पर दिया गया है। शेष कामों के लिये टेंडर मंगवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। ४ लाख रुपये के औजार और मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं।

(६) २८,१९९ वर्ग मील की त्रिकोण माप और १,८२८ लानियर मील तिरछा रखने का काम पूरा हो चुका है। २३,५९४ वर्ग मील का सर्वेक्षण और १७,३३६ वर्ग मील का साफ नक्शा तैयार हो चुका है।

(४) शिक्षा, ग्राम विकास, छोटी सिंचाई, और सड़कों के क्षेत्रों में अधिक शिल्पिक सहायता दी गई है। इंजीनियरी स्कूलों और ग्राम्य संस्थाओं में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फरवरी १९६० से विभिन्न क्षेत्रों में लगभग १७ और शिल्पिक कर्मचारी दिये गये थे।

(ख) अनुमान लगाया गया है कि १ अप्रैल १९५६ से आज तक नेपाल को उन की विकास योजनाओं के लिये शिल्पिक तथा आर्थिक सहायता देने में ४१० लाख रुपये खर्च आ चुके होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी इमारतों में ताश खेलना

†२१३४. { श्री नेक राम नेगी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों (क्लर्कों) को सरकारी इमारतों में ताश खेलने से रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने इस अपराध वालों के लिये क्या दंड निर्धारित किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकार ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांगड़ा में तम्बाकू की खेती

†२१३५. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में बहुत थोड़ी भूमि में तम्बाकू की खेती होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक कामों के लिये इस जिले में तम्बाकू नहीं बीजा जाता ;

(ग) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिला को तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया था ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में कांगड़ा जिले से तम्बाकू के उत्पादन शुल्क से कितनी आय हुई ; और

(ङ) तम्बाकू के उत्पादन शुल्क के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा उपरोक्त अवधि में उन पर कितना व्यय हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) सामान्यतया वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये इस जिले में तम्बाकू नहीं बोया जाता ।

(ग) पहाड़ी, जंगल और मरूस्थल क्षेत्र योजना के अन्तर्गत प्रयोगात्मक उपाय के तौर पर कांगड़ा जिला में तम्बाकू की खेती पर पहले उत्पादन शुल्क नहीं लगता था । १९५८ में इस योजना के स्थान पर "बहु अधिकारी-क्षेत्र योजना' लाई गई जिस के अन्तर्गत तम्बाकू की खेती अधिसूचित (प्रमुख रूप से गैर वाणिज्यिक) और गैर अधिसूचित (प्रमुख रूप से वाणिज्यिक) क्षेत्रों में विभाजित कर दी गई । अधिसूचित क्षेत्रों में साधारणतया सब भूतपूर्व पहाड़ी, जंगली और मरुस्थल क्षेत्र तथा मैदानों के ऐसे ही न उगने वाले क्षेत्र शामिल हैं । कलक्टर, जिन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों १९४४ के नियम १५ और १६ में निर्धारित २० सैंटों और १०० पौंड की कुल सीमाओं के अन्तर्गत क्षेत्र अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, मुख्य रूप से स्थानीय हालतों और इस विचार

†मूल अंग्रेजी में

से कि योजना को, इस प्रकार से चलाया जाय कि बड़ी संख्या में छोटे खेतिहरों को छोड़ दिया जाय, काम करते हैं। तदनुसार कांगड़ा जिले में छः सैंटों तक खेती करने वालों और ४० पौंड तक पैदा करने वालों को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है।

(घ) वर्ष — केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

१९५७–५८ .	२४,५३० रुपये
१९५८–५९ .	२३,६२० रुपये
१९५९–६० . .	३३,०३८ रुपये

(ङ) (१) कर्मचारियों की नियुक्ति :—

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इंस्पैक्टर .	एक
(ख) केन्द्रीय उत्पादन सिपाही	एक

(२) वर्ष — व्यय

१९५७–५८ .	४,८६० रुपये
१९५८–५९ .	४९,५६ "
१९५९–६० . . .	५,०५२ "

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता

†२१३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक दिल्ली के कितने राजनीतिक पीड़ितों ने वित्तीय सहायता सरकार से मांगी है ; और

(ख) कितने लोगों को यह सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ३१-८-६० तक ६३।

(ख) ३१-८-६० तक ४९।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम

†२१३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक भारत में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत कितने अपराधों के मामले उठाये गये हैं ; और

(ख) कितने प्रतिशत मामलों में अभियुक्तों को दंड मिला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गाजीपुर का अफीम का कारखाना

२१३८. **श्री ह० प्र० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में गाजीपुर में अफीम के कारखाने को कितना शुद्ध लाभ हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) श्रमिकों को बोनस के रूप में कुल कितना धन दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ८१,७५,५९५ रुपये ।

(ख) कुछ नहीं । यह कारखाना कोई व्यापारिक संस्था नहीं है और इस के ज्यादातर कर्मचारी मादक द्रव्य विभाग (नारकाटिक्स डिपार्टमेंट) में नियमित रूप से काम करते हैं इसलिये लाभ में हिस्सा बटांने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

दिल्ली में अपहरण के मामले

†२१३९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६० में अब तक अपहरण के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) उन में कितने लड़के और कितनी लड़कियां थीं ;

(ग) उन में से कितने ढूंढ लिये गये ; और

(घ) शेष को ढूंढने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) २५.८.६० तक ६

(ख)	लड़के (छोटे) .	१
	पुरुष . . .	१
	स्त्रियां . . .	४

(ग) ४ ।

(घ) शेष व्यक्तियों को ढूंढने के लिये जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं । उन के मामलों की जांच और खोज जारी है ।

दिल्ली में उर्दू का विकास

†२१४०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार को उर्दू भाषा के विकास के हेतु अनुदान के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या स्वरूप है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिमला के पास बालिका आश्रम

†२१४१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला के पास एक बालिका आश्रम स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ९ मार्च, १९६० से शिमला के पास समर हिल के एक दान दी गई इमारत में एक बालिका आश्रम खोल दिया गया है। इस समय वहां १९ बालिकाएं हैं।

हिमाचल प्रदेश में शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मामले

†२१४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत १९५९ में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) उन में से कितने लोगों को दंड मिला; और

(ग) बिना लाइसेंस शस्त्रास्त्र बनाने को रोकने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १३१.

(ख) १२९.

(ग) पुलिस निगरानी रख रही है।

पंजाब में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

†२१४३. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के किन स्थानों पर त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिये कालेज स्थापित किये गये हैं;

(ख) १९५९-६० में इन कालेजों को कितनी सहायता दी गई थी और कब;

(ग) जिन कालेजों में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था है उनको कितनी विशेष सहायता दी गई है या देने का विचार है; और

(घ) इन कालेजों में विज्ञान सम्बन्धी उपकरण के लिये कितनी सहायता देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ख) मार्च, १९६० में १२,९२,००० रुपये दिये गये थे।

(ग) तथा (घ). त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता में विज्ञान की पढ़ाई और विज्ञान सम्बन्धी उपकरण का उपबन्ध किया गया है। अतः ऐसे कालेजों को कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती।

कालेज अध्यापकों के वेतन-क्रम

†२१४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में कालेज अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को केन्द्र ने कितना अनुदान मंजूर किया है; और

(ख) क्या सब राज्यों ने अनुदान का पूर्ण उपयोग किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस काम के लिये विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४**]। इस के लिये राज्य सरकारों को अनुदान नहीं दिया जाता। अनुदानों के उपयोग के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

लक्कदीव में शिक्षा का विकास

†२१४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्कदीव द्वीप में संघ राज्य-क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिये १९५९–६० में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५**]

इस्पात का उत्पादन

†२१४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) १९५९–६० में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९५९–६० में तैयार इस्पात का उत्पादन १८७१००० टन था।

(ख) १९५८–६० में उपयोग १.४३ पौण्ड बढ़ गया है।

मनीपुरी नृत्य

†२१४७. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९५८–५९ और १९५९–६० में मनीपुरी नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी, हां।

(ख) १९५८–५९ . . . २०,००० रुपये
१९५९–६० . . . २७,००० रुपये

दिल्ली में प्राइमरी स्कूल

†२१४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने प्राइमरी स्कूल हैं;

(ख) उन में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या दिल्ली में तुरन्त प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ाना जरूरी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ६५५.

(ख) लगभग २,१६,०००.

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में तम्बाकू की खेती

†२१४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–६० में पंजाब में कितनी भूमि में तम्बाकू की खेती की गई;

(ख) **उस पर** उत्पादन शुल्क से कितनी आय हुई;

(ग) १६५६–६० में विदेशों को तम्बाकू भेजने के लिये क्या प्रयत्न किये गये; और

(घ) पंजाब में क्रेताओं के अभाव में खेतिहरों के पास कितना माल पड़ा रहा और उसका मूल्य कितना था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ४,८६० एकड़ ।

(ख) चूंकि किसी राज्य विशेष में पैदा तम्बाकू को बिना शुल्क राज्य में या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की अनमति है, और शुल्क लाइसेंस वाले से लिया जाता है जो आखिरकार घरेलू उपयोग के लिये इसे साफ करता है, इसलिये किसी राज्य में तम्बाकू की किसी फसल से मिलने वाले उत्पादन-शुल्क की राशि सही सही नहीं बताई जा सकती । तथापि, पंजाब में १६५६–६० में तम्बाकू की खेती से संभावित आय का अनुमान २५.१० लाख रुपये लगाया गया है ।

(ग) तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न उपाये किये गये हैं :—

(१) विदेशों में तम्बाकू एकस्वाधिकारियों और प्रसिद्ध सिगरेट निर्माताओं को तम्बाकू के नमूने भेजे जाते हैं तथा विदेशों में भारतीय राजदूतावासों में शो केसों में इनका प्रदर्शन किया जाता है ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में तम्बाकू का प्रदर्शन किया जाता है ।

(३) द्विपक्षीय व्यापार करार में तम्बाकू शामिल किया जाता है ।

(४) जर्मनी शौक के अनुसार तम्बाकू पैदा करने के लिये जर्मन तम्बाकू विशेषज्ञ की सहायता से तम्बाकू की खेती की जाती है ।

(५) उत्पादन केन्द्र से पत्तनों तक रेल द्वारा तम्बाकू ले जाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाती है ।

(६) तम्बाकू अधिकारियों द्वारा तम्बाकू के महत्वपूर्ण बाजारों का लगातार सर्वेक्षण किया जाता है । इस समय ये सर्वेक्षण हांगकांग और अन्तवर्प (बिल्जियम) स्थित पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन के अतिरिक्त, तम्बाकू विस्तार सेवा संगठन और गुण प्रकार बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिये स्थापित विभिन्न प्रयोगात्मक फार्मों तथा अनुसंधान केन्द्रों के द्वारा देश में इसका प्रचार बढ़ाने का विचार किया गया है।

(घ) जहां तक सरकार को विदित है, क्रेताओं के अभाव में किसानों के पास तम्बाकू पड़ा नहीं रहता।

दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में विधि और व्यवस्था

†२१५०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की समस्या की जांच करने तथा इसे सुधारने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) और (ख). समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं किन्तु अभी इन पर यूनिवर्सिटी की कार्यपालिका परिषद ने विचार नहीं किया है। इसलिये इस स्तर पर सिफारिशें बताना वांछनीय नहीं होगा।

अन्दमान में विस्थापित व्यक्ति

†२१५१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा चुका है; और

(ख) अभी और कितने विस्थापित व्यक्तियों को अन्दमान में बसाना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) १०,२४३।

(ख) अन्दमान में बस्ती बसाने की वर्तमान योजना के अनुसार २०,००० व्यक्तियों के कुल ४ हजार परिवारों को अन्दमान में बसाना है। पुनर्वास के लिए विस्थापित व्यक्तियों की कोई निश्चित संख्या अलग से नहीं रखी गयी है। अभी तक बसाये गये विस्थापित परिवार बसाये गये कुल परिवारों के ८० प्रतिशत से अधिक हैं।

भारत में पाकिस्तानी

२१५२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने पाकिस्तानी मुसलमान भारत में बिना पार-पत्र के अवैध रूप से रह रहे हैं;

(ख) क्या इन में से कुछ लोग राष्ट्र-विरोधी तथा सरकार-विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेते हुए पकड़े गये हैं; और

(ग) क्या भारत में इस प्रकार अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों के बारे में सरकार ने कोई नीति निश्चित की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

क्रय-अवक्रय[1] सम्बन्धी विधि

†२१५३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में क्रय-अवक्रय सम्बन्धी विधि का परीक्षण किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब विधान प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) विधि आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है ।

(ख) विधान तैयार करने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कि सरकार को विधि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाये और इसलिए इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सरकार उस पर क्या कार्यवाही करेगी ।

वित्तीय नियम तथा लेखापालन प्रक्रिया

†२१५४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री ३० मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान स्थिति की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वित्तीय नियमों तथा लेखापालन प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : संलग्न विवरण में जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]**

रिहा कैदियों का पुनर्वास

†२१५५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री हाल्दर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहा कैदियों के पुनर्वास तथा बाद की देखभाल सम्बन्धी योजना की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Hire-Purchase.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: जेल परामर्शदात्री समिति, दिल्ली ने रिहा कैदियों के पुनर्वास तथा बाद की देखभाल की योजना मंजूर कर ली है और उसके वित्तीय मामलों का परीक्षण किया जा रहा है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्

†२१५६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७८ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को संविहित रूप देने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : भारत सरकार का यह विचार है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् का रूप अभी बदलना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के बीच सहकार्य

†२१५७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के बीच सहकार्य सीमा और क्षेत्र बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी या किये जाने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के बीच सहकार्य का रूप यह होता है कि अनुसन्धान-कार्यकर्त्ता और विद्वान्, भाषणों, चर्चाओं, विचार विमर्शों और गोष्ठियों में भाग लेते हैं। विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और विशेषज्ञ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की अनुसंधान समितियों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यकारिका परिषदों में भी सदस्यों के तौर पर मनोनीत होते हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों के छात्रों को भाषण देते हैं और उनमें से कुछ तो विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अनुसन्धान कार्यकर्त्ताओं के परीक्षक के तौर पर भी काम करते हैं।

जहां कहीं सम्भव होता है, विश्वविद्यालयों के छात्रों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान की सुविधाएं दी जाती हैं। कई विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य को पी० एच० डी०, डी० एस० सी० जैसी उच्चतर उपाधियां प्रदान करने के लिये मान्यता दी है।

---

†पूछ अंग्रेजी में

उद्योगो में भूतपूर्व सैनिकों का उपयोग

†२१५८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री हेमराज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों की बुद्धि और अनुभव का विभिन्न उद्योगों में उपयोग करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इस सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें करने के लिये एक अध्ययन दल बनाया गया है और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

फीरोजपुर में ज्योति परियोजना

†२१५९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों के आवास के लिये फीरोजपुर में ज्योति परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : २५-८-१९६० को क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में प्रगति इस प्रकार रही :—

(क) आफिसरों के क्वार्टर	३२ प्रतिशत
(ख) जे० सी० ओ० के क्वार्टर	३०.८३ प्रतिशत
(ग) अन्य श्रेणियों के क्वार्टर	४९.७० प्रतिशत
(घ) नान कम्बेटेन्ट्स (इन फील्ड) के क्वार्टर	४३.७० प्रतिशत

नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवक केन्द्र

†२१६०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मन्त्री २१ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय युवक केन्द्र के विकास के लिये आवश्यक भूमि देने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय जमीन दिये जाने की प्रार्थना पर अभी छानबीन कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जेल मैन्युअल

†२१६१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल मैन्युअल का मसविदा छापा जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति टेबल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख) जेल मैन्युअल का मसविदा छापा जा चुका है और उसकी प्रतियां राज्य सरकारों को उनकी राय के लिये भेज दी गयी हैं। प्राप्त टिप्पणों को ध्यान में रख कर जेल मैन्युअल के मसविदे का परीक्षण किया जायगा और अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद एक प्रति सभा की टेबल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में मिर्जा गालिब का मकान

†२१६२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मिर्जा गालिब के मकान को हस्तगत कर उसे राष्ट्रीय स्मारक का रूप देने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : राष्ट्रीय स्मारक का रूप देने के लिये उस सम्पत्ति को नहीं लेने का निश्चय किया गया है।

दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला

†२१६३. श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला (नैशनल थियेटर) पूरी तरह तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: नाट्यशाला की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपकरणों और औजारों का डिजाइन तैयार करने वाली संस्थाएं

†२१६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रदेशों में उपकरणों और सूक्ष्मता-औजारों को बनाने और उनके विकास के लिये संस्थायें स्थापित करने की योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) उपकरण और सूक्ष्मता-औजारों को बनाने और उनके विकास के लिये प्रादेशिक संस्थायें स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में विदेशी

२१६५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लगभग कितने विदेशी रह रहे हैं ; और

(ख) उसमें कितने प्रतिशत चीनी हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार १-७-१९६० को रजिस्टर्ड विदेशियों (राष्ट्रमण्डल और पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़ कर) की संख्या ५३,४१२ थी, और

(ख) २३ ।

सशस्त्र सेना में विदेशी

२१६६. **श्री पद्मदेव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में सेना, नौसेना और वायु सेना में कितने विदेशी राष्ट्रजन थे;

(ख) इनमें से कितने अफसर, टैक्नीशियन और अन्य सैनिक थे और ये किन किन देशों के रहने वाले हैं; और

(ग) आयुध कारखानों में कितने विदेशी राष्ट्रजन काम कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सेना, नौसेना और वायु सेना में इस समय सेवा कर रहे विदेशी राष्ट्रीयता के २४ व्यक्ति काम कर रहे हैं । १४ (जिनमें ५ सेवा निवृत्ति से पूर्व अवकाश पर हैं) इस समय प्रतिरक्षा कारखानों में

---

†मूल अंग्रेजी में

काम कर रहे हैं। इन आंकड़ों का, उनकी पद नियुक्ति और सम्बद्ध देशों पर आधारित विभाजन इस प्रकार है।

सेना

सशस्त्र सेवा आफिसर (तकनीकी)	१ आर्मेनिया
सशस्त्र सेवा आफिसर (अतकनीकी)	२ श्रीलंका
असैनिक आफिसर (तकनीकी)	१ श्री लंका
अवर श्रेणी (अतकनीकी)	२ (श्रीलंका १) (बर्मा १)
असैनिक नानगजिटिड (तकनीकी)	१ यू० के०
कुल संख्या	७

नौ सेना

सशस्त्र सेवा आफिसर (तकनीकी)	१ यू० के०
असैनिक आफ़िसर	१ यू० के०
कुल संख्या	२

वायु सेना

सशस्त्र सेवा आफिसर (तकनीकी)	२ (बर्मा १) (अफगानिस्तान १)
असैनिक आफ़िसर (तकनीकी)	१२ (यू० के० १०) (फ्रांस २)
असैनिक आफ़िसर (अतकनीकी)	१ यू० के०
कुल संख्या	१५

प्रतिरक्षा कारखाने

असैनिक आफिसर (तकनीकी)	११ (यू० के० ९) (आयरलैण्ड १) (जर्मनी १)
असैनिक (नानगजिटिड तकनीकी)	२ (बर्मा १) (वेस्ट इण्डीज़ १)
असैनिक (नानगजिटिड अतकनीकी)	१ पाकिस्तान
कुल संख्या	१४
कुल जोड़	३८

विदेश भेजे गये इंजीनियर

२१६७. **श्री पद्म देव:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १६ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ और १९५९–६० में विदेश भेजे गये इस्पात-कारखाने के इंजीनीयर वापस आ गये हैं ;

(ख) क्या वे इंजीनीयर नये स्नातक थे या सरकारी कर्मचारी थे; और

(ग) उपरोक्त इंजीनीयरों के अतिरिक्त और कितने इंजीनीयरों की सरकार को आवश्यकता है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विदेश भेजे जाने वाले तथा विदेश से वापिस आने वाले इंजीनीयरों की संख्या इस प्रकार है :—

	भेजे गये	वापिस आये
१९५८–५९	२६८	२४४
१९५९–६० . . .	२९२	१३०

(ख) अधिकतर इंजीनीयर नये स्नातक थे और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा भर्ती किये गये थे। इन्हें भारतवर्ष में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के पश्चात् विदेश भेजा गया था।

(ग) दस लाख टन के तीन इस्पात संयंत्रों के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को लगभग २००० इंजीनीयरों की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश में खाम्पा लोग

२१६८. **श्री पद्म देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खाम्पा लोगों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने खानाबदोशों की तरह रहते हैं और कितने अपने मकानों में ;

(ग) क्या उनका पंजीयन किया गया है या नहीं ; और

(घ) उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में ४०४ खाम्पा हैं। वे अधिकतर सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और, इसलिए, कार्य की स्थिति के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।

(ग) सिवाये उन खाम्पा लोगों के, जो कि इस प्रदेश में १५ वर्ष या इससे अधिक समय से रहते हैं और जो भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं, सब का पंजीयन किया गया है।

(घ) इन व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र

२१६९. **श्री पद्म देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव और जिला मैजिस्ट्रेटों ने १९५८ और १९५९ में

†मूल अंग्रेजी में

कितनी-कितनी बार पागी (जिला चम्बा) चीनी, हंगरंग और शिपकिला (जिला महासू) का दौरा किया ; और

(ख) क्या उन्होंने उस क्षेत्र के बारे में भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय दौरा नहीं करते हैं और, इसलिये, इन क्षेत्रों में उनके दौरे करने का प्रश्न ही नहीं उठता । सन् १९५८ और १९५९ में चम्बा के जिला मैजिस्ट्रेट पांगी का दौरा नहीं कर सके । इस वर्ष उनको पांगी का दौरा करने तथा अपने दौरे की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिये गये हैं । इन वर्षों में महासू के जिला मैजिस्ट्रेट भी चीनी, हंगरंग और शिपकला का दौरा नहीं कर सके । अभी बनाये गये नये किन्नौर जिले में इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है और ये अब एक अलग मैजिस्ट्रेट के अधीन हैं ।

त्रिपुरा में हरिजन परिवार

†२१७०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानपुर तहसील, सदर डिविजन, त्रिपुरा के अधीन जगतपुर (ठक्करबप्पानगर) में करीब ६२ हरिजन परिवारों को जमीन का बंदोबस्त दिया जाने वाला था किन्तु वह अभी तक नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस देर के क्या कारण हैं ; और

(ग) वे संभवत : कब तक दिये जायेंगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख) जगतपुर गांव के ६५ परिवारों ने जिनमें १० परिवार अनुसूचित जातियों के और ५५ परिवार अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, एक सहकारी कृषि समिति बनायी है जो अधिनियम के अधीन पंजीकृत हुई है । इस समिति के पक्ष में नजराना-माफ २५ द्रोण और ६ कनीस जमीन के बंदोबस्त का प्रस्ताव मंजूर किया गया है । पहले तीन साल के लिए लगान का भुगतान भी समिति के लिए माफ कर दिया गया है ।

दिल्ली में लोहे और इस्पात की चोर-बाजारी

†२१७१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि लोहा और इस्पात जिसकी बहुत कमी है और जो निर्माताओं को नहीं मिलता, दिल्ली के बाजारों (मोतिया खान) में बहुत ऊंची दर पर खुले आम काफी मात्रा में मिलता है ; और

(ख) इस विषय में सरकार का क्या करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हो सकता है कि कुछ इस्पात न केवल दिल्ली में वरन् अन्यत्र भी निर्धारित मूल्य से ऊंचे दाम पर गैर-कानूनी ढंग से बेचा जाता हो किन्तु निर्धारित मूल्य पर जो मात्रा बेची जाती है उसकी तुलना में वह मात्रा बहुत अधिक नहीं हो सकती ।

(ख) मूल्यों पर नियंत्रण रखना यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । कमी की हालत में, यह कुछ थोड़ा कठिन हो जाता है जब कि उपभोक्ता स्वयं इस्पात बेचते हैं । सरकार को आशा है कि सप्लाई बढ़ायी जायगी और इससे सच्चे निर्माताओं और उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर अपनी आवश्यकता के लिए इस्पात प्राप्त करना संभव हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए लोहा और इस्पात

†२१७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन अनुज्ञप्ति-अवधियों में राजस्थान के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कुल कितना लोहा और इस्पात मंजूर किया गया और उसमें से वास्तव में कितना दिया गया ; और

(ख) उसी अवधि में छोटे उद्योगों का कोटा रखने वाले स्टाकिस्टों को इसमें से कितनी मात्रा दी गयी और इसमें से कितनी मात्रा बफर स्टाक के तौर पर रखी जानी थी और कितनी खुली बिक्री के काम में लायी गयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) पिछली तीन अनुज्ञप्ति अवधियों में राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए लोहा और इस्पात निम्नलिखित प्रकार से नियत किया गया था :

अप्रैल–जून, १९५९	२३२३ टन
जुलाई–सितम्बर, १९५९	२५७३ टन
अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६०	८६२० टन

उपरोक्त नियतन में से, १९५९–६० में १३२१ टन रवाना किया गया ।

खासकर छोटे पैमाने के उद्योगों के हिस्से के लिए कोई रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट नहीं है किन्तु लघु-उद्योग-उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता के लिए या तो नियंत्रित स्टाकिस्ट या रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट से मिल सकता है और वह इस बात पर निर्भर होगा कि उसको कोटा प्रमाणपत्र मिलता है या राज्य सरकार से परमिट मिलता है । राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि छोटे पैमाने के उद्योगों का कोटा रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को नहीं दिया गया है । इसलिए खुली बिक्री का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । अभी तक किसी भी नियंत्रित स्टाकिस्ट को राजस्थान में खुली बिक्री करने की अनुमति नहीं दी गयी है ।

रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को कोई बफर स्टाक रखने की अनुमति नहीं दी गयी है किन्तु नियंत्रित स्टाकिस्टों के मामले में भी, बफर स्टाक के तौर पर अलग से कोई स्टाक नहीं रखा जाता और यदि कोटा रखने वाले मांगते हैं तो वे सारा का सारा स्टाक बेचने के लिए स्वतंत्र हैं ।

उत्तर प्रदेश में खांडसारी चीनी पर उत्पादन-शुल्क

†२१७३. **श्री राम शरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में उत्तर प्रदेश में खांडसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क से कितनी रकम वसूल हुई और प्रत्येक महीने में कितनी हुई ;

(ख) केन्द्र प्रसारी मशीनों पर वैकल्पिक संयुक्त कर का वसूल की गयी रकम पर क्या प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) कितने प्रतिशत निर्माताओं ने वैकल्पिक संयुक्त कर के लिए इच्छा प्रकट की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२१७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में अब तक पंजाब राज्य में शिवालक पहाड़ियों में कोई विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रदेश में कोई कीमती खनिज पदार्थों का पता लगा है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में और आगे खोज करने की सरकार की कोई योजना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने १९६० में पंजाब राज्य में शिवालक पहाड़ियों में २९४ वर्ग मील का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया था। इसके अलावा, स्तर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए रेखीय भूतत्वीय सारैखिक मापन संबंधी काफी काम शुरू किया गया है ।

(ख) कोई आर्थिक खनिज नहीं पाये गये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोक-कोयले का उत्पादन

†२१७५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोक-कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए "वाणिज्यिक वृत्तों" में अभी कोई उत्साह नहीं दिखायी पड़ता है क्योंकि सरकार की ओर से कुछ निर्बन्धन लगाये गये हैं और पर्याप्त सहायता की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के निर्बन्धन हैं और इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि ओपन-कास्ट खनन तरीके के उपयोग से; जो केवल तभी काम में लाया जा सकता है जब कि सरकार पर्याप्त राजसहायता देने के लिये तैयार हो, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मूल्य पर उत्पादन लाभ-प्रद नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी राज सहायता देने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) और (ख) : यह तो अपनी अपनी राय का विषय है । सरकार को ऐसे किन्हीं निर्बन्धनों के बारे में जानकारी नहीं है जो कोक–कोयले के अतिरिक्त उत्पादन में बाधा पहुंचाये । जो भी सहायता संभव है वह उद्योग को दी जा रही है ।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि वर्तमान मूल्य पर उत्पादन सामान्यतया लाभप्रद नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ओपन-कास्ट खनन के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव उद्योग से प्राप्त होने पर कोयला बोर्ड उस पर सावधानी से विचार करेगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

†२१७६. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० की पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण-योजनाओं के बारे में अपने प्रगति-विवरण नहीं भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने नहीं भेजे हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). वर्ष १९५८–५९ के प्रगति विवरण सभी राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष १९५९–६० के लिये पहली छमाही के प्रगति विवरण भी सभी राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी छमाही के विवरण जो ३० जून, १९६० को दिये जाने थे, उड़ीसा को छोड़कर किसी राज्य से प्राप्त नहीं हुए हैं।

शिमला से महालेखापाल के कार्यालय का चंडीगढ़ ले जाया जाना

†२१७७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल का कार्यालय शिमला से चंड़ीगढ़ लाया जायेगा; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) महालेखापाल, पंजाब का कार्यालय शिमले से चंडीगढ़ लाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

(ख) सामान्य नीति यह है कि जब भी कभी संभव हो, महालेखापाल का कार्यालय उसी जगह पर रहे जहां संबंधित राज्य सरकार का सचिवालय हो।

मध्य प्रदेश में अफीम का तस्कर-व्यापार

†२१७८. **श्री राम सिंह भाई वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में १ मार्च, १९६० से १५ जून, १९६० तक अफीम का तस्कर व्यापार करने वाले कितने गिरोह पकड़े गये ;

(ख) इन गिरोहों से कितने मूल्य की अफीम, कुल नकदी और विभिन्न वाहन पकड़े गये; और

(ग) इन में से कितने गिरोह और वाहन मध्य प्रदेश के थे और कितने अन्य राज्यों के थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ७

(ख) ३७,८४३ रुपये की गैर-कानूनी अफीम, ९२९५ रुपये के करंसी नोट और ५ कीमती मोटर गाड़ियां (कारें) ज़ब्त की गयीं ।

(ग) जो ७ गिरोह पकड़े गये उन में से २ मध्य प्रदेश और २ राजस्थान के जान पड़े और एक एक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आया था । ज़ब्त की गयी ५ मोटर गाड़ियों में से मध्य प्रदेश की कोई न थी ; दो मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्री बम्बई में और एक एक की उत्तर प्रदेश, मैसूर और दिल्ली में हुई थी ।

रूसी नृत्य और संगीत में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां

†२१७९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी ।
श्री नेकराम नेगी ।

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी नृत्य और संगीत में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृतियों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की क्या शर्तें हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां। तीन छात्रवृतियों का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि अध्ययन के क्षेत्र और विद्यार्थियों की अर्हताओं के बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) छात्रवृत्तियां एक से लेकर तीन साल के लिए हो सकती हैं और उस में ९०० रूबल प्रतिमास निर्वाह भत्ता, १५०० रूबल मनोरंजन भत्ता और ३००० रूबल कपड़ा भत्ता शामिल है । इस के अलावा, निःशुल्क आवास, चिकित्सा, सहायता, पूरा अध्ययन यात्रा भत्ता, जहां आवश्यकता हो और पाठ्यक्रम पूरा हो जाने पर मास्को से दिल्ली तक का एक तरफ का किराया भी दिया जायगा ।

खुली नाट्यशाला

†२१८०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में चार खुली नाट्यशालायें स्थापित की जाने वाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन के स्थानों का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यह कब स्थापित हो जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री (हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). खुली नाट्य शालाओं की स्थापना करने के लिये कुछ स्थान देखे गये हैं; परन्तु इस दिशा में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

मलयालम अखबार को विदेशी सहायता

†२१८१. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल के कोट्टयम के प्रकाशित मलयालम दैनिक 'केरल ध्वनि' को विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). कोई नियमित रूप से जांच तो नहीं की गयी, परन्तु पता चला है कि कुछ सहायता विदेशों से प्राप्त हुई है ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में प्रशासन क्षमता सम्बन्धी समिति

†२१८२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में प्रशासन क्षमता के लिये समिति का निर्माण किया है ; और

(ख) इस समिति में कौन व्यक्ति हैं, और इस के निर्देश पद क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत सरकार ने प्राक्कलन समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की व्यापक छान बीन और परीक्षण और पुनर्गठन करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाय ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

कठपुतली का तमाशा

२१८३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकास खण्डों में कठपुतली के तमाशे दिखाये जा रहे हैं और जनता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये तमाशे दिखाये जा रहे हैं और क्या अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के कठपुतली के तमाशे करवाने की कोई योजना है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास में । दूसरे राज्यों में तमाशे दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में अफगान राष्ट्र जन

†२१८४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में रुपया उधार देने वाले काबलियों (अफगान राष्ट्रजन) की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** भारत में पंजीबद्ध अफगानों की संख्या जनवरी १९६० में ७२१३ थी। इस में मैसूर और राजस्थान में रहने वाले अफगान सम्मिलित नहीं। रुपया उधार देने वाले अफगानों की संख्या ३,२८३ है ।

अन्डमान में भूमि का अलाट किया जाना

†२१८५. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन शर्तों के अ तर्गत एक व्यक्ति कमल दास को १०० एकड़ भूमि अलाट की गयी है ;

(ख) क्या इस अलाटमेंट के लिए टैंडर मांगे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो आने वाले टैंडरों की संख्या क्या थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) सर्वश्री कमलदास और जे० एम० शाह को संयुक्त रूप में १ अप्रैल, १९५९ से ३० वर्षों के लिए भूमि दी गयी है । किन शर्तों पर यह भूमि दी गयी है उसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ख) अंडमान निकोबार द्वीप (भूमि धृति) विनियमन १९२६ तथा उसके बाद बनाये जाने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत बिना कुछ अधिमूल्य लिए व्यक्तिगत लोगों को दी जा सकती है । इस विनियमन के खंड (क) की धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वहां के मुख्यायुक्त को वहां के किसी व्यक्ति को लम्बी खेती के लिए ३० वर्ष से अनधिक अवधि के लिए भूमि देने के अधिकार प्राप्त हैं । यह खेती नारियल, काफी और रबड़ की प्राय: होती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

मद्रास और मैसूर को कच्चे लोहे का सम्भरण

†२१८६. **श्री आगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के दक्षिण भारतीय व्यापार मंडल तथा मद्रास और मैसूर राज्य के विभिन्न ढलाई घ रों की ओर से कच्चे लोहे के परिवहन में होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया गया है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में मद्रास तथा मैसूर राज्यों को कुल कितने कच्चे लोहे का संभरण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दिसम्बर, १९५९ के पूर्व लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा कच्चे लोहे के प्रेषणों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते थे । दिसम्बर, १९५९ से जून १९६० तक मुख्य उत्पादकों द्वारा मद्रास तथा मैसूर को निम्नलिखित मात्रा में कच्चा लोहा भेजा गया :

मद्रास	--	३७६० टन
मैसूर	--	२४३७ टन

बुलन्दशहर में पुरातत्व अवशेष

२१८७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला बुलन्दशहर के अहार गांव में और इसके आस पास पुरातत्व के अवशेष मिले हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि यह अवशेष किस काल के हैं ; और

(ग) क्या पुरातत्व विभाग का अहार गांव में एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी, हां ।

(ख) अधिकांश अवशेष १०वीं, ११वीं शताब्दी या उसके पहले के हैं । कुछ सिक्के एक या दो शताब्दी पहले के हो सकते हैं :

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†२१८८. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में होने वाली गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

२१८९. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री बसु मतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें मिली हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उन में से कितनी शिकायतों को अब तक निबटाया जा चुका है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) जुलाई, १९५७ से लेकर जून १९६० तक ७१०.

(ग) ५७९.

उच्च शिक्षा हेतु अन्य राज्यों तथा विदेशों में भेजे गये हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी

†२१९०. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में अपने खर्चे से (१) विदेशों में अध्ययन करने और (२) भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थी भेजे गये थे ; और

(ख) इन दोनों श्रेणियों के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा केवल सेवारत अधिकारियों को ही उच्च प्रशिक्षण हेतु सरकारी खर्चे से भेजा जाता है । हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं उन्हें यथासंभव छात्रवृत्तियां और वजीफे दिए जाते हैं । ऐसे विद्यार्थियों को राज्य-प्रशासन और भारत सरकार द्वारा १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में मंजूर की गई छात्रवृत्तियांओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश में स्कूल

†२१९१. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री बसुमतारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई योजना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में समस्त मिडिल तथा हाई स्कूलों को क्रमशः १० एकड़ और ५० एकड़ भूमियां दी जानी हैं ;

(ख) कितने स्कूलों को ऐसी भूमियां दी जा चुकी हैं ; और

(ग) कितने स्कूलों को निकट भविष्य में ऐसी भूमियां दी जाने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) प्रत्येक मिडिल एवं हाई स्कूल को भूमि देने की कोई योजना नहीं है । हां, जो स्कूल बेसिक प्रणाली में परिवर्तित किए जाते हैं उन्हें यथा-शीघ्र भूमि दी जाती है । ऐसे स्कूलों को ५ बिस्वा से लेकर ४६ बीघे तक भूमि दी गई है ।

(ख) हाई स्कूल — २१
मिडिल स्कूल — २३

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) २०० प्राइमरी स्कूलों को जूनियर बेसिक स्कूलों में और २० मिडिल स्कूलो को सीनियर बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने का विचार किया जा रहा है। इन स्कूलों को यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाएगा।

ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गये ऋण

†२१९२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात गारंटी अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत ब्रिटेन के माल और सेवाओं के भुगतान के लिए भारत के स्वतंत्र होने के समय से अब तक कितने ऋण दिए गए हैं ; और

(ख) भारत को इस प्रकार के ऋणों से क्या लाभ होता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ब्रिटेन की सरकार द्वारा अपने निर्यात गारण्टी अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत अभी तक ७५५ लाख पौंड (१००.६७ करोड़ रुपये) के पांच ऋण दिए गए हैं। इन ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९)**

(ख) इन ऋणों का मुख्य लाभ यह है कि वे हमारी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ब्रिटेन से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं के लिए भुगतान करने के लिए उपलब्ध हैं।

ब्रिटेन द्वारा भारत को प्रविधिक सहायता

†२१९३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री ब्रिटेन द्वारा भारत को १९५१ से लेकर १९५९ तक दी गई प्रविधिक सहायता का पूरा ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ब्रिटेन से प्रविधिक सहायता कोलम्बो योजना के अन्तर्गत मिलती है जिसके अनेक रूप हैं जैसे भारतीय राष्ट्रजनों को ब्रिटेन में प्रशिक्षण की सुविधायें और विभिन्न प्रविधिक क्षेत्रों में ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवायें। इस सहायता का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	विशेषज्ञ	प्रशिक्षणार्थी
दिसम्बर, १९५१ तक	—	—
जनवरी १९५२ से ३ जून, १९५३ तक . .	२८	१५१
जुलाई, १९५३–जून, १९५४ . .	२२	६०
जुलाई, १९५४–जून, १९५५ . .	१४	३४
जुलाई, १९५५–जून, १९५६ .	१७	१०२
जुलाई, १९५६–जून, १९५७ . .	४	१०५
जुलाई, १९५७–जून, १९५८ . . .	२१	१६३
जुलाई, १९५८–जून, १९५९ . . .	१९	१९९
योग . .	१२५	८१४

†मूल अंग्रेजी में

नागरी प्रचारणी सभा धर्मस्व न्यास

†२१९४. **श्री कालिका सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी को अपने कुछ कार्यों के लिये सहायतार्थ अनुदान तथा अन्य वित्तीय सहायता मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००**]

मुस्लिम पुरालेख विद्या के अधीक्षक का कार्यालय

†२१९५. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम पुरालेख विद्या के लिये अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक का कोई कार्यालय है ;

(ख) यह कार्यालय कहां स्थित है ;

(ग) यह कार्यालय कब से चल रहा है ; और

(घ) क्या इस कार्यालय को ऊटकमण्ड ले जाकर भारत के सरकारी पुरालेख विद् के कार्यालय में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) नहीं, श्रीमान् । परन्तु अरबी तथा फारसी के शिलालेखों के एक सहायक अधीक्षक का पद अवश्य है ।

(ख) नागपुर ।

(ग) १९४५ से ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

कलकत्ता में खोपरा और सुपारी की बिक्री

†२१९६. **सरदार अ० सिं० सहगल**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित पांच सार्थ कार-नीकोबार तथा नानकौडी ट्रेडिंग कम्पनियों के बिक्री एजेंट हैं अथवा क्या कलकत्ता में केवल इन पांच साथों को ही खोपरा और सुपारी बेची जाती है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि कार-नीकोबार तथा नानकौडी ट्रेडिंग कम्पनियों द्वारा जादवत ट्रेडिंग कम्पनी अथवा किसी अन्य सार्थकों को कलकत्ता में अपना एकमात्र बिक्री एजेंट नियुक्त किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन पांच सार्थों को अथवा उनके माध्यम से १९५९–६० में कितना खोपरा तथा सुपारी बेची गई और उनके तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ; और

(घ) इस बात की गारण्टी के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं कि कलकत्ता में होने वाली खोपरे और सुपारी की बिक्री की आय का सही हिसाब रखा जाय ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) संबंधित पांचों सार्थ दोनों ट्रेडिंग कम्पनियों के बिक्री एजेंट हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) बिक्री एजेंटों के संबंधित बीजक मंगाये जाते हैं और उनका ट्रेडिंग कम्पनियों द्वारा सत्यापन किया जाता है ।

अण्डमान में तकावी ऋण

†२१९७. **सरदार अ० सिं० सहगल**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान द्वीप समूह में जापानी आधिपत्य के दौरान वहां की जनता द्वारा उठाये गये नुकसान के कारण मकान बनाने और पशु खरीदने के लिये मंजूर किये गये पुनर्वास ऋणों में से तकावी ऋणों और मालगुजारी की बकाया वसूल की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कटौती इन ऋणों के प्रयोजन के विरुद्ध नहीं है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अण्डमान द्वीप समूह

†२१९८. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पोर्ट ब्लेअर में डन्डास पाइन्ट नामक स्थान पर युद्ध के पहले के दिनों में दीवार और अवतरणी के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की थी ;

(ख) वह दीवार और अवतरणी स्थानीय प्रशासन ने कितनी राशि में मेसर्स आर० अकूजी जादवत एंड कम्पनी को सौंप दी है जिसे वहां पर स्थित केन्द्रीय लोक कर्म विभाग की इमारतें १९५६ में बेच दी गई थीं ;

(ग) क्या उस सार्थ ने वहां किसी नई अवतरणी का निर्माण किया है और क्या एसा निर्माण पत्तनों और नौपरिवहन के संबंधित कानून का उल्लंघन नहीं है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया जा रहा है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) जापानी आधिपत्य के दिनों में अन्डमान प्रशासन के कागजात पूर्णतः नष्ट हो गये थे । इसलिये डन्डास पाइन्ट पर दीवार और अवतरणी के निर्माण की लागत के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह दीवार और अवतरणी अभी भी अन्डमान प्रशासन के अन्तर्गत है ।

(ग) और (घ). जी हां, मामला अण्डमान प्रशासन के विचाराधीन है ।

अण्डमान से खोपरा और सुपारी का निर्यात

†२१९९. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में (१) नानकौडी से कारनीकोबार, पोर्ट ब्लेयर और भारत की मुख्य भूमि के पत्तनों को, (२) कारनीकोबार से पोर्ट ब्लेयर और मुख्य भूमि के पत्तनों को तथा पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि के पत्तनों को खोपरा और सुपारी का अलग अलग कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) इसमें से कितनी मात्रा पर स्थानीय प्रशासन द्वारा रायल्टी का निर्धारण किया गया और इन वर्षों में कितनी रायल्टी निर्धारित और वसूल की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में नानकौडी, कारनीकोबार और पोर्ट ब्लेयर से निर्यात किये गये खोपरे और सुपारी की मात्रायें बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१]** । इन पत्तनों से विभिन्न पत्तनों को अलग अलग निर्यात की मात्रा संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) नानकौडी और कारनीकोबार से खोपरे और सुपारी के समस्त निर्यातों पर रायल्टी का निर्धारण एवं वसूली की गई थी । इन वस्तुओं के पोर्ट ब्लेयर से निर्यात पर रायल्टी नहीं वसूल की जा सकती है क्योंकि वह रक्षित क्षेत्र में नहीं स्थित है । १९५९–६० में खोपरा और सुपारी के निर्यात पर निर्धारित और वसूल की गई रायल्टी की राशियां क्रमशः ९५,५१० रूपये ८० नये पैसे तथा २५,७२२ रुपये ४० नए पैसे हैं । १९५८–५९ की रायल्टी के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†२२००. **श्री सं० अ० मेहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५९ से ३१ जुलाई, १९६० तक विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के कितने मामलों का निर्णय किया गया ;

(ख) क्या उन्हें कम करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा और उन पक्षों के नाम तथा किये गये जुर्माने की जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) इस अवधि में प्रवर्तन निदेशक ने न्याय-निर्णय द्वारा ३३६ मामलों का निर्णय किया । दीवानी अदालतों द्वारा ३ मामलों का निर्णय किया गया ।

(ख) प्रवर्तन निदेशक ने जांच तंत्र की शक्ति बढ़ाकर और न्याय निर्णयन की प्रक्रिया को तेज बनाकर मामलों की संख्या कम करने का यत्न किया है । पहले की अपेक्षा अधिक मामलों के निपटारे से यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. २३५/६०**]

दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता की कथित पिटाई

†२२०१. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के करोलबाग थाने के थानेदार ने करोलबाग के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता को पीटा था और इस मामले की जांच करने के लिये एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). १२ अक्तूबर, १९५९ को यह शिकायत की गई थी कि करौलबाग थाने के थानेदार ने उस क्षेत्र के एक निवासी को पीटा है। इस शिकायत की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि थानेदार के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

भारत में चीनी राष्ट्रजन

†२२०२. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री आसर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिपौंग और करसियोंग (पश्चिमी बंगाल) में रहने वाले ६ चीनी राष्ट्रजनों को हाल में भारत से चले जाने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां, परन्तु उनकी संख्या १५ हैं।

(ख) उन्होंने भारत विरोधी कार्यवाहियों में भाग लिया था।

सोवियत रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

†२२०३. { **श्री सुगन्धि** :
श्री अगाड़ी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस से समझौते के अनुसार पैट्रोलियम के किन उत्पादों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) मिट्टी के तेल का स्मोकिंग प्वांइट[1] और डीजल तेलों का डीजल इंडेक्स क्या है ;

(ग) देश में परिष्कृत किये गये उत्पादों की तुलना में ये उत्पाद कैसे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Smoking point.

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि डीजल ट्रकों में बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो १ मार्च, १९६० के पश्चात् मिट्टी के तेल की लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और सरकार का डीजल तेलों से होने वाले राजस्व में हो रही हानि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मिट्टी का तेल, उड्डयन टर्बाइन ईंधन (जेट ईंधन) और हाई स्पीड डीजल (गैस आयल) ।

(ख) मिट्टी के तेल का स्मोकिंग प्वाइंट	. .	२८–२९ एम एम
हाई स्पीड डीजल आयल का डीजल इंडेक्स	.	मिन ५५

(ग) सोवियत रूस से हुए ठेके में मिट्टी के तेल के स्मोकिंग प्वाइंट और हाई स्पीड डीजल आयल के डीजल देशनांक तथा अन्य विशिष्ठियों[१] का समावेश देश में परिष्कृत किये जा रहे और अन्य सम्भरणकर्ताओं द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों की विशिष्ठियों के आधार पर किया गया था ।

(घ) और (ङ). सरकार को इस बात का पता नहीं कि डीजल ट्रकों में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । यदि डीजल ट्रकों में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होता भी हो, तो भी मिट्टी के तेल की लागत के आंकड़ों से मिट्टी के तेल की लागत में होने वाली किसी खास वृद्धि का पता नहीं चल सकता क्योंकि मिट्टी के तेल की लागत हाई स्पीड डीजल से बहुत अधिक है । मार्च, अप्रैल, मई और जून, १९६० के महीनों में मिट्टी के तेल की बिक्री के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे किसी असाधारण वृद्धि का संकेत नहीं मिलता ।

कालकाजी में झुग्गियों में रहने वालों के लिये जमीन

२२०४. **श्री जांगड़े** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी में झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों हरिजनों ने प्रार्थना की है कि झुग्गियां गिराने से पूर्व उन्हें पुनर्वास के लिये जमीन दी जाये ;

(ख) क्या उन हरिजनों ने एक सहकारी गृह-निर्माण समिति गठित करने के बारे में एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास निगम इन हरिजनों को उनकी झुग्गियां गिराने से पूर्व उपयुक्त जमीन देने की व्यवस्था कर रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सहकारी गृह-निर्माण समिति गठित करने या इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त जमीन देने की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] *Specifications.

पाकिस्तान को इस्पात के टुकड़ों का निर्यात

†२२०५. **कुमारी मो० वेदकुमारी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को १९५८–५९ और १९५९–६० में इस्पात के टुकड़ों का कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ इन की सप्लाई का कोई ठेका किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच २१–३–६० को हुए व्यापार समझौते के अनुसार पाकिस्तान को ७५ लाख रुपये के इस्पात के टुकड़े सप्लाई करने हैं । २–७–१९६० तक पाकिस्तान को ५८८ टन इस्पात के टुकड़ों का निर्यात किया जा चुका है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

†२२०६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये ; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के यात्रा भत्ते पर १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक कितना व्यय किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों सम्बन्धी जानकारी नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये		संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये	
	अनु० जा०	अनु० आ० जा०	अनु० जा०	अनु० आ० जा०
१९५८ .	६४६	११४	१३४	३०
१९५९ . . .	३५६	४२	६७	१२

चालू वर्ष की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ते सम्बन्धी जानकारी अलग से नहीं रखी जाती ।

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सैनिक

†२२०७. **श्री वे० ईयाचरण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों के असैनिक सेवा में शामिल होने पर उनकी सैनिक सेवा को उनक वेतन का निर्धारण करते समय गिना जाता है ;

(ख) यदि नौकरी के क्रम में पड़ने वाले भंग को क्षमा कर दिया जाये तो क्या उनकी सैनिक-सेवा को पैंशन के समय भी गिना जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में यह निश्चय किया है कि उन भूतपूर्व सैनिकों को, जो आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे और इसके पश्चात जिनकी असैनिक सेवा में नियुक्ति हो गयी थी, पैंशन के उद्देश्य से, आजाद हिन्द फौज में की गयी सेवा को गिनने की अनुमति नहीं दी जा सकती ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'हां' में हो, तो उसके क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां, समय समय पर जारी किये गये आदेशों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम

२२०८. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जब से हिमाचल प्रदेश बनाया गया है तब से अब तक विभागीय कर्मचारियों के लिए सेवा सम्बन्धी नियम नहीं बनाए गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा सम्बन्धी नियमों के न होने से कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बतायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों के लिये वही नियम और आदेश लागू हैं जो (नियम और आदेश) वर्तमान अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों के तदनुरूप वर्गों को लागू होते हैं । परन्तु प्रशासन के नान-सेक्रेटेरिएट कर्मचारियों की परिलब्धियां सामान्यत: वही हैं जो परिलब्धि पंजाब सरकार के तदनुरूप कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं । कई पदों की भरती, परिवीक्षा प्रवरता और तरक्की के लिये भी सेवा सम्बन्धी नियम पहले ही बनाये जा चुके हैं । अत: कर्मचारियों के अधिकार वस्तुत: सुरक्षित हैं ।

पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट

†२२०९. **श्री बै० च० कामले :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी ज्ञापन के पृष्ठ २६ में 'अनुदान' सम्बन्धी शीर्षक में उल्लिखित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में क्या वार्षिक प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट सम्बन्धी ज्ञापन के पृष्ठ २६ में 'अनुदान' शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित ९१ करोड़ रुपये की रकम का प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में इस रकम के इस्तेमाल के बारे में प्रत्येक राज्य में हुई वार्षिक प्रगति का ब्योरा देने वाला एक विवरण ११ अगस्त, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर में सभा-पटल पर रखा गया था। १९५९-६० में इस राशि के उपयोग के आंकड़े अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए।

स्कूल-विद्यार्थियों का अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा-सम्मेलन[1]

†२२१०. **श्रीमती इला पालचौधरी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को स्कूल गेम्स फैडरेशन आफ इंडिया की ओर से १९६१ के प्रारम्भ में भारत में स्कूलों के लड़कों और लड़कियों के अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा सम्मेलन का आयोजन करने के लिये अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) स्कूल गेम्स फैडरेशन आफ इंडिया ने विभिन्न देशों से खिलाड़ियों के दलों को आमंत्रित करने के लिये सरकार की मंजूरी के लिये कहा था।

(ग) फैडरेशन को इस प्रस्ताव का पूरा विवरण देने के लिये कहा गया है।

सरकारी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता

†२२११. { **श्री नेकराम नेगी** :
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन-निर्वाह व्यय के ऊंचा होने के कारण अधिकांश सरकारी कर्मचारी ऋणग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९६० को दिल्ली में प्रत्येक मंत्रालय में (जिनमें संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं) ३०० रु० से कम वेतन लेने वाले और ३०० रु० से अधिक वेतन लेने वारे राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की अलग अलग संख्या कितनी थी, जिनके वेतन दीवानी अदालतों की डिग्रियों के कारण कुर्क हो रहे थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हो सकता है कि कुछ सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से, जिनका जीवन-निर्वाह के सामान्य व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं, ऋण-ग्रस्त हों।

(ख) जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] International Sports Meet.

बहरों के लिये चित्रकारी का स्कूल

†२२१२. **श्री बैं० च० मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहरों के अखिल भारतीय संघ ने शिक्षा मंत्रालय को बहरों के विश्व संघ से उपहारस्वरूप प्राप्त उपकरणों से बहरों को चित्रकला का प्रशिक्षण देने के लिये एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी असिस्टेंट

२२१३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसदीय हिन्दी एसोसियेशन ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किये गये असिस्टेंटों और हिन्दी असिस्टेंटों के वेतन-क्रम और मान्यता आदि में भेदभाव किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). कुछ समय पूर्व संसदीय हिन्दी एसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी से इस सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ था । परन्तु हिन्दी असिस्टेंटों और दूसरे असिस्टेंटों में कोई भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है । हिन्दी असिस्टेंटों के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पदाली में शामिल अन्य रेग्यूलर असिस्टेंटों के पदों की भांति नहीं हैं किन्तु विभिन्न मंत्रालयों आदि में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के लिये वे पद पदाली से बाहर के पद हैं । हिन्दी असिस्टेंटों की कार्य-प्रणाली अन्य रेग्यूलर असिस्टेंटों से, जो कि टिप्पण और मसौदे बनाने तथा अन्य तत्सम्बन्धी कार्य पर नियुक्त किये जाते हैं, सर्वथा भिन्न हैं । इसलिये इन दोनों वर्गों के पदों का समान स्तर पर तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

हिन्दी असिस्टेंट

२२१४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी असिस्टेंटों के ऐसे पद, जिनका वही वेतन-क्रम है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले असिस्टेंटों का है, कब से पदाली से बाहर माने गये हैं, और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या हिन्दी असिस्टेंटों ने उक्त पदों को पदाली में शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन किये हैं और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस स्कीम में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में हिन्दी सहायकों के पद प्रारम्भ से ही पदालो से बाहर माने गये हैं, क्योंकि ये पद सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस में सम्मिलित सहायकों के रेग्यूलर पद नहीं हैं, तथा मंत्रालयों/कार्यालयों में मुख्यत: हिन्दी अनुवाद कार्य के लिये बनाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, परन्तु यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान स्थिति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा

२२१५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि १९५९ में हुई असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अधिकांश व्यक्तियों को नौकरियां नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इन व्यक्तियों में से संभवत: कितने व्यक्ति खपा लिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री दातार): (क) से (ग). इस परीक्षा के परिणाम-स्वरूप संघ लोक सेवा आयोग ने कुल जिन ११२५ उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के १०२ उम्मीदवारों को शामिल करते हुए) की नियुक्ति की सिफारिश की थी, उनमें से २२४ उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के ६१ उम्मीदवारों को शामिल करते हुए) को अब तक नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं । इस परीक्षा में से नियुक्त किये जाने वाले पद उपलब्ध होने पर इस सूची में से आगे नियुक्ति की जायेगी । यह बताना संभव नहीं है कि इस सूची में से आगे ऐसी कितनी नियुक्तियां की जायेंगी, न ही इस विषय में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उठता है ।

विदेशी बैंकों में जमा धन

२२१६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों में विदेशी बैंकों में धन जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी बैंकों में कुछ ऐसी धन राशियां जमा हैं जिनके बारे में सरकार अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे जमाधन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री(श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य विदेशों के बैंकों में भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा इजाज़त लिये बगैर जमा की गयी रकमों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यह कहना कठिन है कि इस तरह रकमें जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है या नहीं। इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय (डाइरेक्टरेट आफ एनफोर्समेंट) पहले की बनिस्बत इस तरह के ज्यादा मामले पकड़ने में कामयाब हुआ है ।

(ख) न रिजर्व बैंक और न सरकार के पास ऐसा कोई साधन है जिससे बग़ैर इजाज़त लिये विदेशी बैंकों में जमा की गई रकमों की जांच-पड़ताल की जा सके, क्योंकि ये बैंक ऐसी रकमों के बारे में सूचना देने के लिये मजबूर नहीं हैं ।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय इजाज़त के बग़ैर खाता रखने के मामलों में पूरी चौकसी रखता है। जब इस तरह के बगैर इजाज़त के खातों का पता चलता है, तब विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम, १९४७ (फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, १९४७) के अनुसार अदालती कार्रवाई की जाती है, और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती है ताकि लोग ऐसा काम करने से डरें ।

हरिजन उपजातियों की गणना

२२१७. **श्री जांगड़े** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हरिजन उपजातियों की जन-गणना कैसे की जायेगी जिन के बारे में १९५१ के बाद से कोई अभिलेख नहीं हैं ;

(ख) क्या उनकी जनसंख्या की गणना १९११ और १९२१ के आधार पर की जायेगी; और

(ग) क्या साधन अपनाये जायेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) १९६१ की जनगणना में मुख्य जातियों के साथ अनुसूचित जातियों की उपजातियां अथवा गोत्र इत्यादि नामों के सहित गणना की जाएगी। गणकों को अनुदेशों के अनुसार व्यक्तियों द्वारा दिये गये उपजाति अथवा गोत्र के नाम स्लिपों पर लिखे जाकर अनुसूचित जाति के मुख्य नाम के साथ कोष्ठक में दिखाए जाएंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास के लिये लोहे की चादरों की मांग और सप्लाई

†२२१८. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य की १९६० में लोहे की चादरों की मांग कितनी थी ;

(ख) यह मांग कहां तक पूरी की गयी ; और

(ग) सरकार द्वारा मद्रास को लोहेकी और अधिक चादरें मुहैया करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). अलाटमैंट वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जाता है। १९५९-६० और १९६०-६१ की पहली छिमाही (अप्रैल--सितम्बर, १९६०) की मांग तथा अलाटमैंट का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(टनों में)

वर्ष	मांग	अलाटमैंट
१९५९-६०	२१,४३३	१२,६५२
१९६०-६१ . (अप्रैल-सितम्बर, १९६०)	९,६९०	४,९७९

(ग) दश भर में चारों की कमी है। जब रूरकेला इस्तपात संयंत्र में अगले वर्ष चादरों का उत्पादन शुरू हो जायगा, तो स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास को इस्पात का अलाटमेंट

†२२१९. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को १९५८ और १९५९ में इस्पात का कुल कितना कोटा अलाट किया गया ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष वस्तुतः कितना इस्पात सप्लाई किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस्पात, का अलाटमैंट वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जाता है । पिछले तीन वर्षों के अलाटमैंट और सप्लाई का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(टनों में)

वर्ष	अलाटमैंट	सप्लाई/भेजा गया
१९५७–५८ . .	१७,४५८	२१,८९१
१९५८–५९ . .	२३,६३७	१४,३१४
१९५९–६०	६२,९५८	३८,८८०

*ये आंकड़े चालू और बकाया आर्डरों सम्बन्धी माल भेजने के हैं।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी

†२२२०. { श्री दशरथ देब :
श्री हाल्दर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, मनीपुर जाति और अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर अन्य पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को, जो त्रिपुरा के हाई स्कूलों, हायर सैकंडरी स्कूलों, मिडल स्कूलों अथवा सीनियर बेसिक स्कूलों के छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास-वृत्तियां मिलती हैं ;

(ख) क्या त्रिपुरा की क्षेत्रीय परिषद् ने इस प्रकार की छात्रवृत्तियां देने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन के कब से दिये जाने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे समयानुसार सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में विस्थापित बंगाली

†२२२१. { श्री दशरथ देब ।
श्री हाल्दर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के उपद्रवों के पश्चात् त्रिपुरा में कुल कितने विस्थापित बंगाली आये हैं ;

(ख) क्या उन में से किसी ने पुनर्वास ऋण अथवा अनुदान के लिये आवेदन-पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उन के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) यह समाचार मिला है कि १८२ परिवार, जिन के सदस्यों की कुल संख्या ७३० है, त्रिपुरा में आये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन में से अधिकतर व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के पास रह रहे हैं । जिन लोगों ने अपना प्रबन्ध स्वयं नहीं किया, वे जनता द्वारा आयोजित शिविरों में रह रहे हैं।

विदेशों में लेखे

†२२२२. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीयों के लेखे विदेशों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने भारतीय हैं;

(ग) इन बैंकों में कितना धन जमा है ; और

(घ) ये लेखे कब खोले गये थे ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). वर्तमान विनियमों के अन्तर्गत स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की मुद्रा में लेखा रखने की सामान्य अनुमति है, किन्तु शर्त यह है कि ८ जुलाई, १९४७ से पहले भी उस व्यक्ति का ऐसा लेखा होना चाहिये । इस के अतिरिक्त, विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों और सरकार द्वारा मंजूरशुदा कार्यों के लिये विदेश जाने वाले अन्य व्यक्तियों को उन देशों के बैंकों में, जहां वे जा रहे हों, उन लोगों को स्वीकृत विदेशी मुद्रा की सीमा के अन्दर लेखे खोलने की अनुमति है । इस सामान्य अनुमति को देखते हुए, इस प्रकार के लेखों सम्बन्धी आंकड़ों की जानकारी रिजर्व बैंक को देना जरूरी नहीं है । अतः भाग (ख) से (घ) में मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†२२२३. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी और बाहर के कितने लोग गिरफ्तार किय गये ;

(ख) उन में से कितने लोगों को बिना शर्त रिहा किया गया और कितने लोगों को जमानत पर ;

(ग) कितने लोगों को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया ;

(घ) कितने व्यक्तियों को बरखास्त किया गया, कितनों को नौकरी से हटा दिया गया और कितने लोगों को मुअत्तिल किया गया ; और

(ङ) इन कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या हिदायतें दी गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ). संलग्न विवरण [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२**] में यह सारी जानकारी दी गयी है । ये आंकड़े अन्तिम नहीं हैं क्योंकि सारे मामले पर अभी विचार चल रहा है ।

(ख) विभिन्न प्रकार के मामलों में निम्नलिखित ढंग से कार्यवाही की जा सकती है :—

(एक) न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप नौकरी से बर्खास्त किये गये अथवा **हटाये गये अथवा मुअत्तल कर्मचारी** : विभागाध्यक्षों को प्रत्येक मामले की उस के गुण-दोषों के आधार पर जांच करनी चाहिए और अपराध के स्वरूप पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय करना चाहिए कि क्या नौकरी से बर्खास्त किये जाने अथवा हटाये जाने के दण्ड में कुछ परिवर्तन कर के उसे नरम किया जा सकता है ।

(दो) मुअत्तल कर्मचारी : जिन लोगों के प्रति यह सन्देह है कि उन्होंने तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लिया है, लोगों को धमकाया है अथवा जिनका व्यवहार बड़ा अभद्र था, उन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये और शेष मामलों में मुअत्तिल करने के आदेशों को सामान्यतः वापिस ले लिया जायेगा ।

(तीन) **अस्थायी कर्मचारी जिन्हें नौकरी से हटाये जाने के नोटिस दिये गये हैं** : यदि जांच करने पर यह पता चले कि उन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं, तो जो लोग काम पर लौट आये हैं उन्हें काम करने की अनुमति दे देनी चाहिए ।

(चार) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् मुअत्तिल किये गये कर्मचारी : जब तक वे रिहा होकर काम पर नहीं लौटते, तब तक उन्हें मुअत्तिल ही रखा जायेगा, उस के पश्चात् मुअत्तिल करने के आदेशों की जांच की जायेगी और उपरोक्त भाग (दो) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट परीक्षा

†२२२४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने में दस महीने लगते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा असफल उम्मीदवार को न तो प्रत्येक विषय में उस द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी दी जाती है और ना ही उन उम्मीदवारों को अभ्यावेदन अथवा इन्टरव्यू की अनुमति दी जाती है ;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा भी इन मामलों के संघ लोक सेवा आयोग के निश्चयों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन व्यक्तियों की उचित और सही शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस संबंध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । जहां तक १९५९ में हुई परीक्षा का संबंध है लिखित परीक्षा का परिणाम परीक्षा होने से लगभग सात मास पश्चात् घोषित किया गया था । अन्तिम परिणाम उसके दो मास पश्चात् घोषित किया गया ।

(ख) आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों की सूचना उम्मीदवारों को उस प्रकार अथवा ढंग से दी जाती है, जिसका निर्णय आयोग द्वारा अपने सविवेकानुसार किया जाता है । इसलिये इस प्रश्न पर अभ्यावेदन आदि स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में सरकार सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करती । इसलिये किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसका सुझाव दिया गया है, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय एवरेस्ट अभियान दल की रिपोर्ट

२२२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम भारतीय एवरेस्ट अभियान दल के नेता द्वारा दल के अनुभवों के बारे में सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) भारतीय एवरेस्ट अभियान दल के नेता ने कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी लेकिन स्पांसरिंग कमेटी को अभियान का हाल जबानी बताया है स्पांसरिंग कमेटी ने निदेश दिया है कि इस विषय पर एक किताब छापी जाये । अभियान का संक्षिप्त हाल मंत्रालय की पत्रिकाओं "कल्चरल फारम" और "संस्कृति" में छापा आ रहा है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में शिक्षा समस्याओं सम्बन्धी कार्यकारी दल

२२२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतियां दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नई दिल्ली नगर-पालिका को भेजी गई हैं तथा उनसे प्रार्थना की गई है कि भविष्य में दिल्ली की शिक्षा संबंधी सुविधाओं की योजनायें बताते समय वे रिपोर्ट में उल्लिखित बातों को भी ध्यान में रखें।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

२२२७. **श्री बाल्मीकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सारे राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क वसूल करने में अनियमिततायें हुई हैं, जैसे अधिक शुल्क और तम्बाकू की खेती के बिना शुल्क वसूल करना ;

(ख) सरकार को ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है ;

(ग) क्या सरकार का तम्बाकू संहिता में कोई आमूल परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां। सरकार का ध्यान कुछ इक्के-दुक्के मामलों की ओर दिलाया गया है। इनमें से सिर्फ एक ही मामला ऐसा है जिसका संबंध तम्बाकू की खेती किये बगैर ही शुल्क लगाये जाने से है।

(ख) हर साल, तम्बाकू शोधनेवाले (क्योरर) ढाई लाख आदमियों से शुल्क अदा करने की मांग की जाती है। जिन अनियमित बातों का जिक्र किया गया है वे इतने ज्यादा मामलों में से सिर्फ ३१ मामलों में ही पायी गयी। इनमें से सिर्फ दो ही मामलों का संबंध उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से था।

(ग) और (घ). ज्यादा शुल्क लगाये जाने के इन इक्के-दुक्के मामलों से यह जाहिर नहीं होता कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम और नियमों (सेंट्रल एक्साइजेज एंड साल्ट ऐक्ट एंड रूल्स) में कोई बुनियादी खराबी है। इसलिये इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिये इनमें संशोधन करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी, १९५८ के शुरू में बहु अधिकारी क्षेत्र योजना (मल्टिपुल आफिसर्स रेंज स्कीम) नाम की एक योजना इसलिये जारी की गयी कि ज्यादा पैदावार वाले क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके और वहां ज्यादा आदमी लगाये जा सकें और खास तौर से, बहुत थोड़ी पैदावार वाले क्षत्रों में छोटे छोटे खेतिहरों पर शुल्क लगाना धीरे धीरे बन्द किया जा सके इस योजना के जारी होने से ऐसे खेतिहारों की गिनती बहुत कम हो गयी है। जिन पर शुल्क लगाया जा सकता है।

देशी तम्बाकू

२२२८. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सारे राज्यों में बने हुक्कों और बीड़ियों में स्वदेशी किस्म का कितना तम्बाकू प्रयोग हुआ ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में तम्बाकू पर राज्यवार कितना उत्पादन शुल्क लिया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार तम्बाकू की इस स्वदेशी किस्म को शुल्क से छूट देने का है ; और

(घ) क्या यह सच नहीं है कि सामान्य रूप से जनता और विशेषकर कृषकों में इस उत्पादन शुल्क के कारण बड़ा असन्तोष है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जो सूचना मिली है, उसे, एक विवरण के रूप में, सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जो खबरें सरकार को मिली हैं उनसे यह साबित नहीं होता कि देशी तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) लगने से आमतौर पर असन्तोष फैल गया है ।

अफीम की खेती

२२२९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्त की खेती धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है ;

(ख) प्रत्यक राज्य में कितने एकड़ भूमि में खेती पर इसका प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) राज्यकोष पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न. पैदा ही नहीं होता ।

रोम ओलिम्पिक के लिये भारतीय दल

†२२३०. **श्री जीनचन्द्रन्** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी ओलिम्पिक में भाग लेने के लिये रोम जाने वाले विभिन्न दलों पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ख) इसमें सरकार का भाग कितना होगा ?

† **शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३,९९,४८४ रु० ।

(ख) २,३९,६९० रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोटाशियम साइनाइड का अनधिकृत व्यापार

†२२३१. { श्री प्र० के० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में पोटाशियम साइनाइड (विष) के बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो कितना पोटाशियम साइनाइड पकड़ा गया है ;

(ग) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). ११ अगस्त, १९६० को कलकत्ता पुलिस ने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, जिसके पास १५ पौंड पोटाशियम साइनाइड था।

(ग) कलकत्ता पुलिस और सीमा-शुल्क अधिकारी इस संबंध में बड़ी सतर्कता और सावधानी बर्त रह हैं।

हिन्दी असिस्टेंट

२२३२. श्री वाजपेयी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई हिन्दी असिस्टेंटों की प्रतियोगिता परीक्षा के लिये न्यूनतम अनिवार्य योग्यतायें क्या थीं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय में क्लर्कों को असिस्टेंट बनाने के लिये होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये भी उसी स्तर की योग्यतायें निर्धारित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सब वर्तमान अपर-डिवीजन/लोअर डिवीजन क्लर्कों को, जिन्होंने १-१-१९५९ को लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पर या उच्चतर ग्रेड में न्यूनतम एक वर्ष की लगातार नौकरी की थी और जिन्होंने किसी भी प्रमाणित विश्वविद्यालय से आर्टस, विज्ञान या वाणिज्य के विषयों में से हिन्दी (एक विषय) के साथ डिग्री प्राप्त की थी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जून, १९५९ में नियोजित हिन्दी सहायकों की परीक्षा देने की अनुमति थी।

(ख) वर्तमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत क्लर्कों को सहायक के पद पर तरक्की देने के लिये कोई विभागीय परीक्षा नहीं ली जा रही है। अतः ऐसी परीक्षाओं के लिये न्यूनतम योग्यता के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी असिस्टेंट

२२३३. श्री वाजपेयी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सब व्यक्ति अब तक हिन्दी असिस्टेंट नियुक्त हो गये हैं, जिन्होंने जून, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा पास की थी ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने उम्मीदवार नियुक्त किये जाने हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वे कब तक नियुक्त किये जायेंगे ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई हिन्दी सहायकों की परीक्षा में कुल ४६ उम्मीदवार सफल घोषित किये गये थे । परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व इन ४६ उम्मीदवारों में से एक ने त्याग पत्र दे दिया । शेष ४५ सफल उम्मीदवारों के हिन्दी सहायकों के स्थान पर नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं और उनमें से ३८ उम्मीदवार हिन्दी सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं । बाकी ७ उम्मीदवारों में से एक ने हिन्दी सहायक के पद के लिये निश्चित की गई शर्तों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है । शेष ६ उम्मीदवारों को गणन और निरीक्षण निदेशालय, नागपुर के दफ्तर में हिन्दी सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था, किन्तु उन्होंने नागपुर में नियुक्ति से इंकार कर दिया । उन्होंने प्रार्थना की है कि जब कभी दिल्ली में स्थित मंत्रालयों/दफ्तरों में हिन्दी सहायकों के पद हों, तो उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाये । सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस स्कीम में सांझी मंत्रालयों/दफ्तरों में हिन्दी सहायकों की अभी तो कोई रिक्तियां दिल्ली में नहीं । अतः उपर्युक्त शेष ६ उम्मीदवारों को हिन्द सहायकों के स्थान पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब उनकी नियुक्ति के लिये दिल्ली में रिक्तियां होंगी ।

सरकार और सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

†२२३४. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) (१) संघ सरकार के अधीन, (२) संघ राज्य क्षेत्रों में और (३) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रेणीवार ऐसे कितने रिक्त स्थान हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 'रक्षित' के रूप में विज्ञापित किया गया और बाद में उन्हें 'अरक्षित' मान कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भरा गया ;

(ख) (१) संघ सरकार के अधीन, (२) संघ राज्य क्षेत्रों में और (३) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की वरिष्ठता को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों को पहले पदोन्नत किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । और यह विस्तृत जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं है । यह जानकारी एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । कहीं भी यदि पदोन्नति केवल कुशलता के आधार पर न की जाये, तो केवल वरिष्ठता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है ।

आसाम से शरणार्थी

†२२३५. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में हाल ही के दंगों के बाद वहां पर स्थापित किये गये शरणार्थी शिविरों में किसी एक समय ज्यादा से ज्यादा कितने शरणार्थी बसाये गये ;

(ख) इन शरणार्थियों में से कितने अपने अपने घरों को वापस चले गये हैं और कितने अभी इन शिविरों में रह रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इनमें से कितने पश्चिमी बंगाल चले गये हैं ; और

(घ) पश्चिमी बंगाल में इन व्यक्तियों के लिये कितने शिविर स्थापित किये गये, वे किन स्थानों पर स्थापित किये गये और इन शिविरों में से प्रत्येक में कितने शरणार्थी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) आसाम में शरणार्थियों की अधिकतम संख्या ५५,१९४ थी। विभिन्न शिविरों में अधिकतम संख्या अलग अलग तारीखों को थी।

(ख) यह बताया गया है कि लगभग २३,००० व्यक्तियों को उनके अपने पहले मकानों में बसा दिया गया है। कुछ कछार चले गये हैं और कुछ पश्चिमी बंगाल चले गये हैं। अब भी शिविरों में शरणार्थियों की कुल संख्या १३,८५३ है।

(ग) कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ)

जलपाईगुडी	१४१९९
दार्जीलिंग	३७०८
कूच बिहार	२३९५
२४ परगना	७१२
नदिया	२३२७
कुल	२३३४१

हिमाचल प्रदेश में लोहे की कच्ची धातु

२२३६. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर लौह अयस्क पाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लौह अयस्क निकालने का है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां, निम्न स्थानों पर कच्चा लोहा पाया गया है :

(१) रोहरू तहसील (लोअर बशाहर)

(२) मंडी जिला (शिमला की पहाड़ियां)

(३) सिरमूर जिला

(४) चिकोट तहसील, जिला मंडी

(ख) जी, नहीं। अभी इनमें से किसी भी भंडार का कोई आर्थिक महत्व नहीं समझा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली का लाल किला

†२२३७. **श्री कुम्भार** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लाल किले की दीवारों में पीपल और बरगद के कई वृक्ष उग आये हैं ;

(ख) चारदीवारी को स्वच्छ और साफ रखने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) वर्ष १९५९–६० में अब तक किले की मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्राचीर सैनिक अधिकारियों के हाथ में है और उसके संधारण का भार उन्हीं पर है । पीपल, बरगद और अन्य वृक्षों के उगने के बारे में उनको बता दिया गया है ।

(ग) जुलाई, १९६० तक १५,८०२.२० रुपये ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां

†२२३८. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति देने के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भेजते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में वर्ष वार अब तक प्रत्येक राज्य सरकार और संघ प्रशासनों को कितना धन दिया गया है ; और

(घ) उसी अवधि में विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं और उनकी धनराशि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]**

विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी

†२२३९. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) सरकारी सहायता पर और (२) सरकारी सहायता के अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में कुल कितने भारतीय विद्यार्थी विदेशी शिक्षा के लिये भेजे गये और चालू वर्ष और अगले वर्ष कितने विद्यार्थी भेजे जायेंगे ; और

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है ।

नई दिल्ली में दृश्य श्रव्य शिक्षा

†२२४०. **श्री बा० चं० कामले** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० के प्रथम छः महीनों में नयी दिल्ली में दृश्य श्रव्य शिक्षा में प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कितने अभ्यार्थियों ने लिया है ; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:(क) जी, हां । दस सप्ताह के लिये प्रशिक्षण का प्रथम अल्प-कालीन पाठ्यक्रम इस वर्ष १० फरवरी को आरम्भ हुआ था और २३ अप्रैल को समाप्त हुआ था । चार सप्ताह का एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम मई के महीने में भी किया गया था जो केवल इस मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम निदेशालय द्वारा भेजे गये समन्वयकर्त्ताओं के लिये था ।

(ख) २७ प्रशिक्षार्थी और २३ समन्वयकर्त्ता ।

(ग) २१,१४६.९५ रुपये ।

हिमाचल प्रदेश में कालिज शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

†२२४१. **श्री शि० न० समौल :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा कालिज शिक्षा के लिये दी गयी कई छात्रवत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां पिछले कुछ वर्षों से नहीं दी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मामलो की क्या संख्या है ; और

(ग) वे कब से नहीं दी गयी हैं और उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). यह जानकारी संबंधित प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पटेल दस्तकारी तथा हाई स्कूल, सराय रोहिल्ला, दिल्ली

२२४२. **श्री वाजपेयी :**
श्री आसर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अगस्त, १९६० को दिल्ली प्रशासन ने पटेल दस्तकारी तथा हाई स्कूल, सराय रोहिल्ला, दिल्ली का प्रबन्ध संभाल लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्ध हाथ में लेने के समय अध्यापकों के बकाया वेतन अभी तक नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने अध्यापकों के वेतन बकाया हैं, यह वेतन राशि कितनी है और भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां सरकार ने १ अगस्त, १९५६ को स्कूल का प्रबन्ध संभाल लिया था ।

(ख) और (ग). स्कूल के १० अध्यापकों ने यह शिकायत की है कि पिछले प्रबन्ध मंडल ने उनका कुछ समय का वेतन नही दिया । उनके दावों की राशि ६,७२०.९५ रुपये है । उनकी जांच की जा रही है और यदि वे सच्चे पाये गये तो सरकार जितनी अदायगी की जिम्मेवार है उतनी अदायगी कर दी जायेगी ।

दिल्ली पालिटेक्नीक में इंजिननियरी के विद्यार्थी

†२२४३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन् :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में कितने विद्यार्थियों ने दिल्ली पालीटेक्नीक, दिल्ली के विभिन्न इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अन्तिम परीक्षायें पास की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बी० एच०ई० के अन्तिम वर्ष का परिणाम जुलाई, १९६० में घोषित किया गया था ; और

(ग) क्या यह परिणाम देर से घोषित होने के फलस्वरूप उनको रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हुई है क्योंकि अन्य इंजीनियरी कालिजों के परिणाम जल्दी घोषित हो गये थे ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) **डिग्री पाठ्यक्रम**:

बैचलर आफ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) . .	२०
बैचलर आफ इंजीनियरिंग (मिकेनिकल) . .	३४
बैचलर आफ इंजीनियरिंग (सिविल) . .	१७
बैचलर आफ कैमिकल इंजीनियरिंग .	२४
कुल . .	९५

नेशनल सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

नेशनल सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) . .	१६
नेशनल सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग (मिकेनिकल) . .	१४
नेशनल सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग (सिविल) . .	७
कुल . .	३७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली पालीटेक्नीक अथवा सरकार को अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों क अध्यापक

†२२४४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन् :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों के प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ;

(ख) अध्यापक प्रशिक्षण कालिज, जामिया नगर (दिल्ली) और अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल, दरयागंज, दिल्ली में जिन बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों ने प्रशिक्षण लिया था, क्या उन सब को दिल्ली में खोले गये प्राथमिक स्कूलों में नियोजित कर दिया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली में बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों से मंत्री महोदय को कोई याचिका प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई को बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) यह समझा जाता है कि यह निर्देश सब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। मुख्य कठिनाई यह है कि बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों की सप्लाई आवश्यकता के बराबर नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस बारे में स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही के लिये बता दिया गया है।

नागा विद्रोही

†२२४५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री आसर :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ अगस्त, १९६० को नागा पहाड़ियों की सीमा पर मनीपुर के तामेंगलांग पुलिस स्टेशन पर पचास सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने हमला कर दिया और कई घंटों तक गोलियां चलायीं और जंगल में वापस जाकर नागा-लैण्ड का झण्डा फहराया ; और

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). १५ अगस्त, १९६० को लगभग प्रातः २–३० को कुछ व्यक्तियों ने, जिनके नागा विद्रोही होने का सन्देह था, तामेंगलांग पुलिस स्टेशन पर गोलियां चलायीं जिसके जवाब में पुलिस स्टेशन से भी गोलियां चलायी गयीं। यह गोलाबारी लगभग आधा घंटा तक होती रही। फिर पुलिस ने उन बदमाशों का पीछा किया जो पास के घने जंगल में भाग गये। पुलिस का कोई व्यक्ति हताहत नही हुआ। दूसरी ओर हताहतों की संख्या का पता नहीं है। बाद में लगभग ६ बजे प्रातः पुलिस की एक गश्ती टुकड़ी को पुलिस स्टेशन के लगभग आधा मील उत्तर में स्थित एक स्कूल के अहाते में एक नागा विद्रोही झंडा फहराया हुआ मिला। झंडे को कब्जों में कर लिया गया।

स्थगन प्रस्ताव

इण्डो स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छंटनी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इन्डो-स्टेनवेक की तेल की खोज सम्बन्धी परियोजना के टेकनिकल कर्मचारियों की छंटनी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। इसके बारे में एक प्रश्न भी पूछा गया था ; जिसके सिलसिले में बताया गया था कि वे इस परियोजना को समाप्त करने वाले हैं। खैर, माननीय मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह सच है कि उन्होंने हमें नोटिस दे दिया है कि वे इस परियोजना को खत्म कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप कुछ लोग बेरोज़गार हो जायेंगे।

सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से पूछा है कि वह इन सब टेकनिकल लोगों को, जो अब बेरोज़गार हो जायेंगे, किस तरह खपाने का विचार कर रहा है। वह इन सब बातों पर विचार कर रहा है और मुझे बताया गया है कि आयोग जितने भी उपयुक्त टेकनिकल कर्मचारियों को खपा सकेगा, उनको खपाने की कोशिश करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकांश टेकनिकल लोगों को काम पर लगाया जा सकेगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्) : यहां सवाल दुसरा है। सरकार ने इस सारी परियोजना पर कोई १० करोड़ रुपया खर्च किया है और ३०० लोगों को सरकारी रुपये की सहायता से प्रशिक्षित किया गया है। यदि इन्हें हटा दिया जाता है और ये लोग किसी गैर सरकारी नौकरी में ले लिये जाते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार का इतना खर्च बेकार जायेगा। इसलिये मैं चाहता था कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और इन लोगों को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खोज सम्बन्धी कार्यक्रम में ही खपा ले।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं बता चुका हूं कि आयोग की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टेकनिकल लोगों को खपा लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ९४५ ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक, २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ९८० और ९८१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २३५४/६०]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री अजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : नानावती के मुकदमे के निर्णय के सम्बन्ध में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके बारे में आपने मुझे लिखा है । परन्तु मेरा कहना यह है कि इसमें केन्द्र का भी सम्बन्ध है । पहले तो सजा के निलम्बन के बारे में केन्द्र ने राज्यापाल को परामर्श दिया और फिर केन्द्रीय सरकार ने १०,००० रुपया भी दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक १०,००० रुपये का सम्बन्ध है यह कोई नया मामला नहीं उठा है । यह बात यहां बहुत पहले बताई जा चुकी है । इस बारे में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने भी टिप्पण दिया है । इसलिये यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता ।

दूसरा प्रश्न उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में है । उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें कहा गया है कि न्यायाधीन होने के कारण इस मामले में राज्यपाल का प्राधिकार व्यपगत हो जाता है । जिस विषय में न्याय एवं कार्यपालिका दोनों का क्षेत्राधिकार हो वहां पर समन्वित रीति से कार्यवाही की जानी चाहिये । न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश पर आपत्ति नहीं की । प्रश्न इतना ही था कि जब एक बार उच्चतम न्यायालय में दरख्वास्त दे दी गई थी तो क्या राज्यपाल का आदेश ठीक था या विधि-अनुकूल था । जब प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने विधि मंत्री से सलाह ली थी । उच्चतम न्यायालय का मत भी ठीक है और विधि मंत्री की बात भी सही है । इस विषय में स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता । जब कोई मामला न्यायाधीन हो तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादुन) : क्या गृहमंत्री यह बतायेंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब वह क्या करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ; यह मामला उच्चतम न्यायालय में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या अब वे संविधान में संशोधन करना चाहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगला विषय लेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मोटर उद्योग सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णय

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** मैं दिनांक ६ सितम्बर, १९६० के संकल्प संख्या ए० ई० इण्ड १ (९०) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसमें मोटर उद्योग के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई तदर्थ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णय दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई , देखिये संख्या एल० टी० २३५५/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में भूकम्प

†**श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) :** नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली और उसके आस पास के अन्य क्षेत्रों में २७ अगस्त, १९६० की रात को आये भूकम्प के कारण होने वाली क्षति"

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** शनिवार, २७ अगस्त, १९६० को रात्रि के लगभग ९½ बजे मध्यम दर्जे के भूकम्प का एक झटका अनुभव किया गया । भूकम्प के पहले एक गड़गड़ाहट की आवाज आई । भूकम्प के दो अन्य हल्के झटके क्रमशः २७ तारीख को रात के ११ बजे और २८ तारीख को मध्य रात्रि को और आये । पता चला है कि अगले दिनों में भी कुछ हल्के झटके महसूस हुए । सामान्यतः भूकम्प के झटके के पश्चात् इस प्रकार के हल्के झटके आते हैं, और ये झटके समय बीतने के साथ हल्के होते जाते हैं ।

यह निश्चित किया गया है कि २७ तारीख को आये भूकम्प का केन्द्र दिल्ली के पूर्व से पूर्वोत्तर दिशा में लगभग ३० मील पर था । इस झटके का रिकार्ड अधिकांश भारतीय भूकम्पीय वेधशालाओं द्वारा किया गया ।

दिल्ली ऐसे भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित है जहां पिछले वर्षों में भूकम्प से थोड़ी या मध्यम दर्जे तक ही क्षति हुई है । इस भूकम्प का तात्कालिक कारण अन्तवर्ती चट्टानों के क्षेत्र में "स्ट्रेन्स" का होना और चट्टानों का फिसलना बताया जाता है ।

अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग ने यह बताया है कि यद्यपि भूकम्प की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है तथापि दिल्ली में भूकम्प के अब फिर से आने के डर का कोई कारण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक चालीस वर्षीय व्यक्ति को करोलबाग के एक मकान के दुमंजिले से कूदते हुए गम्भीर चोटें आईं। वह २८ अगस्त को अस्पताल में मर गया। पालम गांव में एक पांच वर्षीय लड़की मकान गिर जाने से गम्भीर रूप से घायल हो गयी। उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है।

दीवारों के प्लास्टर के झड़ जाने और पत्थरों के गिरने से कुछ व्यक्तियों को चोटें आई हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार दस सरकारी इमारतों को गम्भीर क्षति पहुंची है। जिन महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को हल्की क्षति पहुंची है उनमें ये शामिल हैं : राष्ट्रपति भवन के रिहायशी भाग का रसोई घर और खाने का कमरा, प्रधान मंत्री के निवास स्थान का केन्द्रीय गलियारा, संसद् भवन की सब से ऊपरी मंजिल के छः कमरे, पालम हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग, सफदर जंग हवाई अड्डा और रायसीना रोड का होस्टल जिसमें प्रैस क्लब भी शामिल है।

जनपथ होटल, अशोक होटल और रिजर्व बैंक की दीवारों के प्लास्टर में हल्की दरारें आई हैं।

नई दिल्ली के कई बंगलों में दरारें आ गई हैं। सबसे अधिक हानि हैस्टिंग रोड के बंगलों को पहुंची है। जिन बड़े बंगलों को क्षति पहुंची उनमें से कुछ यह हैं : सूचना और प्रसारण मंत्री, संसद् कार्य मंत्री, श्रम मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के बंगले, फ़ीरोजशाह रोड पर दो संसद् सदस्यों के बंगले, नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के एक एक फलैट को भी क्षति पहुंची है।

नई दिल्ली की अन्य बस्तियों में भी कई सरकारी क्वार्टरों को हल्की क्षति पहुंची है।

प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिये एक समिति बनाई गई है, जिसमें डायरेक्टर आफ एस्टेट्स, प्रथम खंड और दूसरे खंड के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं। इस समिति ने जहां आवश्यक समझा वहां वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर दी है। यह अनुमान लगाया गया है कि भूकम्प के फलस्वरूप सरकारी इमारतों में जो आवश्यक मरम्मत इत्यादि का कार्य किया जायेगा उसमें लगभग ५ लाख पये व्यय होंगे।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नई और पुरानी दिल्ली के कई गैर-सरकारी मकानों में दरारें आ गई हैं। कुछ पुराने मकान गिर भी गये हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से ज्ञात होता है कि भूकम्प से लाल किले को भी क्षति पहुंची है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि लाल किले को कोई क्षति पहुंची है, तो निस्संदेह उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ समवायों के अधिमान अंशों पर लाभांशों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि कुछ सवमायों के अधिमान अंशों पर लाभांशों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाक घर अधिनियम, १८९८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, १८९८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० सुब्बरायन:** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

औषधि संशोधन विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री करमरकर द्वारा ३० अगस्त, १९६० को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि औषधि अधिनियम, १९४० में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये "

सभा का कार्य

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फीरोजाबाद) : इस से पहले कि सभा विधेयक पर चर्चा शुरू करे मैं एक बात कहना चाहता हूं । आज एक प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी जो अब नहीं हो रही है । उड़ीसा में बाढ़ के बारे में कल बहस होगी ; इसलिये मेरा सुझाव है कि आज के प्रस्ताव का जो समय बचे, उसे हम पंजाब तथा उड़ीसा की बाढ़ों पर चर्चा के लिए काम में ला सकते हैं । सारे देश में बाढ़ आ रही हैं और यह एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है । क्या इन सब पर कल बहस की जा सकेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात संसद् कार्य मंत्री को बता दी जायेगी । यदि संभव हुआ तो मैं इस चर्चा के लिये समय बढ़ा दूंगा । पंजाब की बाढ़ की भी चर्चा की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औषधि (संशोधन) विधेयक--जारी

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : श्रीमान्, इस विधेयक द्वारा केन्द्र अपने हाथ में कुछ अधिकार ले रहा है । सामान्यतया हम इस प्रवृत्ति का विरोध किया करते हैं परन्तु ऐसे मामलों में जहां पर कि कतिपय स्तरों को निर्धारित करना हो, हम इस चीज का विरोध नहीं करते । किन्तु मैं माननीय मंत्री से यह बात अवश्य पूछना चाहूंगा कि वे इस दिशा में किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे । आखिर दिल्ली भी केन्द्रीय प्रशासन के अधीन है परन्तु यहां की स्थिति भी अच्छी नहीं है । सुनते हैं कि दिल्ली में काफी ज्यादा कृत्रिम औषधियां बनती हैं। सरकार ने यहां पर अपनी दक्षता का परिचय नहीं दिया ।

इस के अलावा हमें यह भी आशंका है कि जब केन्द्र ने भी अपने विश्लेषक नियुक्त कर दिये और उधर राज्यों ने भी तो काम ठीक तरह से न चलेगा । इस दोहरे काम से उतना लाभ न होगा क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपनी जिम्मेदारी डालने का प्रयास करेगा। इस लिये यह चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि केन्द्र अमुक कार्य करेगा और राज्य अमुक काम करेंगे । इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को अपने कारखानों में सर्वोत्तम औषधियां तैयार करनी चाहिएं। सर्वोत्तम औषधियां बाजार में आएंगी तो सामान्य जनता खराब औषधियों को नहीं खरीदेगी। इस तरह के काम से भी कृत्रिम औषधियों का व्यापार रोका जा सकता है । अकेले दंड देने से काम न चलेगा। वैसे एलोपैथिक औषधि निर्माण उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है ।

देश में एलोपैथिक औषधियों का निर्माण करने वाली अनेक संस्थायें हैं ; इसकी तुलना में इस्पात बनाने वाली संस्थाओं की संख्या केवल बारह ही है। इस्पात मंत्री केवल इन बारह संस्थाओं की अनियमितताओं को नहीं रोक सकते । आज भी दिल्ली में ही इस्पात की चोर बाजारी हो रही है । इस तरह क्या हम स्वास्थ्य मंत्री जी से यह आशा रख सकते हैं कि वे इतने अधिक निर्माताओं पर नियंत्रण रख सकेंगे। ऐसा होना कठिन है, यह सफलता तभी मिल सकती है जब कि इस उद्योकग का राष्ट्रीय-करण किया जाये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इन कारखानों को अनुज्ञप्तियां देने और चलाने का काम भी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आना चाहिए; परन्तु मैं इस बात को ठीक नहीं समझता । ऐसा करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय केवल लाभ हानि के कुचक्र में ही उलझ कर रह जायेंगा। हां इतना जरूर होना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक निरीक्षणालय बनाया जाये जो विभिन्न कारखानों के काम को ठीक ढंग से देखे ।

हम यह भी उचित समझते हैं कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाना चाहिए । इस से जनता में विश्वास पैदा होता है कि आयुर्वेदिक औषधियां भी सरकार की देख रेख में बनी हैं। यदि सरकार सारे देशी औषधि निर्माताओं पर नियंत्रण नहीं कर सकती तो कम से कम उसे कुछ बड़े बड़े निर्माताओं पर ही नियंत्रण कर लेना चाहिए। सरकार को आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण स्वयं भी करना चाहिये ।

जहां तक दंड की व्यवस्था का सम्बन्ध है उस के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है कि व्यवस्थित दंड काफी नहीं है । यह ठीक है कि कृत्रिम औषधि का निर्माण या

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

विक्रय करने वाला व्यक्ति बहुत ही बड़ा अपराधी है परन्तु कई बार ऐसे अपराध साधारण टेक्निकल कोटि के होते हैं। उन अपराधों के कारण किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष का दंड देना भी उचित नहीं है । इस लिये हम दंडाधिकारियों को स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार देते हैं। यदि दंडाधिकारी किसी अपराधी को एक वर्ष से कम का दंड देगा तो उसे उस के कारण लिखने होंगे। हमें अधिक से अधिक इस व्यवस्था में यह संशोधन कर लेना चाहिए कि दंडाधिकारी अपने लिखित कारणों को अपीलीय न्यायालय में प्रेषित करे।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): गत बार जब कि श्री गोपालन ने औषधि उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी तो उस समय माननीय मंत्री ने कहा था कि उनका विचार एक प्रयोगशाला बाद का है और जब तक सब औषधियां उस में न जांची जायेंगी तब तक उसे निकलने न दिया जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर गहन नियंत्रण रखने तथा दंड की व्यवस्था की बातों का समर्थन किया है ।

यदि मैं इस वाद-विवाद से सम्बद्ध बातों का ही उत्तर देना चाहूं तो शायद मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी; परन्तु इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो पर्याप्त रूप से महत्व पूर्ण हैं। मैं हर बात का उत्तर न देकर मुख्य बातों का जवाब दूंगा।

श्री माथुर ने कहा कि भेषज निर्माण उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में न छोड़ा जाये । इस सम्बन्ध में मैं यह मानता हूं कि जो कोई भी इस उद्योग को चलाता है वह केवल जनता का हित सामने रख कर ही इस काम को नहीं करता। उसे अपने लाभ की भी काफी चिन्ता रहती है । सब से पहला उद्देश्य लाभ की प्राप्ति का रहता है । यह शिकायत हर जगह पर है ; और तो और अमरीका में भी जनता को यह शिकायत है कि औषधियां दिन प्रति दिन महंगी होती जा रही हैं। इसका एक कारण और भी है । रक्ताभाव रोग के लिये आज कल ऐसी औषधियां दी जाती हैं जिन में तीन चार दवाएं मिली होती हैं। यदि एक ही दवा हो तो तुलनात्मक दृष्टि से वह सस्ती पड़े। विदेशों में भी जनसाधारण के लिए औषधि खरीदना कठिन होता जा रहा है ।

इस लिये यदि हम जनसाधारण को युक्तियुक्त मूल्यों पर औषधि देना चाहें तो राष्ट्रीयकरण ही सर्वोत्तम विधि होगी। पेंसिलीन के कारखाने में हमें इस चीज़ का अनुभव हुआ है । पहले जब हम इस का आयात करते थे तो यह महंगी थी । अब इसका मूल्य युक्तियुक्त है किन्तु औषधि का दुरुपयोग बंद करने के लिए इसका मूल्य तनिक अधिक भी होना चाहिए। यह ठीक है कि जनता की सेवा करने के लिए जहां तक संभव हो इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र में ही होना चाहिए। परन्तु इतिहास को बदला नहीं जा सकता । क्या एक देश राष्ट्रीयकरण करने की स्थिति में है यह दूसरा प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तदपि सरकार माननीय सदस्यों के विचारों पर ध्यान देगी । निकट भविष्य में हम पांच कारखाने सरकारी क्षेत्र में खोलने वाले हैं जो, संश्लिष्ठ, औषध, एंटीबायोटिक्स, मन्थ्यौषध, जड़ी बूटियों से तैयार होने वाले औषध तथा शल्य चिकित्सा के औजार बनायेंगे ।

एक दूसरी बात भी कही गयी थी अर्थात् कि जहां हम एलोपैथी की औषधियों को इस विधेयक के अन्तर्गत ला रहे हैं वैसे ही हमें आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों पर भी नियंत्रण करना चाहिये । मैं भी इस बात का समर्थक हूं । हमें इन समवर्ती विषयों पर राज्य सरकारों का परामर्श लेना पड़ता है । परामर्श के फलस्वरूप हम यह अनुभव करते हैं कि सभी औषधियों पर नियंत्रण होना चाहिए । नियंत्रण के बिना प्रमाप नहीं निश्चित होंगे । नियंत्रण के बिना कृत्रिम औषधियों के बाहुल्य की बात का निराकरण नह किया जा सकता । मुझे आशा है कि निकट भविष्य में अन्य औषधियों के बारे में भी हम एक विधेयक रखेंगे ।

मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने दोहरे प्रशासन की सफलता के प्रति कुछ आशंका प्रकट की । वास्तव में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार राज्यों में भी निरीक्षणालय आदि होंगे । परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हमारी एक दुसरे से लड़ाई है । हमारे और राज्यों के दो मत नहीं हैं । हमें इस क्षेत्र में इस कारण आना पड़ा क्योंकि सभी राज्य इस दिशा में सतर्क नहीं थे । हमने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से परामर्श करने के बाद ही यह विधयक सभा में रखा है । हम यह निश्चय करेंगे कि राज्यों तथा केन्द्र में इस तरह का कोई विवाद न हो । दोनों मिल कर काम चला लेंगे ।

श्री आचार ने शायद दंडाधिकारियों आदि की शिकायत की । शायद एक क्षण के लिए वह यह भूल गए कि यह सभा प्रभुत्वसम्पन्न निकाय है । यही सभा दंडाधिकारियों को अधिकार प्रदान करती है । यदि किसी बात पर तनिक ज़ोर देना हो तो यह सभा वैसा कर सकती है । हमने न्यूनतम सज़ा एक वर्ष तक की रखी है । यदि किसी अपराधी को एक वर्ष से भी कम का दंड दिया जाना हो तो उसके कारण लिखे जायेंगे । एसा भी हो सकता है कि अपराध साधारण हो । ऐसे मामलों में हम यह नहीं चाहते कि दंडाधिकारी कम दंड ही न दे सके । जब संसद् यह कहती है कि अमुक अपराध के लिए कम से कम दंड इतना हो तो उसको हर न्यायाधीश समझ लेगा । संसद् तो यही आशा करती है कि प्रत्येक दंडाधिकारी न्याय करेगा । यदि हम केवल इतना ही कहते कि दंडाधिकारी ३ वर्ष तक का दंड दे सकता है तो इतना कहने से सभा की इच्छा स्पष्ट न होती । किन्तु अब न्यूनतम दंड एक वर्ष तक का होगा और यदि दंडाधिकारी इससे भी कम दंड देना चाहेगा तो उसे उसके कारण लिखने होंगे । एक वर्ष के दंड का तो नियम सामान्य होगा । ऐसी व्यवस्था हम पहले भी कर चुके हैं । भ्रष्टाचार के विषय में भी हमने ऐसा ही किया है ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैंने तो यह कहा था कि कानून में अधिकतम दंड की व्यवस्था की जाती है । इसी कारण मैंने कहा था कि संसद् को दंडाधिकारियों पर भरोसा नहीं है ।

†**श्री करमरकर** : यहां पर भरोसे की कोई बात नहीं है । हम तो दंडाधिकारी को केवल यही बताना चाहते हैं कि संसद् की इच्छा यह है । हम यह भी तो कह ही सकते थे कि न्यूनतम दंड एक वर्ष तक का होगा । सामान्यतया एक वर्ष का दंड दिया जायेगा पर आपवादिक मामलों में कम दंड भी दिया जा सकेगा । यदि हम दंडाधिकारियों का मार्ग दर्शन न करेंगे तो हम यह शिकायत भी नहीं कर सकेंगे कि दंडाधिकारी क्या करते हैं । हमें हर न्यायाधीश पर पूरा भरोसा है । हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि अपराधियों को चेतावनी दी जाये कि यदि व ऐसा अपराध करेंगे तो उन्हें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

एक वर्ष का दंड भुगतना पड़ेगा; यदि अपराध कुछ कम हो तो कम दंड की व्यवस्था भी कर दी गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय साथी यह तो कदापि नहीं चाहते कि हम इन अपराधियों से नर्मी का व्यवहार करें।

दूसरी ओर कुछ लोग यह चाहते हैं कि दंड और ज्यादा रखना चाहिए। किन्तु हमें तो जांच-तौल कर उपयुक्त दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमने यह कहा है कि इस प्रकार के अपराधों के लिए न्यूनतम दंड १ वर्ष का और अधिकतम ३ वर्ष का होगा। किन्तु यदि तब भी अपराधी न माने तो हम इस सीमा को बढ़ाने के लिए सभा में आएंगे अर्थात् यह कराएंगे कि कम से कम दंड ५ वर्ष तक का हो और अधिक से अधिक उम्र कैद का। पर हम समझते हैं कि यह दंड ही पर्याप्त है।

भारतीय भेषज संहिता बनाने की बात भी कही गयी। वर्षों के परिश्रम से तैयार की गयी एक भेषज संहिता आज से ५ वर्ष पूर्व जारी की गयी थी। इसलिये न केवल हमारे पास हमारी अपनी भेषज संहिता ही है वरन् औषधियों के नुस्खों की पुस्तक भी हमारी अपनी है।

कुछ बातें लोग बिना सोचे समझे भी कह जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि किसी को पेंसिलीन का इंजक्शन लगा और उसका देहान्त हो गया। जो पेंसिलीन हमारे स्वर्गीय साथी को लगी थी उसके साथ ही सारी औषधि को न केवल यहां पर जांचा गया, बल्कि अमरीका में भी भेजा गया था। परिणाम यही निकला कि उसमें कोई दोष नहीं था। हमें पिम्परी की सफलता पर गर्व है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : तो फिर माननीय सदस्य की मृत्यु इंजेक्शन लगाने के बाद क्यों हुई ?

†**श्री करमरकर** : जो दवा माननीय सदस्य को लगी उसके साथ बनी सारी दवा दोषरहित थी। जहां तक मृत्यु का सम्बन्ध है उसके समस्त कारणों को नहीं जाना जा सकता। हो सकता है कि इस औषध से किसी को अलर्जी होती हो। विदेशों में भी सहस्रों लोग इसी तरह से मर गये किन्तु सही कारणों का ज्ञान नहीं हो पाया।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : डाक्टरों को यह हिदायत होती है कि पेंसिलीन लगाते समय वे ऐसी औषधियां भी तैयार रखें जो उसके बुरे प्रभाव को रोक सकें। क्या वह डाक्टर ऐसी दवाइयां साथ लाया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा; यह सब असंगत है।

†**श्री करमरकर** : डा० सुशीला नायर ने कहा कि अनेक समान औषधियों को विभिन्न व्यापारिक नामों से बेचा जा रहा है; उन्हें ठीक नाम से ही बाजार में चलाना चाहिए। वस्तुतः अधिनियम में सही नाम देने की व्यवस्था है। यह सुझाव अच्छा है अतः औषधि निर्माताओं तथा डाक्टरों से यह कहना पड़ेगा कि वे अपनी दवाओं के ऐसे नाम न रखें जो राष्ट्रीय नुस्खों की पुस्तक में न हों। यदि एक ही नाम हो तो बड़ी आसानी रह सकती है।

निस्संदेह कृत्रिम औषधियों का निर्माण तो अब भी हो रहा है। श्री दी० चं० शर्मा ने कहा कि किसी भी स्थान पर ये उपलब्ध हो सकती हैं। कृत्रिम औषधियां हैं यह तो एक बात है परन्तु उनका बाहुल्य है यह दूसरी बात है। अब लोगों को पता है कि कानून तनिक कड़ा बन रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नंजप्पा चाहते हैं कि उन लोगों के लिये भी दंड की व्यवस्था की जाय जो गलत ब्रांड की औषधियों का विज्ञापन करते हैं। इस चीज की व्यवस्था औषधि तथा जादू टोना उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम में की जा चुकी है अतः यहां व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

विधेयक के अन्य सिद्धान्तों से लगभग सभी सदस्य सहमत थे। यह आशंका भी की गयी कि कहीं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद न उठे अन्यथा इसके उद्देश्यों का समर्थन ही किया गया है। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं हम उन पर ध्यान देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कानपुर जैसे नगरों में टिंक्चर आदि के रूप में शराब बेची जा रही है। क्या सरकार इसकी जांच करा सकेगी ?

†**श्री करमरकर** : मैं राज्य सरकार को लिख दूंगा और आशा है कि वे इसकी जांच करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने भी सुना है कि हमारे नगर में भी ऐसा होता है। वहां पर बंगलौर से यह चीजें आती हैं और हो सकता है कहीं और से भी आती हों। आजकल कुछ लोग मैथीलेटिड स्प्रिट तक पी जाते हैं।

†**श्री करमरकर** : यही तो दुर्भाग्य की बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औषधि अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ तथा ३ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ तथा ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ तथा ५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ तथा ५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ६—(धारा २३ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर श्री नंजप्पा का संशोधन है, क्या वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि) : जी नहीं; मैं केवल व्याख्या चाहता था कि निरीक्षक द्वारा दवाइयां जब्त क्यों नहीं की जातीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री असार** (रत्नागिरि) : यही मेरी शिकायत है ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

†**श्री करमरकर** : मुझ दुःख है कि मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना भूल गया । माननीय सदस्य चाहते हैं कि निरीक्षक को माल जब्त करने का अधिकार भी दिया जाय । विद्यमान अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन निरीक्षकों को पहले से ही यह अधिकार है । इसी कारण पुनः हमने यह चीज़ नहीं करनी चाही ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय** : खंड ८ पर श्री रघुनाथ सिंह का एक संशोधन है पर वह अनुपस्थित हैं । प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ से ११ विधेयक में जोड़ दिए गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

†**श्री करमरकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक

†**वाणिज्य उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क तथा उपकर सम्बन्धी कुछ विधियों में मीट्रिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक पिछले सप्ताह सभा द्वारा पारित उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में पारित विधेयक की तरह ही है। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। इसका उद्देश्य कुछ विभिन्न विधियों में इस प्रकार परिवर्तन करना है जिससे कि वे सीमा शुल्कों और उपकरों के सम्बन्ध में मीट्रिक प्रणाली को अपना सकें। जिन अधिनियमों में परिवर्तन किया जायेगा वे इस प्रकार हैं : भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, भारतीय लाख उपकार अधिनियम, कहवा अधिनियम, नारियल जटा उद्योग अधिनियम, भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, भारतीय गोला समिति अधिनियम और चाय अधिनियम।

शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथापि कुछ दरों को एकीकृत कर दिया जायेगा क्योंकि अन्यथा यह परिवर्तन बहुत जटिल हो जायेगा और दरें नये पैसे के एक छोटे अंश तक पहुंच जायेंगी। इस प्रकार जो दरें समेकित की गई हैं वह पिछले विधेयक की तरह ही हैं।

मोटे तौर पर इन परिवर्तनों से वस्तु-बोर्डों, और सरकार के राजस्व में कोई वृद्धि नहीं होगी। सम्भव है, इन संशोधनों के परिणामस्वरूप उनकी आय में कुछ लाख की कमी हो जाय। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े देकर सभा का समय नहीं लूंगा। दरें संशोधन विधेयक में ही दे दी गई हैं। पौंड, हण्डरवेट और मन सेर की प्रणाली को किलोग्राम या मीट्रिक टनों में बदला जा रहा है गज और फीट के स्थान पर मीटर का उपयोग किया जा रहा है, गैलन के स्थान पर लिटर का प्रयोग किया जायेगा। एकड़ के स्थान पर हैक्टैयर्स का प्रयोग किया जायेगा।

नाप और तोल के इन पैमानों का दिल्ली में व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। १ अक्टूबर से इनका प्रयोग अनिवार्य हो जायेगा। तत्पश्चात् पुराने बाटों का प्रयोग करना अवैधानिक हो जायेगा। दिल्ली में इनका प्रयोग पिछले दो वर्ष से किया जा रहा है। यदि सदस्य इन बाटों तथा पैमानों को देखना चाहते हैं तो संसद् भवन में अगले सत्र में इनकी नुमायश हो सकती है।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क तथा उपकर सम्बन्धी कुछ विधियों में मीट्रिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से १० और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से १० और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पलाई सेण्ट्रल बैंक का दिवाला निकल जाने के पश्चात् हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम बैंकिंग समवायों के दिवालिये होने तथा उनकी आस्तियों के वितरण से सम्बन्धित वर्तमान प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें ।

सभा को ज्ञात है कि १९५० में बैंकिंग समवाय अधिनियम में एक पूरा नया अध्याय जोड़ दिया गया था । तथापि श्री धीरेन मित्र की अध्यक्षता में नियुक्त बैंक समापन प्रक्रिया समिति की सिफारिशों के आधार पर उनमें पर्याप्त परिवर्तन किया गया । अनुभव से ज्ञात हुआ है कि यद्यपि ये उपबन्ध कुछ सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं तथापि वे समस्या के आकार को देखते हुए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिये यदि दिवालिया बैंकों के निक्षेपकों को तत्काल धन राशि देनी है तो इसमें कुछ आवश्यक और बुनियादी संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।

मैंने सभा में पिछली बार दिये हुये एक दो वक्तव्यों में उन संशोधनों का संकेत कर दिया है जो कि विधेयक में किये जाने वाले हैं । वर्तमान विधि में एक कमी यह है कि अधिक महत्वपूर्ण प्रारम्भिक समापन कार्यवाही को निपटाने की कोई सीमा विहित नहीं की गयी है । इसका यह परिणाम हुआ कि निक्षेपकों को कई मामले में पहिली किश्त मिलने में महीनों का समय लग गया । दिवालिया सम्बन्धी कार्यवाही में इतना अधिक विलम्ब अवांछनीय है इसे दूर करना चाहिये । इसका एक कारण यह है कि सुरक्षा प्राप्त ऋण दाताओं का जो भुगतान में प्राथमिकता के अधिकारी होते हैं, तत्काल निश्चय नहीं हो सकता है । हम इस विधेयक से यह शक्ति प्राप्त कर रहे हैं कि दो महीनों के भीतर इस राशि का निश्चय कर लिया जाय । जिससे कि उपलब्ध आस्तियों का तत्काल भुगतान कर दिया जाय ।

हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि बैंक का काम बन्द होने के तीन महीनों के बीच पहिली किश्त चुका दी जाय । छोटे निक्षेपकों को अन्य सभी निक्षेपकों या ऋण दाताओं से प्राथमिकता दी जाय । इस सिद्धान्त को वर्तमान अधिनियम में मान्यता दी गई है । हम इस रियायत को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं ।

प्रस्तावित संशोधन को सभा के विभिन्न पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है । श्री मित्रा समिति की सिफारिश के अनुसार जिस ४३क को बैंकिंग समवाय अधिनियम में शामिल किया गया था, उसके अनुसार प्राथमिक दावों के भुगतान के पश्चात्, बचत बैंक के निक्षेपकों को १०० रु० तक भुगतान करने का उपबन्ध था । कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस राशि को २५० रु० कर दिया गया है । दूसरे वर्ग के निक्षेपकों को भी कुछ सहायता करने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि उन निक्षेपकों के नाम की राशि का ५० प्रतिशत, जो अधिकतम २५० रु० तक की राशि बचत बैंक के निक्षेपकों को भुगतान करने के पश्चात् दी जा सकती है । हम आशा करते हैं कि २५० रु० की यह राशि कुछ ही महीनों के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सकेगी । हम केवल इतना ही नहीं अपितु यह भी चाहते हैं कि इन सभी बैंकों की आस्तियां अपेक्षाकृत कम समय में वसूल हो सकें । हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे न कि कर्जदारों को कोई कठिनाई हो और न निक्षेपकों को, जिनको कि इसका लाभ प्राप्त होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रयोजन के लिये समवाय अधिनियम और विशेषतः इस अधिनियम की धारा ४५७ सक्षम है, तथापि अवशेष आस्तियों की वसूली और २५० रु० के पश्चात् अग्रेतर राशियों के वितरण के लिये पलाई सेण्ट्रल बैंक के मामले में एक विशेष समापन कार्य अधिकारी की नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, हम ऐसी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं कि भारत रक्षित बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर हम समापन अधिकारी की नियुक्ति कर सकें।

मैं नयी समय अनुसूची और छोटे निक्षेपकों को बुनियादी भुगतान करने वाली व्यवस्था को भूतलक्षी अवधि से लागू करना चाहता था। सभी दिवालिया बैंकों में इस व्यवस्था को भूतलक्षी अवधि से लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयां सामने आयेंगी। अतः यह प्रक्रिया केवल उन दिवालिया बैंकिंग समवायों पर लागू होगी जिन्होंने अभी पहिली किश्त भी अदा नहीं की है। भूतलक्षी अवधि से सम्बन्धित यह व्यवस्था लक्ष्मी बैंक पर लागू होगी।

इन संशोधनों के स्वीकार हो जाने के पश्चात् दिवालिया सम्बन्धी कार्यवाही में बहुत कम समय लगेगा। तथापि हमारे सम्मुख इससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह यह है कि यथा सम्भव बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जाय। परिसमापन की उक्त प्रक्रिया बहुत खर्चीली और लम्बी होगी। यद्यपि कुछ संस्थाओं को दिवालिया करार देना अनिवार्य होगा, तथापि कुछ संस्थाओं के मामले में उन्हें किसी अन्य संस्था के साथ मिला कर अथवा उसकी वित्तीय अवस्था पर विचार कर बैंक का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया जायेगा। इसलिये जहां तक सम्भव होगा हम इन वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे जिससे चिन्ता, विलम्ब, अनिश्चयता और खर्च इत्यादि जो कि समापन के कारण होते हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। इसके साथ साथ निक्षेपकों के हितों का ध्यान रखते हुए बैंक को उसी रूप में या उससे परिवर्तित रूप में जारी रखने का प्रयत्न किया जायेगा।

ऐसा बैंक जिसकी दशा खराब हो गई हो उसकी दशा को सुधारने का प्रयत्न करने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी जांच का कार्य एक निश्चित समय के भीतर समाप्त हो जाय। ऐसी जांच और वार्ता के दौरान ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि बैंक की साख को धक्का पहुंचे। इसलिये समवाय को कुछ मामलों में शोध विलम्ब काल देना भी आवश्यक होगा। हम चाहते हैं कि विलम्ब शोध काल मंजूर करने की शर्तों को और भी सरल बनाया जाय, और केन्द्रीय सरकार के लिये भारत रक्षित बैंक की सिफारिश के आधार पर किसी बैंक के पुनर्निर्माण सम्बन्धी जांच करने के पूर्व एक आवश्यक शर्त के रूप में तत्काल विलम्ब शोध काल मंजूर करना सम्भव हो सके।

हम नहीं चाहते हैं कि विलम्ब शोध काल के लिये बहुत लम्बा समय दिया जाय, हम इसके लिये छः महीनों का समय निश्चित कर रहे हैं जो बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ३७ के अनुसार है। क्योंकि इस अवधि के भीतर ही हमें कोई सन्तोषजनक हल ढूंढ़ना पड़ेगा अतः बैंकिंग समवाय अधिनियम की पुनर्निर्माण और एकीकरण से सम्बन्धित कई धाराओं को अधिक सरल बनाना पड़ेगा। वस्तुतः बैंकों के प्रकार की ऋण देने वाली संस्थायें, जिनसे हजारों निक्षेपक सम्बन्धित रहते हैं, उन पर केवल समवाय विधेयक के सामान्य उपबन्ध ही लागू नहीं किये जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि अंशधारियों के अधिकार में कोई कमी की जाय, निस्सन्देह हम यथा सम्भव उनसे अवश्य परामर्श करेंगे, तथापि ऐसी वित्तीय और ऋण दाता संस्थाओं के पुनर्निर्माण का दायित्व केन्द्रीय सरकार या भारत रक्षित बैंक पर निर्भर रहना चाहिये। हम सभा के संगत उपबन्धों में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि हम व्यवहारतः इन नये और व्यापक शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेंगे जिससे देश में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली और अधिक मजबूत होगी।

हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली काफी सुदृढ़ है। पिछले दस वर्षों की अवधि से, जब से बैंकिंग समवाय अधिनियम लागू है, भारत रक्षित बैंक नियन्त्रण की एक ऐसी प्रणाली लागू करने में सफल

[श्री मोरारजी देसाई]

हुआ है जिससे कि अपेक्षाकृत कमजोर और अकुशल संस्थायें समाप्त हो गई हैं और अन्य बैंकों की साख बढ़ी है ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य इस दिशा में भारत रक्षित बैंक और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करना है । यह विधेयक किसी बड़ी त्रुटि की ओर संकेत नहीं करता है । इसके द्वारा उस विधि सम्मत ढांचे के पुनर्निर्माण और परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है, जिसके अधीन अब रक्षित बैंक को अपना कार्य करना होगा । विधेयक के उपबन्धों द्वारा विभिन्न वर्गों के विरोधी दावों के समन्वय का प्रयत्न किया गया है । मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करेगी ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकंदपुरम) : सभापति महोदय, मैं तो यही चाहता था कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाता परन्तु अब इसी तरह से ठीक है क्योंकि समिति को सौंपने से और ज्यादा विलम्ब हो जायगा ।

बैंकिंग समवाय अधिनियम में १९५६ में संशोधन, किया गया था । संशोधन प्रस्तुत करते समय श्री कृष्णमाचारी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धारा ३५ में इस कारण संशोधन किया जा रहा है ताकि रिजर्व बैंक को निक्षेपकों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित अधिकार प्राप्त हो जांय । यह बात उन्होंने उस समय स्वीकार की थी ।

अनेक बार हम ने इस सभा में यह मांग की है कि देश के सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । योजना आयोग तथा यह सभा यही चाहते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था एक खास ढांचे में ढले । उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है । परन्तु जब कभी भी हमने ऐसी मांग सभा में रखी तभी हमारे वित्त मंत्री बैंकिंग समवाय अधिनियम आदि कानूनों का उल्लेख कर के यह उत्तर देते रहे कि रिजर्व बैंक के पास इतने अधिकार हैं कि जिन के आधार पर वह न केवल निक्षेपकों के हितों की रक्षा कर सकता है अपितु समूची अर्थ व्यवस्था पर भी नियंत्रण कर सकता है । ऐसी शक्तियों के होते हुए भी पलाई बैंक को बन्द करा दिया गया और ८०,००० लोग, जो मध्यम श्रेणी के थे बर्बाद हो गये । उन निक्षेपकों में अनेक विधवायें थी तथा अन्य गरीब जनता थी ।

पलाई बैंक कांड पर सभा में चर्चा हो चुकी है । उसी चर्चा के दौरान माननीय वित्त मंत्री से यह बात पूछी गयी थी कि क्या देश के अन्य अनुसूचित बैंक ठोस हैं ? पर उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया । जनता सदा से यही समझती रही है कि बैंक में रुपया सुरक्षित रहता है परन्तु अब जब कि सरकार कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं, जनता का विश्वास इन बैंकों पर से उठता जा रहा है ।

पिछले मास की तीस तारीख को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि यों तो देश के बैंक ठोस हैं परन्तु संतोष के लिए भी ज्यादा गुंजायश नहीं है । ऐसे अस्पष्ट वक्तव्य का क्या अर्थ निकला जा सकता । रिजर्व बैंक को स्थिति सुधारने के लिए ही अधिकार दिये जा रहे हैं ।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या और ज्यादा अधिकार ले कर वह निक्षेपकों के हितों की रक्षा का जिम्मा लेगी या नहीं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पलाई बैंक के बारे में रिजर्व बैंक ने १९५१ से ही क्यों कुछ कार्यवाही न की । १९५५ में उस बैंक में ५ करोड़ रुपया जमा था। रिजर्व बैंक उस के प्रबंध को सुधारने के लिए काफी अर्से से हस्तक्षेप भी कर रहा था । परन्तु फिर जो कुछ हुआ उसे क्यों होने दिया गया । इस बैंक के निदेशकों ने चार करोड़ रुपया बिना गारन्टी के दे दिया परन्तु किसे दिया इस बात का पता भी चलना चाहिए। सरकार का कहना है कि निक्षेपकों को साधारण सी नाम मात्र की रकम लौटाई जायगी परन्तु म तो यह जानना चाहता हूं कि उनकी शेष रकम किधर गयी ? जब तक इस चीज का उत्तर न दिया जायगा तब तक केरल में तो कोई व्यक्ति बैंको पर भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से कुछ गिने चुने आदमी जनता की रकम खा कर भाग जायेंगे क्या ? क्या इन कानूनों में ऐसी व्यवस्था नहीं कि उन्हें पकड़ा जाय और जनता का रुपया वसूल किया जाय । यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इन्हीं संशोधनों के साथ ऐसा भी कर लेना चाहिये था ।

सरकार ने इस समय तक केवल यही किया है कि केरल उच्च-न्यायालय में दीवालियेपन का आवेदन दिलवा दिया है । पर यह ही काफी नहीं है । स्पैशल पुलिस के द्वारा इस सारे घोटाले की जांच करायी जाय कि निक्षेपकों का रुपया किन किन व्यक्तियों ने हड़प किया है और फिर जो लोग दोषी नजर आये उन के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

इसका दूसरा उपाय यह है कि बैंक के निदेशकों की सम्पदा तथा उनकी अन्य आस्तियों की भी जांच कराई जाय। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इतना रुपया जमा कर लिया है जिसकी कि वे व्याख्या नहीं दे सकते । उनकी आय तो इतनी न थी । आज भी यदि यह निदेशक निक्षेपकों का पैसा देना चाहें तो अच्छी तरह से उसकी अदायगी कर सकते हैं। पर यह काम सरकार ही करा सकती है ।

सरकार इस मामले को इस तरह चुप कराना चाहती है कि प्रत्येक निक्षेपक को २५० रुपया दिया जाय परन्तु इतनी सी रकम से क्या होगा । इस से तो आत्महत्या करने के लिए विष भी नहीं खरीदा जा सकता ।

वास्तव में पलाई बैंक के मामले में एक पहेली है जिसे शायद वित्त मंत्री ही जानते हैं :

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य इस विधेयक के सम्बन्ध में ही बोलें ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** वस्तुतः वित्त मंत्री अब ज्यादा अधिकार लेने के लिए सभा में आए हैं पर मैं यह कह रहा हूं कि ये अधिकार तो पहले भी थे । उनका क्या लाभ हुआ। रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, १९५९ में वित्त मंत्रालय को लिखा कि पलाई बैंक की हालत खतरनाक होती जा रही है परन्तु मंत्रालय सोया रहा ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह झूट है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** पलाई सैंट्रल बैंक से जो शिक्षा सरकार को मिली उस से लाभ उठाना चाहिए इसे । परन्तु इस विधेयक से तो कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाराणन् कुट्टि मनन]

अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान केरल के बचत तथा नियोजन निगम के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । इस निगम की तेरह शाखायें हैं और इस में भी गरीबों का रुपया जमा है । इसको बंद तो नहीं किया गया परन्तु रिजर्व बैंक के आदेशानुसार इस में रुपये पैसे का लेन देन बंद हो गया है । मेरी प्रार्थना है कि सरकार को गरीबों पर दया कर के इसे किसी न किसी तरह चालू रखना चाहिए ।

इस के बाद मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि पलाई बैंक के निक्षेपकों को ज्यादा नहीं तो कम से कम पांच सौ रुपया प्रतिनिक्षेपक तो मिलना ही चाहिए । इसी के साथ भुगतान में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाय ।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : इस अधिनियम का उद्देश्य रिजर्व बैंक तथा सरकार को अधिक अधिकार देने का है । सामान्य रूप से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु हमें यह जरूर देखना चाहिए कि रिजर्व बैंक के पास जो शक्तियां पहले से थीं क्या उस ने उनका प्रयोग ठीक समय पर किया ।

सामान्य विचार यही है कि रिजर्व बैंक ने हिदायतें आदि देने के बारे में उपयुक्त समय पर कार्यवाही नहीं की। अन्यथा पलाई बैंक को बचाया जा सकता था । उस के बाद पंजाब नैशनल बैंक से भी लोग धड़ाधड़ रुपया निकालने लगे थे ; यदि उसकी यह हालत कुछ दिन और रह जाती तो सारा काम ही समाप्त हो जाता। और बैंकों को भी धक्का पहुंचता । वस्तुतः बैंकिंग का काम बड़ा ही नाजुक है । जनता का भरोसा उठा बैंक जाता रहा । इसलिए ठीक तरह से काम करने की आवश्यकता है ।

माननीय वित्त मंत्री ने सभा में कहा कि सरकार किसी भी बैंक की गारन्टी नहीं ले सकती; माना कि कानून की दृष्टि से यह बात ठीक है पर भारत जैसे देश के वित्त मंत्री को सभा में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। इस से जनता का विश्वास उखड़ जाता है । यहां पर हर चीज़ सोच समझ कर कही जानी चाहिए ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित करना चाहिए । परन्तु ऐसे आंशिक उपायों से सारी समस्या हल न होगी । पिछले ९/१० वर्ष में देश का आर्थिक ढांचा पूर्ण रूप से बदल गया है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है और रुपये की मात्रा भी बढ़ी है । ऐसी स्थिति में सरकार को समूचे बैंकिंग उद्योग का अध्ययन कर के एक व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत करना चाहिए था । मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरी जांच करेगी।

बैंक केवल भारत में ही फेल नहीं होते अमरीका जैसे विकसित देशों में भी ऐसी ही दुर्घटनायें होती हैं। परन्तु वहां पर बेइमानी के कारण बैंक कभी फेल नहीं होते । भारत में प्रबन्धकों की बेईमानी तथा कर्मचारियों की अदक्षता से ही बैंकों का काम चौपट होता है । इसी चीज़ का उपाय रिजर्व बैंक को करना चाहिए । प्रत्येक राज्य में एक ऐसी संस्था खोली जानी चाहिए जहां पर बैंकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके । इस संस्था का व्यय बैंकों को स्वयं वहन करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्राथमिकता वाले दावेदारों के बारे में और दूसरा समापन सम्बन्धी कार्य के बारे में। इस विषय में प्रसन्नता की बात यह है कि समापन के सम्बन्ध में कुछ मामलों में समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है । दूसरा भाग बैंकों के संयोजन से संबंधित है । मैं इस चीज़ के पक्ष में हूं परन्तु इसी के साथ यह भी कहूंगा कि हमें छोटे बैंकों की भी जरूरत है । सरकार को सहायक बैंक खोलने का भी विचार करना चाहिए ।

जैसे प्रबन्धक आदि की नियुक्ति रिज़र्व बैंक का परामर्श लेकर की जाती है उसी प्रकार से बैंक के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भी रिज़र्व बैंक की मंत्रणा से ही की जानी चाहिए ।

सुना गया था कि कुछ अन्य बैंकों के कर्मचारी पंजाब नैशनल बैंक के बारे में शरारत कर रहे हैं । ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए और उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। जो लोग देश के हित पर आघात करते हैं उनके लिए हमारे यहां कोई स्थान नहीं होना चाहिए ।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । अनुसूचित बैंकों के निक्षेपों के बारे में काफी कुछ कहा गया है । यह बड़े दु:ख की बात है कि विरोधी दल के सदस्य इस तरह की बातें कहते हैं कि रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा प्रत्येक निक्षेपक को गारंटी प्राप्त हो । ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं हो सकता । देश का हर आदमी जानता है कि अनुसूचित बैंक स्वाधीन हैं और रिजर्व बैंक केवल निरीक्षण ही कर सकता है ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार उतने अधिकार नहीं ले रही जितने मूल विधेयक द्वारा लेने का विचार था । इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि अधिकारों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नतीजे पर पहुंच कर भी रिजर्व बैंक कार्यवाही करने से हिचकिचाता रहता है । शायद पलाई बैंक के बारे में ऐसा ही हुआ है ।

माननीय मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक असुविधाओं के कारण इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि ऐसी ज्यादा कठिनाइयां नहीं हैं । हम समझते हैं कि उन बैंकों के चल सम्पद अच्छे खासे हैं इसलिये कम रकम जमा करने वालों को २५० रुपये प्रति निक्षेपक के हिसाब से अदायगी करने में ज्यादा कठिनाई न होगी । सरकार की यह इच्छा बड़ी शोभनीय है और हम इसके लिये सरकार की प्रशंसा करते हैं ।

[**श्री मूलचन्द दूबे** पीठासीन हुए]

इस अवसर पर हमारे देश के बैंकिंग को भी जांचा गया है । कहा गया है कि अमरीका आदि के बैंक हमारे बैंकों की अपेक्षा ज्यादा ठोस हैं । यह ठीक बात है परन्तु इसका कारण भी स्पष्ट है और वह यह कि जहां भारतीय बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यवसाय नहीं करते ; वहां पर दूसरे देशों के बैंक अधिक उदारता से काम करते हैं । हमारे बैंक अपना धन केवल उद्योगों में ही लगाते हैं । इस कारण वे अधिक पायेदार नहीं हैं । अत: हमें दूसरे देशों से शिक्षा ग्रहण करके अपनी हालत सुधारनी चाहिए ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : माननीय वित्त मंत्री ने अपने वचन के अनुसार यह विधेयक इसी सत्र में सभा के सामने रख दिया है । इस विधेयक में कई अच्छाइयां हैं, पर साथ ही इस के बारे में कई शंकायें भी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

यदि इस बैंकिंग समवाय विधेयक का उद्देश्य यह हो कि खातेदारों का बचाव किया जाये, तो उसके लिये इसमें पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बल्कि कुछ मायनों में तो यह खातेदारों के हितों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह बैंकों के परिसमापन की प्रक्रिया को अधिक सरल और शीघ्रकारी बनाता है, इससे खातेदारों को हानि होगी। परिसमापन के समय खातेदारों की आस्तियां काफी कम मूल्य पर बिक जाने से, सामान्य संचित राशि में बंटवारे के लिये कम निधियां बच रहेंगी।

†**श्री मोरारजी देसाई :** ऋण देने वालों की आस्तियां ?

†**डा० कृष्णस्वामी :** ऋण लेने वालों की आस्तियां। सरकार को तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रुपये की बचत करने वालों या खातेदारों के अधिकारों की पूरी पूरी रक्षा हो सके। फिर बैंकों को असफल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह नितान्त अनावश्यक हो जाता है।

इस विधेयक में यह बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है कि यदि बैंकों को कुछ कठिनाई महसूस हो रही हो, तो उनको अपनी स्थिति सुधारने और दूसरे बैंकों के साथ अपने को मिलाने की सुविधा के लिये कुछ विलम्ब से अदायगी करने की मंजूरी दी जायेगी। इससे बैंकों को हाल ही बन्द नहीं करना पड़ेगा।

लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस विधेयक से सारी समस्या का हल हो जायगा। थोड़े समय के लिये यह कामचलाऊ व्यवस्था तो ठीक है। खातेदारों का, १०० की बजाय, २५० रुपये तक पूरा हिसाब चुकता करने की व्यवस्था काम चलाऊ तो है, पर उस से स्थायी हल नहीं होता। इस की धारा ४५(६) को देखिये, जिस में कहा गया है कि खातेदारों के हितों या अधिकारों को कम किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस से खातेदारों के हितों का पूरा बचाव नहीं होगा।

मैं श्री गुह की इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि प्रादेशिक आधार पर छोटे-छोटे बैंकों को प्रोत्साहन देने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे छोटे-छोटे बैंक जनता के जीवन में बड़ा पार्ट अदा करते हैं। उन की साख बढ़ाई जानी चाहिये। भारत के रक्षित बैंक को उन की अधिक आलोचना नहीं करनी चाहिये। हालांकि यह बिलकुल ठीक है कि छोटे बैंकों को अपनी आस्तियों का काफी बड़ा भाग नकदी के रूप में रखना चाहिये। रक्षित बैंक का यह कहना बिलकुल ठीक है। हम वित्त मंत्री को आश्वस्त करते हैं कि हम रक्षित बैंक की अच्छाइयों को अनदेखा नहीं करते। उन के पहले के भी सभी वित्त मंत्रियों ने रक्षित बैंक की प्रतिष्ठा की पूरी-पूरी रक्षा की है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि, रक्षित बैंक का पूरा-पूरा सम्मान रखते हुए भी, उस की प्रशासकीय कार्यवाहियों की खामियों पर माननीय वित्त मंत्री को ध्यान देने के लिये तैयार रहना चाहिये।

हमारे देश में खातेदारों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अनिवार्य जमा बीमा की समस्या को हल नहीं करते। श्री गुह ने बैंकों के कुप्रबन्ध की बात कही है, लेकिन उस से भी ज्यादा जरूरी है खातेदारों के हितों के बचाव की व्यवस्था करना। इस के दो कारण हैं। इसलिये कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के हित में यही है कि लोग बचत करें और उसे बैंकों वगैरह में जमा करें। इसलिय कि बैंक उस राशि को उद्योग-धंधों के लिये विनियोजित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बैंकों को बहुत ही कम अवधि की आस्तियां रखनी चाहियें, जिस से कि उन को थोड़ी अवधि में नकदी का रूप दिया जा सके। वैसे इस बात में काफी जान है, फिर भी

मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग का हाल का अनुभव इस पर अधिक जोर नहीं देता । इस के लिये ऐसा कोई सीधा सा, कड़ा नियम नहीं बनाया जा सकता । रक्षित बैंक स्वयं सक्षम है । वह इस की कसौटी बना सकता है कि बैंकों को कितने काल की आस्तियों के लिये कितना विनियोजन करना ठीक रहेगा ।

१९५० से ५९ तक के काल में, हमारे देश में यह चर्चा उठी थी कि बैंक में जमा होने वाली राशि का अनिवार्य रूप से बीमा हो । पता नहीं बैंकों को इस पर क्या एतराज है । इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जाना चाहिये ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमें बैंकों की एक ऐसी संस्था बनानी चाहिये जो देयताओं की अदायगी के लिय अक्षम बैंकों को अपने हाथ में ले सके । पलाई बैंक के सम्बन्ध में मैं ने पहले सुझाव दिया था कि उसे राज्य बैंक में मिलाया जा सकता है । मेरा सुझाव नहीं माना गया था । माननीय मित्रों का कहना है कि एक ही कोई बैंक यह काम नहीं कर सकता । यह काम बैंकों की एक संस्था को सौंपा जाना चाहिये । यह बड़े-बड़े बैंकों के हित में भी रहेगा । रक्षित बैंक को इस के बारे में सोचना चाहिये । छोटे बैंकों का दिवाला पिटने से बड़े बैंकों की साख भी गिरती है ।

पलाई बैंक और लक्ष्मी बैंक का दिवाला निकलने से बैंकों पर जनता के विश्वास की नींव हिल गई है ।

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री मेरे इन सुझावों पर विचार करें । रक्षित बैंक को भी इन पर विचार करना चाहिये । और फिर हमें अपने विचार बताने चाहिये । संसद् चाहती है कि देश में बैंकिंग व्यवस्था को और दृढ़ बनाया जाय । यदि यह नहीं होगा तो हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था संकट में पड़ जायगी । मैं यह नहीं मानता कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सारी समस्यायें हल की जा सकती हैं । मैं यह भी नहीं कहता कि बैंकों को खुली छूट दे दी जाय । लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि रक्षित बैंक और देश के बड़े-बड़े बैंक इस पर विचार करें और बैंकों की एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास करें । उन को पलाई बैंक और लक्ष्मी बैंक के खातेदारों के हितों का भी ख्याल रखना चाहिये । एक अस्थायी उपाय के रूप में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : मैं विधेयक का समथन करता हूं । कहा गया है कि हमारे देश में बैंकिंग समवायों से सम्बन्धित विधि अपने देश की ही पैदावार है । इस में हम ने किसी विदेशी विधि का अनुकरण नहीं किया । इसीलिये समय-समय पर देश की परिस्थितियों के अनुसार हमें इस में संशोधन करने पड़े हैं। पलाई बैंक के दुर्भाग्य को देख कर ही इस विधेयक की आवश्यकता महसूस हुई है ।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने इस विधेयक का महत्व यह कह कर कम करने की कोशिश की है कि इस के जरिये कोई नई शक्ति ग्रहण नहीं की जा रही है । एसा नहीं है ।

१९५० और १९५३ में बैंकिंग समवायों की आस्तियों को शीघ्रता से वसूल करने की दृष्टि से दो संशोधन विधेयक स्वीकार किये गये थे । फिर भी पिछले आठ या दस वर्ष में कुछ बैंकों का परिसमापन हो गया है । उन के अन्तरिम लाभांश के रूप में भी कोई अदायगी नहीं हुई है । इसलिये हम जानना चाहते हैं कि पहले जो शक्तियां ग्रहण की गई थीं व किस बात में अपर्याप्त थीं ।

इस विधेयक की व्यवस्थायें दो प्रकार की हैं । पहली तो इसलिये कि खातेदारों को वरीयता के आधार पर शीघ्रता से अदायगी की जाय । बैंक के परिसमापन के तीन महीने के अन्दर छोटे-छोटे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नथवानी]

खातेदारों को २५० रुपये अदा कर दिया जायेंगे । खण्ड ३ में व्यवस्था है कि सरकारी समापनकर्ता वरीयता-प्राप्त दावेदारों को १५ दिन के अन्दर नोटिस दे देगा । १५ दिन के अन्दर उन की सूची की ठीक-ठीक जांच करना सम्भव नहीं होगा । यह समय कम है । इसलिये मेरा खयाल है कि तीन महीने की अवधि को और कम नहीं किया जा सकता ।

दूसरी मुख्य व्यवस्था शोध-विलम्ब काल की घोषणा की है । वर्तमान विधि में एसी व्यवस्था तो है, लेकिन बैंकिंग समवाय को इस के लिये उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ेगा और उस की अनुमति रक्षित बैंक की सिफ़ारिश पर दी जायगी । इसलिय इस में कुछ समय तो लगेगा ही ।

दूसरा भाग बैंकिंग समवायों के पुनर्गठन और उन को एक-दूसरे में मिलाने के बारे में है । अगर ये व्यवस्थायें पहले से मौजूद होतीं, तो पलाई और लक्ष्मी बैंक का दिवाला निकलने की नौबत नहीं आती ।

मैं ने, श्री मुरारका के साथ, एक संशोधन रखा है । इसलिये कि इस विधेयक में एक त्रुटि है । धारा ४३ के अन्तर्गत व्यवस्था है कि सरकारी समापनकर्ता को खातेदारों को नोटिस भेजना पड़ेगा कि वे अपने दावों का विवरण भेज दें और अगर वे एक महीने के अन्दर नहीं भेजेंगे तो उन के दावे साधारण मान लिये जायेंगे । नोटिस में यह कहने की क्या आवश्यकता है जब विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । आशा है कि माननीय मंत्री यह संशोधन स्वीकार करेंगे ।

संशोधन संख्या १५ का यह मंशा है कि चालू लेखे वाले खातेदारों की श्रेणियों का भेद मिटा दिया जाय । पहले के खण्ड में बचत लेखे वाले खातेदारों को वरीयता दी गई है । लेकिन बाद के खण्ड में कहा गया है कि चालू लेखा रखने वाले खातेदार को अधिक से अधिक २५० रुपये अदा किये जायेंगे । और अगर उस की जमा राशि ५०० रुपये से कम होगी, तो शेष राशि का आधा ही उसे दिया जायगा । ५०० रुपये वाले को २५० रुपये मिल जायेंगे लेकिन १०० रुपये वाले को ५० रुपये ही मिलेंगे । इस पर भी कहा जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य छोटे खातेदारों को सहायता पहुंचाना है । उन्हें भी कम से कम २५० रुपये तक तो मिलने चाहिये ।

तीसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जब भी बैंकिंग समवाय के पुनर्गठन या उसे किसी दूसरे बैंकिंग समवाय के साथ मिलाने की कोई योजना बने, तो खातेदारों को सूचित किया जाना चाहिये जिस से कि उन को अपने सुझाव देने का अवसर मिल सके । विधेयक में एसी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (पुदुकोटै) : यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं ।

देश की बैंकिंग व्यवस्था की देखभाल का दायित्व रक्षित बैंक पर है । इधर रक्षित बैंक की काफी आलोचना हुई है । लेकिन जनता रक्षित बैंक का महत्व पूरी तौर से नहीं समझती । खातेदारों के हितों की रक्षा करना और देश के प्रत्यय ढांचे का नियंत्रण करना तथा देश की वित्तीय नीति बनाना—यह रक्षित बैंक का ही काम है ।

इस विधेयक में दो प्रकार के संशोधन किये जा रहे हैं पहला तो यह कि परिसमापन के बाद खातेदारों को १०० की बजाय २५० रुपये दिये जायें । दूसरा यह कि विलम्ब शोधकाल के मामले में विलम्ब न हो और सरकार को दो बैंकों को मिलाने के सम्बन्ध में अधिक शक्तियां मिल जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

फिर भी मेरा ख्याल है कि खातेदारों के हितों की रक्षा के लिये रक्षित बैंक को पर्याप्त शक्तियां नहीं मिली हैं। रक्षित बैंक के गवर्नर ने पलाई बैंक की घटना के बाद अपना ऐसा विचार प्रकट भी किया था।

वित्त मंत्री और रक्षित बैंक को हमें स्पष्ट बताना चाहिये कि कितने अनूसूचित बैंक अनुज्ञप्ति-प्राप्त हैं। शायद ९३ अनुसूचित बैंकों में से केवल ३८ अनुज्ञप्ति-प्राप्त हैं। १९५६ में अनुज्ञप्तियां देना शुरू किया गया था। इस हिसाब से यह प्रगति बड़ी धीमी है। इस से अफवाहें फैलाने वालों को अवसर मिल जाता है।

रक्षित बैंक का काम बैंकिंग संस्थाओं का पालन-पोषण करना और कठिनाई के समय उन की मदद करना है, यह नहीं कि न्यायालय से उन का परिसमापन कराये। बैंकों के परिसमापन से खातेदारों ही नहीं, कर्मचारियों का भी नुकसान होता है। बैंकिंग उद्योग में ६०,००० कर्मचारी हैं।

बैंक के लिये निरीक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था लाभप्रद नहीं रही। ९–१० निदेशकों के बीच उस की केवल एक कमजोर सी अकेली आवाज रहती है। व्यवस्था यह होनी चाहिये कि रक्षित बैंक की ओर से हर बैंक के लिये एक या दो निदेशक नियुक्त किये जायें। उन को निदेशकों की सभी शक्तियां रहेंगी। इस से बैंक के संकट पर नियन्त्रण करने में आसानी रहेगी। इस सुझाव को अगले सत्र में इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये।

संकट के समय, रक्षित बैंक संकट-ग्रस्त बैंक से कह सकता है कि वह और अधिक राशियां जमा न करे। बैंक को अनुसूचित बैंक की श्रेणी से हटाया जा सकता है। इन तरीकों से संकट टाला जा सकता है।

इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू न कर सकने पर हमें बड़ी निराशा हुई है। वित्त मंत्री को पलाई बैंक के ८८,००० खातेदारों के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह उन पर भी लागू होती है। ७७ अन्य बैंकों पर भी।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मैं इस के लिये धन्यवाद देता हूं।

विधेयक की एक और अच्छी बात यह है कि परिसमापन में अधिक विलम्ब नहीं होने दिया जायगा। मैं इस का समर्थन करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : बैंकिंग समवाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक जिन परिस्थितियों में सामने आया है वे काफी दुःखपूर्ण हैं। फिर भी, यह कदम सही दिशा की ओर हीं है। मेरी समझ से तो इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि रक्षित बैंक को बैंकों के एकीकरण की शक्ति प्रदान की जा रही है। ऋणदाताओं, खातेदारों की वरीयता के संबंध में जो शक्ति दी गई है, वह भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे खातेदारों को २५० रुपये से अधिक मिलना चाहिये। उनको ५०० रुपये तक के खाते की पूरी राशि मिलनी चाहिये, क्योंकि वह उनके सारे जीवन की ही होती है।

इस विधेयक की धारा ४१-क की उपधारा (३) में व्यवस्था है कि प्रतिभूत ऋणदाताओं को नोटिस मिलने की तिथि के बाद एक महीने के अन्दर-अन्दर अपनी प्रतिभूति का मूल्य बता देना चाहिये। इतना समय बहुत कम है। इसे बढ़ाना चाहिये, क्योंकि मूल्यांकन में काफी पेचीदगियां होती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

यह व्यवस्था तो ठीक है कि रक्षित बैंक किसी बैंकिंग समवाय के व्यवसाय को बन्द करने और उसका पुनर्गठन या एकीकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिख सकता है। लेकिन इसमें एक त्रुटि रह गई है। इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई कि उस बैंक से भी इसके बारे में पूछा जायेगा। शोध-विलम्ब काल की मंजूरी के लिये रक्षित बैंक की ओर से केन्द्र को लिखे जाने से ही सम्बंधित बैंक की प्रतिष्ठा में काफी बट्टा लग जायेगा। इसलिये बैंक को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये।

रक्षित बैंक शोध विलम्ब काल की मंजूरी लेने के लिये कई बातों को देखना पड़ेगा। उनके आधार पर ही निर्णय करना पड़ेगा। उनमें से एक राष्ट्रीय हित भी रखा गया है। राष्ट्रीय हित का इससे कोई सीधा सम्बंध नहीं इसलिये इसे स्थान देना उपयुक्त नहीं है। वैसे रक्षित बैंक को दी जाने वाली अन्य शक्तियां ठीक हैं।

फिर, मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि बैंकों का एकीकरण हो जाने के बाद उसकी योजना दोनों सभाओं में रखने की व्यवस्था क्यों की जा रही है। व्यवस्था तो यह होनी चाहिये कि एकीकरण से पहले उसकी योजना एक सप्ताह के लिये सभाओं में रखी जायेगी और माननीय सदस्य उसमें संशोधन या पुनरीक्षण कर सकेंगे।

वित्त मंत्री को इन खामियों पर ध्यान देना चाहिये।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। वाद-विवाद के आरम्भ में जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस विधेयक में किसी भी नयी शक्ति की अवधारणा नहीं की गई है, उन्होंने इसे पूरी तरह समझा नहीं है। श्री नथवानी ने खण्डवार ढंग से बताया है कि इसमें कौन सी नयी शक्तियों की अवधारणा की गई है, जो मूल अधिनियम में नहीं थीं। खातेदारों और बैंकिंग समवायों से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के हितों की दृष्टि से रक्षित बैंक को कुछ नयी शक्तियां दी गई हैं।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों के परिसमापन के बाद खातेदारों को जल्द से जल्द कुछ न्यूनतम अदायगी की जा सके। अभी उसमें वर्षों लग जाते थे।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके जरिये जनता और खातेदारों में बैंकों के प्रति विश्वास जम जायेगा। पलाई बैंक और लक्ष्मी बैंक का दिवाला निकलने के बाद जनता में बड़ी सनसनी फैल गई थी। दूसरे बैंकों के दिवाला निकलने की अफवाहें रोज उड़ा करती थीं। पंजाब नेशनल बैंक ऐसी ही अफवाहों का शिकार हुआ था। इसलिये बैंक पर जनता का विश्वास जमाने के लिये यह विधेयक बड़ा जरूरी था। हमें खातेदारों या शेयरहोल्डरों की दृष्टि से ही इसे नहीं देखना चाहिये। इसे एक और व्यापक दृष्टि से देख ना चाहिये। हमारे देश में एक बड़े पैमाने पर विकास-कार्य चल रहा है और उसके लिये सरकार को धन की बड़ी आवश्यकता है। इसलिये जनता में विनियोजन को प्रवृत्ति होनी चाहिये, जिससे वे बैंकों में उसे जमा करें। बैंको में किये जाने वाले विनियोजनों की पूरी देखभाल होनी चाहिये। रक्षित बैंक को गहराई से इसकी छानबीन करनी चाहिये। ऐसा एक आश्वासन आवश्यक है।

मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के बाद अब कुछ और करने को नहीं रह जाता। सरकार को शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक यहां लाना चाहिये जो रक्षित बैंक को देश के समूचे बैंकिंग उद्योग की देखभाल करने की क्षमता प्रदान करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं माननीय वित्त मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं । मैं इसका पूरा-सूरा समर्थन करता हूं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : लक्ष्मी बैंक और पलाई सेन्ट्रल बैंक के दिवालिये होने के पश्चात् देश की जनता का विश्वास बैंकिंग समवायों से उठ गया है, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि देश के निक्षेपकों में पुनः यह विश्वास पैदा किया जाय कि इस प्रकार की बातें फिर नहीं होने पायेंगी । इसके लिये वित्त मंत्री को चाहिये था कि वे एक पूर्ण और व्यापक विधेयक प्रस्तुत करते, लेकिन उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह अधूरा और एकांगी है ।

इस विधेयक के द्वारा निक्षेपकों को यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी । वस्तुतः उक्त दोनों बैंकों के दिवालिये होने का एक कारण यह भी है कि भारत रक्षित बैंक ने उनके कार्य के प्रति लापरवाही अकुशलता और उपेक्षा का रवैया अख्त्यार किया था । यद्यपि उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह ऐसी स्थिति आने से रोक सकता था ।

अमेरिका में १९३३ में एक ऐसी विधि पारित हुई थी कि किसी भी पूंजी जमा करने वाले की राशि सुरक्षित रहेगी, यह आश्चर्य की बात है कि हम जमाजवादी शासन का दम भरते हुए भी १९६० में यह स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि हमारे निक्षेपकों की राशि सुरक्षित रहेगी । मेरा सुझाव है कि कम से कम ५०० रु० जमा करने वालों को यह आश्वासन दिया जाय कि उसकी राशि पूर्णतः सुरक्षित रहेगी ।

जहां तक विलम्ब शोध काल प्रदान करने का प्रश्न है यह उपबन्ध अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बैंक की साख के ऊपर प्रभाव होगा और यदि एक बार किसी बैंक की साख उठ जाती है तो पुनः उसकी साख बनना बहुत कठिन होता है । अतः बैंक की स्थिति सुधारने के लिये कुछ और वैकल्पिक कार्यवाही की जाय ।

मैं छोटे छोटे बैंकों को एकीकृत करने वाले उपबन्ध का समर्थन करता हूं, यह बहुत अच्छी बात है कि वे छोटे छोटे बैंक जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनका एक पुंज बना दिया जाय । इससे उनका काम सुचारु रूप से चल सकेगा ।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुए]

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : सभापति महोदय, इस में कोई शक नहीं है जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस अमेंडिंग बिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी और यह सही दिशा में कदम बढ़ाया गया है । अभी पिछले दिनों जो दो बक फेल हुए हैं उन के तजुर्बे की रोशनी में जो हमारा मौजूदा बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट है उस को एमेंड किया जा रहा है ।

मैं इस के बारे में दो, तीन तजवीजें हाउस के सामने रखना चाहता हूं । सब से पहले मैं हाउस का ध्यान क्लाज ६ का जो सब क्लाज ५ है उसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूं । इसमें बैंकों के नये बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स के मुक़र्रर करने के बारे में दिया गया है ।

इसके साथ साथ क्लाज़ ७ है । उस में इस के बारे में यह कहा गया है कि जो पुराने बैंक हैं, उन के जो मेम्बर्स हैं, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को जहां तक मुकर्रर करने का सवाल है अगर किसी मेम्बर के बारे में कुछ इख्तलाफ हो या उसके काम के बारे में कुछ शिकायत हो तो हाईकोर्ट में उस के मुताल्लिक दरख्वास्त दी जायगी । अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि जो पुराने डाइरेक्टर्स

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

हैं उनको मुकर्रर न किया जाय लेकिन अगर इन दोनों क्लाजेज को साथ साथ देखा जाय तो ऐसा पता लगता है कि उनको जरूर मुकर्रर किया जायगा, इस के मुताल्लिक मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जिसके बारे में जांच पड़ताल हो चुकी है और अगर उस के खिलाफ कोई चीज है तो फिर उस को मुकर्रर नहीं किया जायगा। इस बारे में मेरी सिर्फ इतनी ही तजवीज़ है कि मुकर्रर करने से पहले उनके कंडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल और एग्जामिनेशन कर लिया जाय क्योंकि आज हमारे सामने यह एक बड़ा अहम सवाल है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि आज जब कोई बैंक फेल होता है तो जो रुपया उसमें पब्लिक का जमा था वह कहां गया और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी इनक्वायरी की सब से ज्यादा जरूरत है। इस वास्ते मेरी अपील है कि इस सैक्शन को इस ढंग से एमेंड किया जाय ताकि जो भी डाइरेक्टर मुकर्रर किया जाय अगर वह पिछले बैंक का हो तो जब तक कि उसके कंडक्ट के बारे में और उस बैंक के फेल होने में उसका कितना हाथ है इस तमाम मामले पर इन्क्वायरी और तहकीकात न हो जाय उसको हरगिज भी मुकर्रर न किया जाय वर्ना बैंक का इंतजाम दुरुस्त न हो सकेगा।

दूसरी बात जो कि मैं इस बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक इस अमेंडिंग बिल का यह मकसद है कि बैंक डिपाजिटर्स को १०० रुपये की जगह पर २५० रुपये का मिनिमम पेमेंट बैंक के फेल हो जाने पर दिया जायगा वह स्वागत योग्य कदम है और मैं भी इसकी ताईद करता हूं लेकिन जैसा कि मेरे अन्य माननीय मित्रों ने भी कहा है कि आज जो मौजदा हालात हैं और जैसे कि चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो इस मंहगाई के जमाने में यह २५० रुपये की रिलीफ काफी नहीं रहेगी और मेरी वित्त मंत्री महोदय से पुरजोर अपील है कि वह इस २५० रुपये की लिमिट को बढ़ा कर कम से कम ५०० रुपये अवश्य कर दें।

तीसरी तजवीज जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं वह यह है और जैसा कि कुछ मेरे दोस्तों ने अमेंडमेंट्स भी पेश किये हैं मैं हाउस और मंत्री महोदय का ध्यान उन दो अमेंडमेंट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि श्री नथवानी और श्री मुरारका ने पेश किये हैं। जहां तक क्लाज़ ६ के अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मैं इस के सख्त खिलाफ़ हूं, क्योंकि मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मैं तो इस का मतलब यह समझता हूं कि अगर इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया गया, तो उसका यह रिज़ल्ट होगा कि जिस मकसद के लिए यह बिल पेश किया गया है, वह बिल्कुल खत्म हो जायगा। इस बिल को इस लिए पेश किया गया है कि मौजूदा प्रोसीड्यर को सिम्पलीफाई किया जाये, उस को सिम्पल बनाया जाये। अगर इस किस्म की अमेंडमेंट को मन्जूर कर लिया जाता है, तो इस बिल का जो वाहिद मकसद है, वह खत्म हो जायगा।

†**श्री मुरारका:** (झुंझुनू) : माननीय सदस्य हमारे संशोधन संख्या १६ और १७ को एक साथ पढ़ें तो पता लगेगा कि हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं; हमने सिर्फ़ यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार को किसी न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री रामकृष्ण गुप्त : जहां तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है उस से हमारा प्रोसीड्यर और ज्यादा एलैबोरेट हो जायगा और उस में काफ़ी देरी लगेगी। बहुत से ऐसे केसिज़ भी होंगे, जिन में क्विक एंड इम्मीजिएट एक्शन लेना पड़ेगा। इस अमेंडमेंट का उन पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए मैं ने यह बात हाउस के सामने रखी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, हमारा जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है, उस की बड़ी अहमियत है। मैं चाहता हूं कि इस एन्टायर सिस्टम की थारो एन्क्वायरी हो, क्योंकि जिस ज़माने में हम गुज़र रहे हैं, उस में पब्लिक सैक्टर बढ़ता जा रहा है और हमारी थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान के लिए काफ़ी से ज्यादा रीसोर्सिज़ की ज़रूरत है। इसलिए हमें आज यह देखना पड़ेगा कि हमारे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस मामले पर पूरा विचार किया जाये और इस बारे में एक काम्प्रीहैंसिव बिल हाउस के सामने रखा जाये। पिछले दिनों भी इस एक्ट को अमेंड करने के लिए एक बिल पेश किया गया था। हमारा यह सिस्टम बन गया है कि जब कोई डिफीकल्टी आती है, उस वक्त एक्ट को अमेंड किया जाता है और इस तरह एक्ट को बार बार अमेंड किया जाता है। उस से हमारा मकसद हल नहीं होता है। इसलिए मेरी अपील है कि एक ऐसा बैंकिंग एन्क्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाये, जो तमाम देश का दौरा करे। बड़े बड़े बैंकों पर किन का कंट्रोल है, उन में पब्लिक का कैपिटल कितना है, जो लोग उस पर कब्ज़ा किये हुए हैं--बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्ज़, उन का उस में कितना हिस्सा है, इस तमाम मामले की एन्क्वायरी करने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है, ताकि बैंकिंग सिस्टम के उन नुक्सों को दूर किया जा सके, जो यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी को कायम करने के हमारे मकसद के अगेन्स्ट और कान्टरेरी हैं, और इस सिस्टम को ज्यादा इफ़ेक्टिव और मुफ़ीद बनाया जा सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस तजवीज़ को ज़रूर स्वीकार कर लिया जायगा और एक ऐसा कमीशन मुकर्रर किया जायगा, जो हमारे तमाम बैंकिंग सिस्टम की एन्क्वायरी करे और उस के डिफ़ेक्ट्स को हमारे सामने रखे और हम यह जान सकें कि किस तरीके से बैंक्स के ज़रिये डिस-आनेस्टी होती है, बैंक्स के फेल होने के क्या कारण हैं। पिछले दिनों हाउस में भी यह सवाल उठा था और माननीय मंत्री जी ने भी यह कहा था कि जहां तक पंजाब नेशनल बैंक की मौजूदा फ़ाइ-नेंशियल पोज़ीशन का सवाल है, वह साउंड है। मैं मानता हूं कि वह बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली में ही नहीं, तमाम देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो इतना ज्यादा रुपया बैंक से विदड्रा किया गया, उस का क्या कारण था। इसलिए मैं समझता हूं कि इन तमाम तजवीज़ों पर विचार करने का एक ही वाहिद तरीका है कि एक ऐसा कमीशन मुकर्रर किया जाये, जो तमाम बैंकिंग सिस्टम को रीव्यू करे, स्टडी करे और अपनी रिपोर्ट इस पार्लिमेंट के सामने पेश करे।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं विधेयक का उद्देश्य यह है कि जनता का विश्वास जो कि पलाई सेन्ट्रल बैंक के बन्द होने के कारण बैंकिंग उद्योग से ही उठ गया है वह पुनः प्रतीष्ठित हो जाय।

मैं संशोधन संख्या ९ और १० का समर्थन करता हूं इनका आशय यह है कि सहकारी संस्थाओं और छोटे बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त ऋणदाताओं की श्रेणी में रखा जाय। केवल २५० रुपये देने से जनता का बैंकों में पुनः विश्वास कायम नहीं रह सकता है। इसका यह फल होगा कि जिनकी कम राशि है उन्हें तो पूरा धन वापस मिल जायेगा और जिनका अधिक रुपया है उन्हें उतना ही अधिक नुकसान होगा। अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि जनता का विश्वास अनुसूचित बैंकों में पुनः कायम रह सके।

पलाई सेन्ट्रल बैंक के ऋणदाताओं और निक्षेपकों ने अपनी बैठकों में इस बैंक के पुनर्निर्माण सम्बन्धी कई सुझाव दिये हैं, सरकार को चाहिये कि वह इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करे, और इस बात का प्रयत्न करे कि बैंक को पुनः अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया जाय। जो भी अधिकारी या व्यवस्थापक बैंक के कारोबार को ठप्प करने या उसे आघात पहुंचाने का जिम्मेदार हो उसको कड़ी सजा दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मणियंगाडन]

श्री नारायणन् कुट्टि ने इस मौके से लाभ उठा कर पलाई बैंक के निदेशकों, भारत रक्षित बैंक तथा भारत सरकार की खूब आलोचना की है। निसंदेह भारत रक्षित बैंक का निर्णय किसी किसी मामले में गलत हो सकता है तथापि यह कहना कि वह सदैव गलत रहा, अनुचित है। इसी प्रकार उन्होंने केरल की पुलिस पर भी आरोप लगाये हैं। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। वस्तुतः केरल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका निष्पक्षता से अध्ययन करना चाहिये तथा तदनुसार उसका उपचार किया जाय। वस्तुतः सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिये कि यथासंभव बैंकों को ठप्प न होने दिया जाय, और बैंकों पर जनता का विश्वास बनाये रखा जाय।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समष्टिरूप से इस विधेयक का समर्थन किया है। यह सुझाव दिया गया है कि मुझे और व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था ताकि न केवल वर्तमान आकस्मिकताओं की ही पूर्ति हो जाती बल्कि भविष्य की आकस्मिकताओं की भी पूर्ति हो जाती। प्रगतिशील देश एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के युग में भविष्य में क्या आकस्मिकताएं हो सकती हैं इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। सरकार समयानुकूल अधिकार ही अपने हाथ में लेना चाहती है। हम आगे आने वाले समय के लिये सभी अधिकार अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। क्योंकि ऐसा करने से तो एक विभिन्न प्रकार का समाज बन जायेगा। इसलिये हम सभी के सामने तभी आते हैं जब कि हमें आवश्यकता होती है।

जैसा कि सुझाव दिया गया है कि यदि मैं आज की स्थिति की सभी बातों का विश्लेषण करूं और सभा के सामने आकर पुलिस अधिकारों की मांग करूं तो ऐसी स्थिति में मेरा विचार है कि इस समय हम विधेयक पर विचार करना मेरे लिये सम्भव नहीं है। फिर उन सब बातों पर विचार करने में बहुत अधिक समय लगेगा और वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन पर इसी समय ही विचार किया जाये। और विधेयक पर विचारं करने में देरी की जाये। अतः यह आवश्यक था कि सभा ने पलाई बैंक के दिवालियेपन के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का ही न केवल समर्थन करना चाहिये बल्कि भविष्य की स्थिति के बारे में भी समर्थन करना चाहिये ताकि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो। इस संशोधन विधेयक का यही मुख्य उद्देश्य है। हमें केवल यह विचार करना है कि क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई अथवा नहीं। मेरा विचार है कि इस उद्देश्य का प्रयोजन इस विधेयक से पूरा हो गया है।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : आपने राज्य सभा में बताया था कि रिजर्व बैंक के निरीक्षक द्वारा पलाई बैंक के २८९ खातों की जांच की गई थी। और उन में से अधिकतर या तो ऐसे थे जिनका वसूल होना सम्भव नहीं था अथवा अधिक गड़बड़ वाले थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक को ऐसे मामलों का निपटारा करने का अधिकार अब भी है और क्या वह अपराधियों को दंड दे सकते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** रिजर्व बैंक को तो नहीं हां, दिवालियों को अवश्य ऐसा अधिकार है।

मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी कहता हूं कि सरकार निश्चय ही उन लोगों का पीछा करेगी जिनका विधि के अनसार पीछा करना जरूरी भी है। यह एक बात है कि कुछ लोगों ने यह गड़बड़ की और उन व्यक्तियों को विधि की पकड़ में लाना दूसरी बात है। अगर वे विधि की पकड़ से बाहर हो गये तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सरकार उन सभी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उपायों एवं तरीकों को अपनायेगी जिनके द्वारा सरकार उन लोगों को पकड़ में ला सके और सरकार ऐसा करेगी भी। मैं नहीं समझता कि सरकार को भले ही कितने अधिकार दिये जाये तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। मेरा विचार है कि यह कार्य उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि हम सारी व्यवस्था में परिवर्तन न करें और यह न कहें कि वित्त मंत्री अथवा अन्य कोई प्राधिकारी के इस मामले से परिचित हो जाने के बाद उसे अपनी इच्छानुसार इस बारे में कार्यवाही करने की छूट है। ऐसी स्थिति की उपलब्धि इस सरकार के समय में तो सम्भव नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि माननीय सदस्य मुझे ऐसे अधिकार भी देंगे क्यों कि वह जान जायेंगे कि ऐसा करने से उन अधिकारों का उपयोग दूसरे कार्यों के लिये किया जायगा। अतः मैं ऐसे अधिकार नहीं लेना चाहता जिससे कि भविष्य में आप लोग मेरे बारे में संदेह करें। इसलिये विधेयक सीमित बातों को लेकर ही प्रस्तुत किया जाता है ताकि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाय जो कि सामान्य हैं।

इसी दृष्टि से माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना भी ठीक नहीं समझा। इनके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अतः यह अच्छा है कि सरकार को जो भी अधिकार दिये जायें वे एकमत से दिये जायें ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से लागू किये जा सकें और उसी विचार से मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में इस प्रवर समिति को सौंपने का आग्रह नहीं किया। सामान्य रूप से तो मैं चाहता हूं कि ऐसे विधेयक प्रवर समिति को जायें क्योंकि बहुत सी बातों की देखभाल हो जाती है और प्रवर समिति में जाने पर उनकी जांच भी हो जाती है। तथा विधेयक में सुधार भी हो जाता है। लेकिन आज इसके लिये समय नहीं है और न इस बात की आवश्यकता ही है कि इस प्रकार के विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपा ही जाये। क्योंकि इसके उपबन्ध बहुत सरल हैं। यह सच है कि कोई नये अधिकार नहीं मांगे जा रहे हैं वर्तमान सत्ताओं को बढ़ाने की ही केवल मांग की जा रही है। इसलिये इसके सिद्धान्तों की शुरू से ही जांच करने की आवश्यकता नहीं है और न इसे प्रवर समिति को भेजने की ही आवश्यकता है।

यही कारण है कि हम इस स्थिति में अधिक सत्ताओं के मांगने वाला विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा आवश्यक भी है। इस बात की फिर आरम्भ से जांच की जायेगी कि हमें और किन बातों की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो सरकार इस अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकती। मैं कह चुका हूं कि यह उचित नहीं है कि हमें सभी आकस्मिकताओं के बारे में सोचना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि शायद हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जायें जिससे कि और भी भ्रान्ति उत्पन्न हो। इसलिये यह आवश्यक है कि जिन अधिकारों की आवश्यकता है वे अधिकार सरकार को यह सभा दे दे।

इस बात पर कुछ सदस्यों में समझौता हो गया था कि बचत लेखाओं वाले व्यक्तियों को २५० रुपये तक दे दिये जायें और यह भी सुझाव दिया गया था कि दूसरे खातेदारों को भी इतनी ही राशि का भुगतान किया जाये। लेकिन सवाल यह है कि बड़े खातेदार हमेशा व्यक्ति नहीं हुआ करते, संस्थाएं भी हुआ करती हैं। कुछ संस्थाओं का उल्लेख किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि सहकारी-संस्थाओं को पूरी राशि दी जाये। फिर यह सवाल उठता है कि धर्मार्थ संस्थाओं को भी पूरी राशि क्यों न दी जाये। उन दूसरी संस्थाओं को भी जो कि सार्वजनिक कार्य करती हैं उन्हें भी क्यों न पूरी राशि दी जाये। इस प्रकार की अनेकों बातें हैं।

[श्री मोरारजी देसाई]

इसलिये हम खातेदारों में कोई मतभेद नहीं कर सकते। जब हम २५०रु० जमा करने वालों को पूरी राशि लौटाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि जिनके पास अधिक धन नहीं है उनको उनकी पूरी राशि लौटा दी जाये। आस्तियों के इकट्ठा हो जाने के बाद दूसरे लोगों को अनुपाततः दे दिया जायेगा। हो सकता है कि आस्तियों के बारे में सुनिश्चयन हो जाने के बाद भी उन्हें धन दिया जा सकता है। इसलिये मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि यह राशि २५० रु०से अधिक बढ़ाई जाये।

अगर यह छट और दूसरे खातेदारों को भी दी गई तो बांटने वाली राशि में कमी आ जायेगी और बहुत सी धर्मार्थ संस्थाओं आदि को धन नहीं मिल सकेगा। क्या ऐसा भी होना चाहिये इस बात पर सभा द्वारा विचार किया जा सकता है। इस सुझाव के बारे में मेरा कोई दृढ़ मत नहीं है। जहां तक मेरी राय है हमें विधेयक के उपबन्धों को इसी रूप में मान लेना चाहिये——यदि हम खुद अपनी कठिनाइयां नहीं बढ़ाना चाहते। छोटे-छोटे खाते तो बचत खातों में ही हैं। माननीय सदस्य का सुझाव था कि ५०००रु० तक जिनके जमा हैं उनको पूरी रकम दी जाये लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि ऐसा किया जा सकता तो बैंक को बन्द करने की कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता थी। और भी बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं। एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि जनता का बैंकों पर से विश्वास उठ जायेगा। मैंने मजबूर होकर यह उत्तर दिया था कि सरकार बैंक में जमा की गई रकमों की कोई गारंटी नहीं लेती। श्री गुहा ने भी यह बात मानी है कि टैक्नीकल दृष्टि से यह बात सही है। उनका कहना है कि तात्विक दृष्टि से यह बात सही नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि यदि जनता इस गलतफहमी में थी कि उसके धन की गारंटी क्या सरकार ने ले ली है तो फिर बैंक में धन निकालने वालों का तांता क्यों लगा और यदि तांता न लगता तो आज बैंक को बन्द करने की ज़रूरत ही न पड़ती। अतः यह कहना ग़लत है कि जनता को विश्वास था कि उसके धन की गारंटी सरकार पर है बिना आस्तियों को जाने सरकार कोई गारंटी कैसे ले सकती है। सरकार के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि बैंकों का प्रबन्ध ठीक प्रकार से हो और कोई गड़बड़ी होने पर उचित समय पर सरकार कार्यवाही भी करेगी। पिछले कुछ समय में लगभग २६० बैंक फेल हो चुके हैं और उनके बारे में कभी किसी ने इतना शोर नहीं मचाया जितना कि आज पलाई बैंक के टूटने के सम्बन्ध में मचाया जा रहा है।

शोध-विलम्ब-काल सम्बन्धी उपबन्ध इसलिये रखा गया है कि बैंक में से रुपया निकालने वालों का जो तांता लगता है, उसके बारे में कार्यवाही की जा सके। शोध-विलम्ब-काल की अवधि में स्थिति का ढंग से अनुमान कर उस में सुधार के लिये कार्यवाही की जा सकती है, बैंकों के विलय का उपबन्ध भी स्थिति को सुधारने की दृष्टि से ही रखा गया है, बैंकों को मिलाने की योजना तैयार करने से पहले रिजर्व बैंक संबंधित बैंकों से परामर्श कर लेगा——लेकिन हो सकता है कि शोध-विलम्ब-काल को घोषणा करने से पहले सदैव बैंक से परामर्श करना संभव न हो। देश की बैंकिंग पद्धति बिल्कुल ठोस है और जनता को उस पर पूर्ण विश्वास है।

बैंकिंग पद्धति को बिल्कुल दोषमुक्त कर लेने के पश्चात् सरकार निक्षेप बीमा योजना पर विचार करेगी।

सरकार यह संशोधन मान लेने के लिये तैयार है कि रुपया जमा करने वालों को २५० रुपये अथवा उन के खाते में जमा राशि के आधे भाग का दोनों में से जो भी कम बैठता हो भुगतान कर दिया जाये ।

विधेयक का प्रयोजन समापन की कार्यवाही में शीघ्रता लाना और अनिश्चितताओं को समाप्त करना है । सरकार विलम्ब और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय निकाल लेगी ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खन्ड ३—(धारा ४१ के स्थान पर नई धारायें रखना)

†**श्री वारियर :** (त्रिचूर) : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन संख्या ३ तथा ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नथवानी :** मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ४३ के बाद, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये

"(4) If a claimant fails to comply with the notice sent to him under sub-section (1), his claim will not be entitled to be paid under section 530 of the Companies Act, 1956, in priority to all other debts but shall be treated as an ordinary debt due by the banking company; and if a secured creditor fails to comply with the notice sent to him under sub-section (1) the official liquidator shall himself value the security and such valuation shall be binding on the creditor."

["(४) अगर एक दावेदार—उपधारा (१) के अधीन भेजे गये नोटिस का पालन नहीं करता, तो समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ५३० के अधीन दूसरे ऋणों की अपेक्षा वह अपने दावे की रकम पाने में प्राथमिकता पाने का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन वह दावा बैंकिंग समवाय द्वारा दिये जाने वाले सामान्य ऋण की भांति माना जायेगा; और अगर प्रतिभूत ऋणदाता उपधारा (१) के अधीन भेजे गये नोटिस का पालन नहीं करता तो सरकारी परिसमापक स्वयं प्रत्याभूति का मूल्यांकन करेगा और वह मूल्यांकन उस ऋणदाता को मानना पड़ेगा ।"]

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं । लेकिन श्री वारियर का संशोधन स्वीकार नहीं करता क्योंकि इसे स्वीकार करने से सारे मामले में देर हो जायेगी ।

†**सभापति महोदय :** मैं संशोधन संख्या ३ तथा ४ सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सभापति]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :**

पृष्ठ २, पंक्ति ४३ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये

"(4) If a claimant fails to comply with the notice sent to him under sub-section (1), his claim will not be entitled to be paid under section 530 of the Companies Act, 1956, in priority to all other debts but shall be treated as an ordinary debt due by the banking company; and if a secured creditor fails to comply with the notice sent to him under sub-section (1) the official liquidator shall himself value the security and such valuation shall be binding on the creditor."

["(४) अगर एक दावेदार —उपधारा (१) के अधीन भेजे गये नोटिस का पालन नहीं करता तो समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ५३० के अधीन दूसरे ऋणों की अपेक्षा वह अपने दावे की रकम पाने में प्राथमिकता पाने का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन वह दावा बैंकिंग समवाय द्वारा दिये जाने वाले सामान्य ऋण की भांति माना जायेगा; और अगर प्रतिभूति ऋणदाता उपधारा (१) के अधीन भेजे गये नोटिस का पालन नहीं करता तो सरकारी परिसमापक स्वयं प्रत्याभूति का मूल्यांकन करेगा और वह मूल्यांकन उस ऋणदाता को मानना पड़ेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(धारा ४३—क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री मुरारका :** मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मैं अपने संशोधन संख्या ८, ९, ११, १२ और १३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पुन्नूस :** मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय :** ये सभी संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री पुन्नूस :** पलाई बैंक के बारे में मैं ने कहा था कि छोटे छोटे बैंकों ने अपना सम्पूर्ण धन इस बैंक में रख दिया था । और अब वे बिल्कुल ही समाप्त हो गये हैं । इस पर वित्त मंत्री ने कहा था कि इन छोटे छोटे बैंकों का अधिक से अधिक ध्यान दिया जायेगा । अच्छी बात यह होगी कि रिजर्व बैंक इन को ऋण दे सकता है ।

---

†**मल अंग्रेजी में**

पहली बात इस सिलसले में यह है कि इन छोटे बैंकों का जो रुपया पलाई बैंक में था वह इन बैंकों की आस्तियां नहीं थीं बल्कि खातेदारों की राशि थी जिस पर ये बैंक खातेदारों को ब्याज देते थे। लेकिन अब अगर रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को ऋण दिया तो ये छोटे बैंक कहां से यह ब्याज खातेदारों को दे पायेंगे क्योंकि उन्हें अब रिजर्व बैंक को भी ब्याज देना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री इन बैंकों के बारे में भी कुछ सोचें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मेरा पहला संशोधन राशि को २५० रु० से बढ़ा कर ५००रु० करने के बारे में है। लेकिन वित्त मंत्री बता चुके हैं कि यह संभव नहीं है हालांकि उन्हों ने इस के कारण कुछ नहीं बताये हैं। दूसरे संशोधन जो सहकारी संस्थाओं के बारे में हैं उन के विषय में भी उन का कहना है कि यह भी संभव नहीं है।

मेरा निवेदन तो यही है कि भले ही वित्त मंत्री का कारण कुछ भी क्यों न हो लेकिन पलाई बैंक के असफल हो जाने से सहकारी संस्थाओं का कार्य ठप्प हो गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री इस बारे में अवश्य ही कुछ विचार करें क्योंकि सहकारी संस्थाओं को अन्य दातव्य संस्थाओं के बराबर नहीं माना जा सकता। सरकार को चाहिये कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर ले वर्ना इस का प्रभाव हजारों लोगों पर पड़ेगा। और आर्थिक दशा बिगड़ जायेगी। इसलिये इन संस्थाओं को अवश्य ही कुछ सहायता दी जानी चाहिये।

†**श्री मुरारका :** अब मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २३ तथा २४ में--

"Fifty per cent. of the balance at his credit subject to a maximum of two hundred and fifty rupees"

["उस के खाते में जमा राशि का ५० प्रतिशत लेकिन यह राशि २५० रुपये से अधिक न होगी।"] शब्दों के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :--

"a sum of two hundred and fifty rupees or the balance at the credit which ever is less"

["२५० रुपये की राशि अथवा उस की जमा राशि जो भी कम हो"]

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि सभी खाते दारों को समान रूप से राशि मिले चाहे उन का खाता बचत खाता हो अथवा किसी दूसरी प्रकार का। यह बात दूसरी है कि दूसरे खातेदारों को बचत खाते वालों की अपेक्षा प्राथमिकता बाद में मिले। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है जिस व्यक्ति के चालू खाते में अधिक धन है तो उसे अधिक से अधिक २५०रु० मिलेंगे और यदि किसी के खाते में कम रुपये है तो उसे उन रुपयों की आधी रकम मिल जायेगी। मेरे विचार से यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। मेरे विचार से चालू खाते वालों का अधिक रुपया ही बैंक में होगा।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं श्री मुरारका के संशोधन को स्वीकार करता हूं। लेकिन और दूसरे संशोधनों को स्वीकार नहीं करता।

†**सभापति महोदय :** मैं संशोधन संख्या १५ को छोड़ कर अन्य सभी संशोधनों को सभा में मत-दान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २३ तथा २४ में--

"Fifty per cent. of the balance at his credit subject to a maximum of two hundred and fifty rupees."

["उस के खाते में जमा राशि का ५० प्रतिशत लेकिन यह राशि २५० रुपये से अधिक न होगी] शब्दों के स्थान पर निम्न रख दिया जाये

"a sum of two hundred and fifty rupees or the balance at his credit whichever is less."

["२५० रुपये की राशि अथवा उस की जमा राशि, जो भी कम हो"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** खंड ५ के बारे में कोई संशोधन नहीं है ; प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय :** अब हम खंड संख्या ६ पर विचार करेंगे ।

†**श्री नथवानी :** मैं अपने संशोधन संख्या १६, १७ और १८ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

मेरे संशोधन संख्या १६ और १७ तो शाब्दिक संशोधन हैं । संशोधन संख्या १८ में कहा गया है कि बैंकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ विभागीय आदेश जारी किये जायें ताकि जनता को बैंकों के काम के बारे में जानकारी हो सके ।

†**श्री मुरारजी देसाई :** ऐसे विभागीय आदेश मौजूदा हैं ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : पलाई सैंट्रल बैंक के बंद होने के फलस्वरूप सरकार को जो झटका लगा है उस के कारण ही रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह ठप्प होने वाले बैंकों की पुन व्यवस्था अथवा उसे किसी अन्य बैंक अथवा बैंकों में मिला देने की योजनायें तैयार कर सकें ।

किसी बैंक के विषय में एक बार शोध-विलम्ब-काल की घोषणा कर देने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस में उस बैंक को किसी अन्य बैंक अथवा बैंकों में मिला देना अनिवार्य हो जाये । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शोध-विलम्ब-काल की घोषणा समापन की ओर जाने की एक सीढ़ी न बन जाये ।

पश्चिमी बंगाल के पिछले १०–१२ वर्षों मे दिवाला निकल गया है लेकिन भागीदारों को कुछ भी भुगतान नहीं किया है न रुपया जमा करने वालों को ही कुछ मिला है । रुपया जमा करने वालों को भुगतान करने के अर्थोपायों का पता लगाने के लिये हमें समापन की कार्यवाही को सरल बना देना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं आश्वासन देता हूं कि अब भविष्य में किसी प्रकार की कोई अनिश्चिता नहीं रहेगी । भूतकाल में इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां रही हैं उन को दूर करने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा ।

†**श्री अ० चं० गुह :** जिन बैंकों का पिछले सात आठ साल में दिवाला निकल गया है क्या उन के बारे में कुछ हो सकता है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जिन बैंकों ने कोई लाभाँश नहीं दिया है उन के बारे में कुछ किया जा सकता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या भविष्य में सरकार इन बैंकों में पूरे दिन काम करने वाले निदेशकों की नियुक्ति करेगी ?

†**श्री मो ारजी देसाई :** इस के बारे में हमेशा विचार किया जाता है । यही बात रिजर्व बैंक करता है । सभी प्रकार की कार्यवाही रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है ।

†**सभापति महोदय :** अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।
प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली प्राथमिकता शिक्षा विधेयक

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

श्रीमान्, सभा में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार आरम्भ होने से पूर्व मैं सभा का ध्यान विधेयक में संयुक्त समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूं।

पृष्ठ ४ पर उपखंड (छ) में 'माता-पिता' की परिभाषा को अब सरल शब्दों में रख दिया गया है। उपखंड (झ) में 'प्राथमिक शिक्षा' की परिभाषा की गई है। यह व्यवस्था कर दी गई है कि प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय उस क्लास या स्टैण्डर्ड तक की शिक्षा से होगा जो आठवीं क्लास या स्टैण्डर्ड से, जैसाकि निर्धारित कर दिया जाये, आगे नहीं होगी। इसी प्रकार 'बच्चे' शब्द की भी परिभाषा कर दी गई है, जो वह लड़का अथवा लड़की हो सकता है जो ६ वर्ष से कम तथा १४ वर्ष से अधिक, जैसा कि निर्धारत कर दिया जाये, न हो। संविधान के निदेशक तत्वों के अनुसार १४ वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है; इसलिये पहले ही १४ वर्ष तक की आयु की सीमा विधेयक में रखी जा रही है जिस से सरकार को बारबार संसद् में संशोधन विधेयक प्रस्तुत न करने पड़ें। आरम्भ में हम ने ६ से ११ वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। परन्तु हमारा विचार धीरे धीरे इस सीमा को १४ वर्ष तक ले जाने का है।

हम ने खंड ३ को सारा ही बदल दिया है। उप खंड (१) में अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाने के बारे में पहल करने का भार स्थानीय अधिकारियों पर डाला है। सभा को याद होगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि यदि स्थानीय प्राधि कार इस विषय में पहल नहीं करेंगे तो बड़ी कठनाइयां खड़ी हो जायेंगी। इसीलिये हम ने एक निश्चित उपबन्ध किया है और राज्य सरकार को यह अधिकार दिये हैं कि खंड १७ के अधीन यदि स्थानीय प्राधिकार ऐसा न कर पावे तो राज्य सरकार स्वयं योजना बनायें और उस को लागू करायें। मैं आशा करता हूं कि ऐसी स्थिति आयेगी नहीं। क्योंकि स्थानीय प्राधिकार इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये मुख्यतः उत्तरदायी होंगे।

इस योजना की कार्यान्विति के लिये सरकार रुपया देगी। हम यह भी आशा करते हैं कि स्थानीय प्राधिकार भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये कुछ धन इकट्ठा करने का प्रयत्न करेंगे।

खंड ६ में हमने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। मूल विधेयक में हम ने यह उपबन्ध किया था कि अनिवार्य शिक्षा लागू होने के तुरन्त बाद बच्चों की सूची बनाई जायेगी। अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि निर्धारित अवधि के बाद इन सूचियों का पुनरीक्षण हुआ करेगा। चूंकि सूचियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, इसलिये यह उपबन्ध आवश्यक है।

इस में हम ने नया खंड १२ जोड़ा है। यह खंड एक विवादास्पद खण्ड है। इस खंड में हम ने अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था की है। सभा को याद होगा कि कितने ही माननीय सदस्यों ने कहा था कि यदि हम इस योजना को प्रभावोत्पादक रूप में लागू करना चाहते हैं तो देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है कि अशंकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। ऐसा देखा गया है कि देहात में बहुत से बच्चे परिवार में तथा परिवार से अलग उत्पादी कार्यों में लगे हुए हैं। कभी कभी वह नौकरी भी कर लेते हैं। यदि हम इन बच्चों को एकाएक इन कार्यों पर से हटा लेंगे तो संभव है कि माता पिता को या पूरे परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ जाये। इसीलिये अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया।

ऐसी बात नहीं है कि हम केवल अंशकालिक शिक्षा से ही संतुष्ट हो गये हों क्योंकि अन्ततः हमारा लक्ष्य सभी बच्चों के लिये पूरे समय की शिक्षा की व्यवस्था करना है। परन्तु अन्तरिम काल में

यानी जब तक हमारे समाज का आर्थिक ढांचा ठीक नहीं हो जाता है तब तक यही आवश्यक समझा गया कि थोड़े समय के लिये यह व्यवस्था रखी जाये। बहुत से पश्चिमी देशों में भी जहां अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी, पहले अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था रखी गई थी। यह ठीक है कि इंगलैंड जैसे देश में अब अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, परन्तु जब अनिवार्य शिक्षा वहां पर भी लागू की गई थी वहां भी अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था रखी गई थी। मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने विधेयक में उचित व्यवस्था ही की है और इस से योजना को स्वीकार करने में जनता की आनाकानी समाप्त हो जायेगी।

खण्ड १८ में इस विधि का उल्लंघन करने वालों के लिये सजा की व्यवस्था है। मूल विधेयक में व्यवस्था थी कि एक व्यक्ति चाहे कितने ही बच्चों को स्कूल नहीं भेजे एक वर्ष में उस पर १०० रुपये से अधिक जुर्माना नहीं हो सकता। परन्तु संयुक्त समिति ने अब यह व्यवस्था रखी है कि प्रत्येक बच्चे पर एक वर्ष में ५० रुपये से अधिक जुर्माना नहीं होगा। इस उपबन्ध से सजा सख्त कर दी गई है।

अन्य सभी परिवर्तन आनुषंगिक हैं और अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं अब मैं प्रतिवेदन के विभिन्न टिप्पणों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने खण्ड १२ का विरोध किया है। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि अभी बहुत दिनों तक सामाजिक तथा आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिये अंशकालिक शिक्षा आवश्यक होगी। मैं ने यह भी कहा है कि इस शिक्षा का यह गलत अर्थ न लगाया जाये कि सरकार सामाजिक तथा आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों के साथ पक्षपात कर रही है। सच यह है कि सरकार ऐसे सभी बच्चों को पूरे समय की शिक्षा देना चाहती है खास तौर पर इन बच्चों को जो पहले से ही सामाजिक रूप से असमर्थ तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। परन्तु अन्तर्कालीन अवधि की कठिनाइयों के कारण अंशकालिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। बड़ौदा राज्य में जब अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी उस समय इस की आवश्यकता महसूस की गई थी। मैं बता चुका हूं कि पश्चिमी देशों में भी इस प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। यद्यपि इंगलैंड में १८७० में अनिवार्य शिक्षा लागू हो चुकी थी परन्तु १९१८ तक अंशकालिक शिक्षा लागू रही।

अनेक माननीय सदस्यों ने स्कूलों में खाना, अथवा मध्याह्न भोजन, पाठ्य-पुस्तकों, लेखन सामग्री, तथा वर्दी आदि की सुविधायें देने के बारे में कहा है। मैं उन की बातों से सहमत हूं, सभी जानते हैं कि अधिकांश बच्चों को इन सुविधाओं की जरूरत है। बहुत से बच्चों को भरपेट खाना या शरीर ढकने के लिये पूरी तरह कपड़ा भी नहीं मिलता। उन्हें, खाना, कपड़ा, पठन सामग्री सभी कुछ चाहिये। और जब तक हम इन चीजों की व्यवस्था नहीं करते तब तक यह योजना प्रभावोत्पादी नहीं होगी। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या विधेयक में ही हम इसे अनिवार्य बना सकते हैं। इस विषय पर संयुक्त समिति में पूरी तरह विचार किया गया था और यद्यपि हमने विधेयक में इसकी व्यवस्था कर दी है और नियमों में भी इसका विस्तृत उपबंध कर दिया जायगा, फिर भी हम उपबन्धों को अनिवार्य नहीं बना सकते। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में हमें समाज का पूरा सहयोग मिलेगा और इसमें राज्य, समाज तथा स्थानीय संस्थायें अपना पूरा योग देंगी। बहुत से राज्यों में ऐसी व्यवस्था कर भी दी गई है। उदाहरण के लिए, मद्रास राज्य में हजारों बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन देने की योजना हाल ही में शुरू की गई है और उनको इस काम में जनता तथा स्थानीय संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार भी अंशतः सहायता दे रही है। मैं आशा करता हूं कि इसे बिना अनिवार्य बनाये ही जहां जहां यह योजना लागू होगी वहां यह प्रबन्ध कर दिया जायगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** : (तिरुवल्ला) : क्या किसी राज्य में ऐसा हुआ है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मद्रास, केरल और मैसूर में ऐसा हो रहा है । दिल्ली में हम दूध मुफ्त दे रहे हैं ।

†**श्री बारियर** (त्रिपुरा) : और मध्याह्न भोजन ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दिल्ली में दूध वितरण योजना है ; दूध में अधिकपोषक तत्व होते हैं तथा मंहगा भी होता है । हमको बाहर से सहायता मिल गई थी इसलिए दिल्ली में हम दूध बांट सके। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों, आदि की व्यवस्था हो तो इसके लिये समाज को सहायता करनी होगी, उससे अपील करनी होगी और मैं समझता हूं कि समाज अवश्य सहायता देगा ।

एक माननीय सदस्य ने गैर सरकारी प्राइमरी स्कूलों को जारी रखने पर आपत्ति की है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस प्रकार की आपत्ति क्यों करते हैं । जितनी गैर सरकारी संस्थायें इस काम में सरकार की सहायता करेंगी उतना ही सरकार पर कम भार पड़ेगा । इसलिए हमारी नीति तो गैर सरकारी संस्थाओं को स्कूल स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने की होनी चाहिये । संविधान के अन्तर्गत भी लोगों को अपने प्राइवेट स्कूल खोलने का अधिकार है । हम यह अधिकार किस प्रकार छीन सकते हैं । इसलिए माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि हम गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल खोलने पर किस प्रकार आपत्ति कर सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विमर्श टिप्पण में स्थानीय संस्थाओं को अनिवार्य शिक्षा लागू करने का काम सौंपने के बारे में आपत्ति की है । मेरा इसके बारे में भी यही कहना है कि यदि हम चाहते हैं कि अनिवार्य शिक्षा की योजना प्रभावोत्पादी हो तो उसके साथ जनता को अवश्य मिलाना होगा । इसलिये अनिवार्य शिक्षा को कार्यान्वित करने का काम स्थानीय संस्थाओं को सौंपना ठीक ही है । यह व्यवस्था कर दी गई है कि जहां कहीं स्थानीय संस्थायें अपनी जिम्मेदारियां, कर्त्तव्य पूरी तरह से पूरे न कर पायें वहां राज्य सरकारे हस्तक्षप कर सकती हैं । बच्चों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जायगी ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं देंगी इस विधेयक की कार्यान्विति सफलता से नहीं होगी । मैं इसके बारे में भी बता चुका हूं कि सरकार संविधान के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिये उत्सुक है और इस विधेयक के उपबन्धों को लागू कराने के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता स्थानीय संस्थाओं को देगी । हमने सभी प्रकार की तैयारी कर ली है । सभी नियम बना लिए गए हैं । योजना बना ली गई है । जैसे ही संभा विधेयक को पारित कर देगी वैसे ही दिल्ली में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरंभ हो जायगी ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य इसे कल प्रस्तुत करें। सभा में अब आध घंटे की चर्चा होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, मैंने इस एवान में ५ अगस्त को एक सवाल पूछा था कि क्या यह सही है कि मद्रास जाने वाले मुसाफिरों को मई, १९६० में मद्रास जाने वाली गाड़ियों में रिज़र्वेशन कराने में बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी थीं। उसका जवाब मुझे मिला था कि इस साल मई में भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से मुसाफ़िरों को कुछ मुश्किलें उठानी पड़ीं। इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि मैंने खुद वहां लोगों को ३६-३६ घंटे कतार बांधे खड़ा देखा है। यह हकीकत है कि वह तीन तीन दिन वहां खड़े रहे सिर्फ इसलिए कि रिजर्वेशन मिल जाए, और मुझे इन्तहाई अफसोस है कि जहां तक रेलवे का ताल्लुक है वह इस बारे में बिल्कुल नाकाम है। उन्होंने किसी किस्म की सहूलियत लोगों को रिजर्वेशन के बारे में बहम नहीं पहुंचायी है। गोकि मैं साउथ इंडिया को कभी कभी ही जाता हूं लेकिन जब भी मैं गया तो मुझे अहसास हुआ कि जितनी गाड़ियां साउथ की तरफ जाती हैं उनमें एक तो बहुत रश होता है और दूसरे इन गाड़ियों में खाने पीने का कोई खास इन्तिजाम नहीं होता। हुकूमत जानती है कि साउथ को जाने में चार पांच दिन लगते हैं और हर साल मई के महीने में जब कि बच्चों के कूल बन्द होते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ उस वक्त का फायदा उठाकर छुट्टियां गुजारने के लिए साउथ जाते हैं। जब हुकूमत यह देखती है कि बहुत से लोग सिर्फ एक डेढ़ महीने के लिए जा रहे हैं तो हुकूमत पर यह फर्ज आयद होता है कि वह उन लोगों को, चाहे वह सरकारी मुलाजिम हों, या बिजनेसमैन हों या आम टैक्स पेयर हों, बाकायदा रियायत दे। ऐसा न हो जैसा कि इस साल हुआ कि लोगों को एक एक दिन और एक एक रात टेशन पर क्यू में खड़ा रहना पड़ा अर फैमिली मेम्बर्स को एक एक कर के टिकट लेने जाना पड़ा और रेलवे टेशन पर उनको पानी पिलाने का या और ही आराम पहुंचाने का कोई इन्तिजाम नहीं था। कई दफा ऐसा हुआ कि एक आदमी तमाम रात और तमाम दिन वहां खड़ा रहा और सुबह उसे टिकट निहीं मिला।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): आप अंग्रेजी में बोलें, वह हिन्दी नहीं समझते।

श्री अ० मु० तारिक : जहां तक समझने का ताल्लुक है, हमारे वजीर कोई जबान नहीं समझते चाहे वह अंग्रेजी हो या हिन्दी हो। इस सिलसिले में मैं हुकूमत से और अपने वजीर श्री जगजीवन बाबू से यह तवक्को रखूंगा कि वह साउथ इंडिया जाने वाले लोगों को इस किस्म की सहूलियत बहम पहुंचाएंगे।

डी लक्स ट्रेन के बारे में मुझे यह कहना है कि जब यह ट्रेन दिल्ली से चलती है तो इसमें सामान बुक कराने का कोई खास इंतिजाम नहीं है। जब यह गाड़ी मद्रास पहुंचती है तो वहां पर लोगों को सामान लेने में काफी वक्त लगता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सामान लेने में लोगों को सहूलियत बहम पहुंचायी जाए और जब यह ट्रेन मद्रास पहुंच जाए तो ऐसा इन्तिजाम होना चाहिए कि लोगों को अपना सामान बहुत जल्दी मिल जाए। दूसरी मेरी दरखास्त यह है कि जो ट्रेनें साउथ इंडिया को जाती हैं उनमें पानी के स्टोरेज की काफी गुंजाइश होनी चाहिए। हमने देखा है कि मद्रास जितनी ट्रेनें जाती हैं उनमें पानी की दिक्कत होती है, पीने के पानी की दिक्कत होती है और बाथरूम में भी बहुत कम पानी मिलता है जिससे बदबू फैलती है और लोगों को काफी तकलीफ होती है।

---

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री अ० मु० तारिक]

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो ट्रेनें मद्रास की तरफ जाती हैं, चाहे वह जी० टी० हो या डीलक्स हो या जनता हो, इन तीनों में जितने लोग सफर करते हैं उनके लिए डाईनिंग कार में बैठकर खाने का इन्तिजाम नहीं होता और लोगों को एक एक दो दो घंटे क्यू में खड़ा रहना पड़ता है । और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खाना जहां बनता है उसी के साथ खाना खाने की जगह है जो कि निहायत गन्दी होती है, और थाल इ ने साफ नहीं होते जितनी कि हमें जगजीवन राम बाबू से तवक्को थी । वह खुद काफी नफासत पसन्द हैं और इसमें शक नहीं कि उन्होंने रेलवे में नफासत लाने की कोशिश की लेकिन वह नफासत आम लोगों तक नहीं पहुंच पायी है । हम उम्मीद करते हैं कि वह उस नफासत को आम लोगों तक पहुंचाने का इन्तिजाम करेंगे ।

एक और बात मुझे अर्ज करनी है । जी० टी० जो कि दिल्ली से मद्रास को १५ अप्रैल और ३१ मार्च के बीच चलती है और जो मद्रास और दिल्ली के बीच १५ जून से ३१ जूलाई तक चलती है, उसके पेशल रन होने चाहिएं । अगर जी० टी० के लिए ऐसा न किया जा सके तो दूसरी ट्रेन्स उस अर्से में चलायी जाएं ताकि जो लोग मद्रास से दफ्तरों के लिए आना चाहते हैं या जो छट्टिया गुजारने के लिए मद्रास जाना चाहते हैं उनको सहूलियत हो ।

इसके अलावा मैं यह भी दरखास्त करूंगा कि दिल्ली नागपुर एक्सप्रेस के साथ भोपाल, नागपुर, हैदराबाद के लिए जो कोचेज़ लगायी जाती हैं उनको अलाहिदा रखा जाये और उनके बदले मद्रास के लिए कोचेज़ लगायी जायें ताकि जो लोग मद्रास जाते हैं उनको सहूलियत मिले । उन ट्रेंस के लिए आप को स्पेशल सर्विस रन करने का इंतजाम करना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो और उनको आराम मिले ।

अब इस में कोई लम्बी बहस करने की गुजाइश नही है । सिर्फ एक इल्तिजा है कि इन दो महीनों में जब यहां के लोग छट्टियों पर जाते हैं तो उन्हें सहूलियत दी जाय और खास तौर पर जैसे इस साल हुआ है कि लोगों को २४-२४ घंटे क्यू में खड़े होना पड़ा है वह दिक्कत उनको फिर पेश न आये और इस बारे में लोगों को कोई खास किस्म की सहूलियत दी जाये ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मैं इस मामले में श्री अ० मु० तारिक से पूरी तरह सहमत हूं । दक्षिण से उत्तर आने वाले यात्रियों को भी यही तकलीफें झेलनी पड़ती हैं ।

सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये । उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने वाले कुछ दूसरे मार्ग भी होो चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : दिल्ली से मद्रास और उसके आगे तक के मार्ग पर यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है । आवश्यकता इस बात की है कि इस मार्ग पर कुछ और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जायें । लेकिन मंत्रालय का कहना है कि इसके लिये रेलवे लाइन की क्षमता सीमित है । जब वे 'डीलक्स' ट्रेन चलाना शुरू करना चाहते हैं, तो क्षमता बढ़ जाती है ।

†**रेलवे मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : कुछ दूसरी माल गाड़ियां बन्द कर दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : 'डीलक्स' ट्रेन हफ्ते में दो बार चलती है। बाकी ५ दिन नई एक्सप्रेस ट्रे चलाई जा सकती है। यदि मद्रास तक नहीं तो कम से कम हैदराबाद तक तो एक एक्सप्रैस ट्रेन चलाई ही जानी चाहिये।

माननीय मंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं. पर अभी तक मद्रास जाने वाली ट्रेनों में दूसरे दर्जे का डिब्बा लगता है। उसे अभी तक बन्द नहीं किया गया है।

ग्रांड ट्रन्क एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के यात्रियों को सोने को भी नहीं मिल पाता। दूसरे दर्जे के डिब्बे के स्थान पर सोने का एक डिब्बा लगाया जाना चाहिये।

माननीय मत्री ने हमें बताया है कि पिछले तीन-चार साल में इस रेलवे मार्ग पर करीब २० करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वहा 'इन्टरलॉकिंग' व्यवस्था की गई है। क्या तब भी लाइन की क्षमता इतनी नहीं बढ़ी कि एक भी और एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सके?

†**श्री ा ियर** (त्रि ूर) : मद्रास से दिल्ली चलने वाली ट्रेन का भोज ा यान बीना या किसी अन्य स्टेशन पर आधी रात के करीब काट दिया जाता है। इस से यात्रिय. को बड़ी कठिनाई होती है। उसे दिल्ली तक चलने दिया जाये।

दूसरी क.ठिनाई यह है कि भोपाल के बाद, भोजन यान के कर्मचारियों को चलती गाड़ी में यात्रियों से ट्रे और तश्तरियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इसके लिये हमें जागते रहना पड़ता है और साथ ही चलती गाड़ी में इससे दुर्घटनायें भी हो जाती हैं।

आगरे में हमें सुबह न तो अच्छी चाय मिल पाती है और न इडली ही। जो मिलती है वह पता नहीं चाय होती है या काफ़ी। हम नाश्ता नहीं कर पाते, और दिल्ली पहुंचते-पहुंचते दस बज जाते हैं।

इसकी जांच की जानी चाहिये, क्योंकि यह यात्रा ४८ घन्टे की होती है। इस में कुछ सुधार किया जाना चाहिये।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। हम को पश्चिमी तट तक जाने के लिये मद्रास होकर जाना पड़ता है, और कभी-कभी गाड़ी देर से पहुंचने के कारण हमें मद्रास स्टेशन पर मंगलौर मेल नहीं मिल पाती। तब एक पूरा दिन मद्रास में काटना पड़ता है। इस तरह पूरे सफर में चार दिन लग जाते हैं। साल भर में पूरा एक महीना मुझे ट्रेन में ही गुजारना पड़ता है।

बम्बई से मंगलौर के लिये कोई दूसरी लाइन ही नहीं है। मद्रास से मंगलौर तक की दूरी भी बहुत है। हमें यहां से पूर्वी तट पर मद्रास और फिर पूर्वी तट से पश्चिमी तट जाना पड़ता है। यदि कोई और हल नहीं है, तो कम से कम यात्रा का समय तो कम किया ही जाना चाहिये।

मैं श्री अ० मु० तारिक को अनेक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी तकलीफें सभा के सामने रखीं।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : समय कम करने की काफी गुंजाइश है। मद्रास जाने वाली ट्रेन मद्रास से गुडूर तक की ४८ मील दूरी तीन घंटे में तय करती है, जबकि मद्रास से आने वाली ट्रेन उसी को सवा दो घंटे में तय कर लेती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गुलाम मोहीदीन** (डिंडीगल) : 'डीलक्स' ट्रेन की तरह एक और भी ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलाई जा सकती है। इससे यात्रियों की तकलीफें कम हो जायेंगी। ग्रान्ट ट्रन्क एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। तब समय कम लगेगा।

लेकिन बीना से भोजन यान दिल्ली तक लाना ठीक नहीं होगा। उससे अपव्यय होगा।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: मैं विभिन्न सुझावों के लिये माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री तारिक ने जी० टी० एक्सप्रेस के बारे में बड़ी शिकायतें की हैं, खाना अच्छा नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता, डिब्बे गन्दे रहते हैं।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं ने यह सब नहीं कहा। मैं ने सिर्फ इतना कहा था कि दिल्ली से मद्रास जाने वाली ट्रेन पर पानी और खाने की व्यवस्था ठीक नहीं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : आप को उर्दू में इसी तरह समझा था। दक्षिण भारत को रोजाना जाने वाली ट्रेनें दो हैं : जी० टी० एक्सप्रेस और जनता। हफ्ते में दो दिन 'डीलक्स' ट्रेन भी चलती है।

माननीय सदस्य गर्मियों की छुट्टियों में दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिये सुविधाओं की कमी की शिकायत कर रहे थे। इसके बारे में मैं उनके कई अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं। हम यह तो समझ रहे थे कि उन दिनों भीड़ होगी लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा होगी। पिछले वर्ष के मुकाबले भीड़ ५० प्रतिशत अधिक हो गई थी। सभी जानते हैं कि दिल्ली-मद्रास लाइन और मद्रास-कलकत्ता लाइन पर भीड़ काफी बढ़ गई है। इन गर्मियों की छुट्टियों में हमने छैः बार जी० टी० एक्सप्रेस में एक और डिब्बा जोड़ा था। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये पांच और विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। मद्रास से दिल्ली के लिये मई में दो और जुलाई में भी विशेष ट्रेनें छोड़ी गई थीं।

बम्बई सैक्टर में भी ७ अप्रैल और १५ जून के बीच ४० विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। हम ने इस प्रकार बम्बई और कोचीन के बीच यात्रा करने वालों के लिये सुविधा जटाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा थी।

माननीय मित्र ने स्थान सुरक्षण के लिये लगने वाली लम्बी-लम्बी कतारों का जिक्र किया है। अगली बार हम इसकी और अच्छी व्यवस्था करेंगे और पहले से पूरी जानकारी यात्रियों को जुटा देंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री वारियर ने कहा है कि भोजन-यान दिल्ली तक आना चाहिये। मद्रास जाते समय यदि काज़ीपेट पर भोजन-यान ट्रेन से काट दिया जाय तो उनको कोई आपत्ति नहीं क्योंकि विजयवाड़ा से मद्रास तक अच्छा खाना मिल जाता है। भोपाल से आगे दिल्ली तक भोजन यान लाने में कठिनाई यह है कि हमें भोपाल की जरूरत भी पूरी करनी पड़ती है, वह एक राज्य की राजधानी है। हमें भोपाल के लिये एक रैक्शनल डिब्बा--भोपाल से दिल्ली तक के यात्रियों के लिये--गाड़ी में जोड़ना पड़ता

†मूल अंग्रेजी में

है । उसके बाद इंजन की क्षमता के अनुसार भोजन-यान भी उस में नहीं जोड़ा जा सकता । इसलिये हमें वहां भोजन-यान अलग कर देना पड़ता है । फिर रात में भोजन-यान की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती । आगरा और मथुरा पर दक्षिण भारतीय रसोइये रखे गये हैं और वे दक्षिण भारतीय खाना तैयार करते हैं । सांभर, चटनी, इडली और दोसा--सभी मिल जाते हैं ।

श्री वारियर ने चाय के बारे में भी शिकायत की है कि पता ही नहीं चलता कि वह चाय है या काफी । इसमें चाय या काफी का नहीं, माननीय सदस्य के जायके का दोष है कि वह दोनों में फर्क नहीं कर पाते ।

आगरा और मथुरा पर विभागीय तौर पर भोजन की व्यवस्था की गई है और उनकी बिक्री दिन-दिन बढ़ती जा रही है । मैंने उनकी शिकायतों का रजिस्टर देखा है । मुझे तो एक भी शिकायत नहीं मिली । माननीय सदस्य स्वयं जा कर देख सकते हैं । जहां भी विभागीय तौर पर भोजन की व्यवस्था होती है, मैं स्वयं वहां जलपान गृह में जाकर शिकायतों का रजिस्टर देखता हूं । मैं वहां खाना भी खाता हूं । मुझे भूख लग आती है । मैं वहां कुरता और धोती पहन कर जाता हूं, साधारण जनता का भेष धर कर ।

पानी की कमी के बारे में, मुझे यही कहना है कि माननीय सदस्य शायद गर्मियों में यात्रा कर रहे होंगे । आखिर, मद्रास-दिल्ली लाइन ही तो भारतीय रेलवे की सब से लम्बी लाइन है, १३६१ मील की । वह देश के विभिन्न भागों से गुजरती है, जिन में से कुछ स्थानों पर पानी की बहुतायत है, तो कुछ दूसरे स्थानों पर पानी की बड़ी कमी है । माननीय सदस्य शायद उन स्थानों की बात कर रहे हैं, जहां पानी की कमी है । ऐसे स्थानों पर कभी-कभी इंजनों के लिये पानी मिलना दूभर हो जाता है । पिछले साल जोधपुर में यही हालत थी । हम . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वाद-विवाद तो केवल दक्षिण जाने वाली ट्रेनों में स्थान सुरक्षित कराने की व्यवस्था के बारे में है । यह इससे संगत नहीं ।

†**श्री जगजीवन राम** : लेकिन उसी पर सब से कम चर्चा हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में इडली-दोसा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता । मुख्य विषय तो यह है कि जब भी लोग स्थान सुरक्षित कराने जाते हैं, उन से कह दिया जाता है कि जगह नहीं रही । यदि स्थान सुरक्षित करने वाला कर्मचारी आपको जानता है, तो स्थान नहीं मिलता, लेकिन अगर वह आपको नहीं जानता तो स्थान मिल जाता है । इसे कैसे रोका जायेगा ?

लगता यह है कि कुछ लोग किसी तरीके से दस दिन पहले अपनी सीट बुक करा लेते हैं । टिकट इंस्पैक्टर या सुरक्षण कर्मचारी से अलग मिलकर सीट बुक करा ली जाती है । कैसे ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होता । न आपको इसका कोई व्यक्तिगत अनुभव है, न मुझे । फिर भी ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं । इसीलिये मैंने पिछले साल यह व्यवस्था कराई थी कि रोज एक चार्ट बनाकर दफ्तर के सामने रखा जाता है जिसमें सभी सुरक्षित स्थानों का विवरण दिया जाता है । लोग उसे देख सकते हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली) : अब यह नहीं किया जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** पिछले वर्ष मैंने रेलवेज़ के महा प्रबन्धकों से कहा था कि सुरक्षित स्थानों की सूची किसी उच्चाधिकारी को देखनी चाहिये और सुरक्षण कराने वालों को जवाबी कार्ड लिखने चाहियें कि उन्होंने उस दिन के लिये स्थान सुरक्षित कराये हैं, या नहीं। इसका असर हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे गोलमाल की कोई शिकायत नहीं आती। दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी यही व्यवस्था जारी करने की बात सोची जा रही है। यदि माननीय सदस्य कोई स्पष्ट उदाहरण हमें दें, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा। तब मैं आप की सलाह लूंगा कि इसे रोकने के लिये और दूसरे कौन से उपाय किये जायें।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या यह सही नहीं है कि डिवीज़नल सुप्रिन्टेण्डेण्ट अपने इस्तेमाल के लिये अलग से कुछ सीटें रखते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** वायुयानों की तरह, रेलों में भी सरकार के लिये कुछ सीटें अलग रखी जाती हैं। बाकी की सीटों में गोलमाल होता है झूठे नाम भर दिये जाते हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** माननीय सदस्यगण भी अपनी यात्रायें स्थगित करने पर रेलवे कार्यालय को सूचित नहीं करते। इससे भी कुछ स्थान बच जाते हैं।

†**श्री नरसिंहन् :** इसके उदाहरण दिये जाने चाहियें।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मेरे पास स्पष्ट उदाहरण हैं।

†**श्री तिम्मय्या :** माननीय मंत्रिगण भी ऐसा करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्रियों को इस ढंग से माननीय सदस्यों के आचरण का उल्लेख नहीं करना चाहिये। इसका जनता पर बुरा असर पड़ता है। माननीय सदस्यों को भी माननीय मंत्रियों के आचरण के बारे में इस ढंग से नहीं कहना चाहिये। ऐसे शब्द भी नहीं कहे जाने चाहियें कि चाय और काफ़ी में फ़र्क न कर पाने में माननीय सदस्य के जायके का दोष है।

†**श्री फीरोज गांधी :** माननीय मंत्री को इस वाक्य पर खेद प्रकट करना चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** माननीय सदस्य पर आक्षेप करने का मेरा कोई मंशा नहीं था।

†**श्री वारियर :** यह बिल्कुल सही घटना है। मैं माननीय सदस्य कुमारन के साथ मद्रास से आ रहा था। आगरा स्टेशन पर हमें जो काफी दी गई, कि वह न काफी लगती थी, न चाय। श्री कुमारन ने ऐसा कहा भी था।

†**श्री जगजीवन राम :** यह कब की घटना है?

†**श्री वारियर :** समय याद नहीं रहा।

†**श्री जगजीवन राम :** मैंने इसलिये पूछा कि पहले वहां ठेकेदार की व्यवस्था थी। विभागीय आधार पर भोजन की व्यवस्था तो अभी कुछ दिन से शुरू हुई है।

मैं देखूंगा कि अब वहां तामिल रसोइया है या नहीं। यदि नहीं होगा, तो मैं रखने की कोशिश करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** श्री विट्ठल राव ने कुछ सुझाव दिये थे। उनका कहना है कि हफ्ते में दो दिन जब डी लक्स ट्रेन शुरू की जा सकती है, तो बाकी पांच दिन एक्सप्रैस ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। हमें इन सभी ट्रेनों का समायोजन करना पड़ता है कि उन दिनों कौन सी माल गाड़ियां उस लाइन पर चलेंगी। माननीय सदस्य ने कहा कि जब गर्मियों की छुट्टियों के दिनों विशेष ट्रेनें चल सकती हैं, तब सब दिन क्यों नहीं चल सकतीं। कुछ मालगाड़ियों को बन्द करके ही हम विशेष ट्रेनें चला पाते हैं। रोज तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें लाइन की क्षमता देखकर चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम जनता की आवश्यकतायें पूरी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे। इस वर्ष के अनुभव के आधार पर, हम यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधायें जुटाने की कोशिश करेंगे।

†**श्री तिम्मय्या :** 'डीलक्स' ट्रेन में गैर-वातानुकूलित तीसरा दर्जा तो होता है, पर गैर-वातानुकूलित पहला दर्जा नहीं। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे कि संसद्-सदस्य उसका लाभ उठा सकें। तब मैं तीन दिन में मैसूर पहुंच सकता हूं।

†**श्री सें० वें०रामस्वामी :** हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बंधी समितियां

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा में एक घोषणा करनी है। द्वितीय योजना की भांति, तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी मैं माननीय सदस्यों की चार समितियां बना रहा हूं। ये समितियां योजना पर विचार करेंगी। इनकी पहली बैठक ९ तारीख को होगी। कल ७ तारीख को माननीय सदस्य मुझे बता दें कि वे किस समिति में रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिससे कि मैं ८ को समितियों की घोषणा कर सकूं। और ९ को उनकी बैठक हो सके।

चार समितियों के विषय इस प्रकार हैं। समिति 'क'—नीति, संसाधन और आवंटन ; समिति 'ए'—उद्योग, विद्युत् तथा परिवहन ; समिति 'ग'—कृषि तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ; और समिति 'घ'—सामाजिक सेवायें प्राविधिक जन शक्ति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान। यदि समिति 'घ' के लिये बहुत ज्यादा सदस्यों के नाम आये, तो मैं उसे दो भागों में बांट दूंगा।

सभी समितियों की बैठकें अलग-अलग तिथियों में होंगी। इसलिये माननीय सदस्य उनमें शामिल हो सकेंगे। सभी के नाम आ जाने के बाद, मैं सभापति नियुक्त कर दूंगा। समितियों की कार्यवाही संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेगी। समियिां कार्यवाही का सारांश बाद में सभा को भेज देंगी। उनका ब्यौरा बुलेटिन में प्रकाशित होगा। आशा है कि अधिक से अधिक सदस्य इसमें रुचि लेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०/१६ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०
१५ भाद्र, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	३४२७–४८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८७	दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां स्थापित करना . .	३४२७–३०
१०८८	प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट . .	३४३०–३१
१०८९	दिल्ली में जमीन की कीमत	३४३२–३४
१०९०	पेट्रोलियम संस्था	३४३४–३५
१०९२	राज्यों में राष्ट्रीय नाट्यशालायें . . .	३४३५–३८
१०९६	वैज्ञानिक विषयों की उच्च शिक्षा संबंधी मूल्यांकन समिति .	३४३८
१०९८	नौसेना भर्ती-फार्मों में श्रेणी और उप-श्रेणी के स्तम्भ .	३४३८–४०
१०९९	आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था .	३४४०–४२
११००	आन्ध्र प्रदेश में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण . .	३४४२–४४
११०४	द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र . . .	३४४५–४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३४४८–३५२०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०९१	बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड . .	३४४८
१०९३	आय-कर की बकाया रकमें	३४४८–४९
१०९४	जापान को लौह-अयस्क का निर्यात . . .	३४४९
१०९५	५० नये पैसे के सिक्के	३४४९
१०९७	भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग . . .	३४४९–५०
११०१	घड़ियों का तस्कर-व्यापार	३४५०–५१
११०२	केरल के लिये कच्चा लोहा और इस्पात . . .	३४५१
११०३	बिहार में कोयले की कमी	३४५१–५२
११०५	नेपाल के साथ व्यापार-समझौता . . .	३४५२
११०६	उत्तर प्रदेश को कोयले का सम्भरण . . .	३४५२
११०७	इंग्लिश चेनल तैराकी प्रतियोगिता . . .	३४५२

विषय　　पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११०८	निवृत्ति-वेतन नियमों में संशोधन . .	३४५३
११०९	उडिपी और कारकल में संस्कृत कालेज . . .	३४५३
१११०	सोवियत रूस से आने वाले मिट्टी के तेल की पहली खेप .	३४५३–५४
११११	दिवंगत प्रिंस अलीखाँ की सम्पत्ति . . .	३४५४
१११२	प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रविधिक असैनिक कर्मचारियों के लिये छात्रवृत्तियां	३४५४–५५
१११३	ओरियन्टल गैस फैक्टरी, कलकत्ता .	३४५५
१११४	मौंटिसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम . . .	३४५५
१११५	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . . .	३४५६
१११६	दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति . .	३४५६
१११७	पुरातत्व विभाग	३४५७
१११८	अध्ययन के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम . . .	३४५७–५८
१११९	पाइप लाइनों के साथ साथ रेडियो-फोन सम्पर्क . .	३४५८
११२०	राजस्थान में तांबा, जस्ता और सीसे के निक्षेप . .	३४५८–५९
११२१	भारतीय वायुसेना के पूना केन्द्र में चोरी . .	३४५९
११२२	रोम ओलम्पिक में भारतीय दल	३४५९-६०
११२३	इंडिया सेरामिक्स लिमिटेड, नेल्लोर को कोयले का सभरण .	३४६०
११२४	शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का रक्षण . .	३४६०–६१
११२५	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी	३४६१-६२
११२६	बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को दिल्ली में लागू करना .	३४६२
११२७	भारत को विकास ऋण निधि का ऋण . .	३४६२
११२८	अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा	३४६२–६३
११२९	तेल के लिये छिद्रण	३४६३
११३०	निवेली में मिट्टी साफ करने का संयंत्र . . .	३४६३–६४
११३१	केरल में इस्पात री-रोलिंग कारखाने . . .	३४६४
११३२	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम .	३४६४
११३३	सरकारी क्षेत्र में रोजगार	३४६५
११३४	पेट्रोलियम उत्पाद	३४६५
११३५	प्रशासनिक सतर्कता विभाग	३४६५–६६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११३६ मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी संस्करण ३४६६
११३७ दमदम पर सोने का पकड़ा जाना . . ३४६६–६७
११३८ विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन ३४६७
११३९ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन . ३४६७
११४० पिछड़े हुए वर्गों के लिये समाज . . ३४६८
११४१ रूरकेला में तेल की पाइप लाइनों का कारखाना . ३४६८
११४२ विदेश जाने वाले भारतियों को यात्रा कोटा ३४६८–६९
११४३ निवेली उर्वरक परियोजना के लिये मशीनें ३४६९
११४४ केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक वर्गीकरण ३४६९
११४५ रद्दी लोहा परिष्करण उद्योग . ३४६९–७०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२१३२ महाराष्ट्र में बहुप्रयोजन स्कूल . ३४७०
२१३३ नेपाल को सहायता . . ३४७०–७१
२१३४ सरकारी इमारतों में ताश खेलना . ३४७२
२१३५ कांगड़ा से तम्बाकू की खेती . . ३४७२–७३
२१३६ दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता . ३४७३
२१३७ अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम . ३४७३
२१३८ गाजीपुर का अफीम का कारखाना ३४७३–७४
२१३९ दिल्ली में अपहरण के मामले . ३४७४
२१४० दिल्ली में उर्दू का विकास . . ३४७४
२१४१ शिमला के पास बालिका आश्रम . . . ३४७४–७५
२१४२ हिमाचल प्रदेश में शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मामले . ३४७५
२१४३ पंजाब में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम . ३४७५
२१४४ कालेज अध्यापकों के वेतनक्रम . . ३४५७–७६
२१४५ लक्कदीव में शिक्षा का विकास . ३४७६
२१४६ इस्पात का उत्पादन ३४७६
२१४७ मनीपुर नृत्य . ३४७६
२१४८ दिल्ली में प्राइमरी स्कूल ३४७६–७७
२१४९ पंजाब में तंबाकू की खेती . ३४७७–७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२१५० दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में विधि और व्यवस्था . ३४७८

२१५१ अन्दमान में विस्थापित व्यक्ति . . ३४७८

२१५२ भारत में पाकिस्तानी . . . ३४७८–७९

२१५३ क्रय-अवक्रय सम्बन्धी विधि ३४७९

२१५४ वित्तीय नियम तथा लेखा पालन प्रक्रिया . . ३४७९

२१५५ रिहा कैदियों का पुनर्वास ३४७९–८०

२१५६ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् . . ३४८०

२१५७ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के बीच सहकार्य . ३४८०

२१५८ उद्योगों में भूतपूर्व सैनिकों का उपयोग . ३४८१

२१५९ फीरोजपुर में ज्योति परियोजना ३४८१

२१६० नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवक केन्द्र ३४८१

२१६१ जेल मैन्युअल . . ३४८२

२१६२ दिल्ली में मिर्जा गालिब का मकान ३४८२

२१६३ दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला ३४८२

२१६४ उपकरणों और औजारों का डिजाइन तैयार करने वाली संस्थायें . ३४८३

२१६५ भारत में विदेशी ३४८३

२१६६ सशस्त्र सेना में विदेशी . ३४८३–८५

२१६७ विदेश भेजे गये इंजीनियर . . . ३४८५

२१६८ हिमाचल प्रदेश में खाम्पा लोग ३४८५

२१६९ हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र . . ३४८५–८६

२१७० त्रिपुरा में हरिजन परिवार ३४८६

२१७१ दिल्ली में लोहे और इस्पात की चोर-बाजारी . . ३४८६

२१७२ राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात . ३४८७

२१७३ उत्तर प्रदेश में खांडसारी चीनी पर उत्पादन-शुल्क . . ३४८७

२१७४ पंजाब में भूतत्वीय सर्वेक्षण ३४८८

२१७५ कोक-कोयले का उत्पादन . . ३४८८–८९

२१७६ पिछड़े वर्गों के लिये कल्याण योजनायें . . . ३४८९

२१७७ शिमला से महालेखापाल के कार्यालय का चंडीगढ़ ले जाया जाना ३४८९

२१७८ मध्य प्रदेश में अफीम का तस्कर-व्यापार . . . ३४८९–९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१७९	रूसी नृत्य और संगीत में प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां .	३४९०
२१८०	खुली नाट्यशाला	३४९०–९१
२१८१	मलयालम अखबार को विदेशी सहायता . . .	३४९१
२१८२	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में प्रशासन क्षमता सम्बन्धी समिति	३४९१
२१८३	कठपुतली का तमाशा	३४९१
२१८४	भारत में अफगान राष्ट्रजन	३४९२
२१८५	अन्डमान में भूमि का अलाट किया जाना . . .	३४९२
२१८६	मद्रास और मैसूर को कच्चे लोहे का सम्भरण . .	३४९२–९३
२१८७	बुलन्दशहर में पुरातत्व अवशेष	३४९३
२१८८	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् . . .	३४९३
२१८९	हिमाचल प्रदेश प्रशासन	३४९३–९४
२१९०	उच्च शिक्षा हेतु अन्य राज्यों तथा विदेशों में भेजे गये हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी	३४९४
२१९१	हिमाचल प्रदेश में स्कूल . . .	३४९४–९५
२१९२	ब्रिटेन द्वारा भारत को दिये गये ऋण . .	३४९५
२१९३	ब्रिटेन द्वारा भारत को प्रविधिक सहायता . . .	३४९५
२१९४	नागरी प्रचारणी सभा धर्मस्व- न्यास . . .	३४९६
२१९५	मुस्लिम पुरालेख विद्या के अधीक्षक का कार्यालय . .	३४९६
२१९६	कलकत्ता में खोपरा और सुपारी की बिक्री . .	३४९६–९७
२१९७	अण्डमान में तकावी ऋण	३४९७
२१९८	अण्डमान द्वीप समूह	३४९७–९८
२१९९	अण्डमान से खोपरा और सुपारी का निर्यात . .	३४९८
२२००	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन . . .	३४९८–९९
२२०१	दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता की कथित पिटाई . .	३४९९
२२०२	भारत में चीनी राष्ट्रजन	३४९९
२२०३	सोवियत रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात . .	३४९९–३५००
२२०४	कालकाजी में झुग्गियों में रहने वालों के लिये जमीन . .	३५००
२२०५	पाकिस्तान को इस्पात के टुकड़ों का निर्यात . .	३५०१
२२०६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	३५०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२२०७ भूतपूर्व सैनिक ३५०२
२२०८ हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम . ३५०२
२२०९ पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट ३५०२–०३
२२१० स्कूल विद्यार्थियों का अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा-सम्मेलन . . ३५०३
२२११ सरकारी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता . . ३५०३
२२१२ बहरों के लिये चित्रकारी का स्कूल . . . ३५०४
२२१३ हिन्दी असिस्टेंट . . . ३५०४
२२१४ हिन्दी असिस्टेंट ३५०४–०५
२२१५ असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा . . . ३५०५
२२१६ विदेशी बैंकों में जमा धन . . . ३५०५
२२१७ हरिजन उपजातियों की गणना ३५०६
२२१८ मद्रास के लिये लोहे की चादरों की मांग और सप्लाई . . ३५०६
२२१९ मद्रास को इस्पात का अलाटमेंट . . . ३५०७
२२२० त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी . . . ३५०७
२२२१ त्रिपुरा में विस्थापित बंगाली ३५०८
२२२२ विदेशों में लेखे ३५०८
२२२३ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल . . ३५०९
२२२४ असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट परीक्षा ३५१०
२२२५ भारतीय एवरेस्ट अभियान दल की रिपोर्ट . . . ३५१०
२२२६ दिल्ली में शिक्षा समस्याओं सम्बन्धी कार्यकारी दल . . ३५११
२२२७ तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क . . ३५११
२२२८ देशी तम्बाकू ३५१२
२२२९ अफीम की खेती ३५१२
२२३० रोम ओलिम्पिक के लिये भारतीय दल . . . ३५१२
२२३१ पोटाशियम साइनाइट का अनधिकृत व्यापार . ३५१३
२२३२ हिन्दी असिस्टेंट . . . ३५१३
२२३३ हिन्दी असिस्टेंट ३५१३–१४
२२३४ सरकार और सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति . . . ३५१४

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
२२३५	आसाम से शरणार्थी . . .	३५१४–१५
२२३६	हिमाचल प्रदेश में लोहे की कच्ची धातु .	३५१५
२२३७	दिल्ली का लाल किला	३५१६
२२३८	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां .	३५१६
२२३९	विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी .	३५१६–१७
२२४०	नई दिल्ली में दृश्य-श्रव्य शिक्षा	३५१७
२२४१	हिमाचल प्रदेश में कालिज शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां . .	३५१७
२२४२	पटेल दस्तकारी तथा हाई स्कूल, सराय रोहिल्ला, दिल्ली .	३५१७–१८
२२४३	दिल्ली पालीटेक्नीक में इंजीनियरी के विद्यार्थी .	३५१८–१९
२२४४	दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक .	३५१९
२२४५	नागा विद्रोही	३५१९–२०
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५२१–२२
	(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—	
	(एक) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवा-निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ९४५ ।	
	(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक, २७ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ९८० और ९८१ ।	
	(२) दिनांक ६ सितम्बर, १९६० के संकल्प संख्या ए० ई० एण्ड १(९०)/६० की एक प्रति जिस में मोटर उद्योग के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई तदर्थ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णय दिये हुए हैं ।	
	अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३५२२
	श्रीमती इला पालचौधरी ने दिल्ली और उस के आस-पास के अन्य क्षेत्रों में २७ अगस्त, १९६० की रात को आये भूकम्प के कारण होने वाली क्षति की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
	गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	

विषय **पृष्ठ**

विधेयक पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० ।

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

विधेयक—पारित . . . . ३५२५—५३

(१) औषधि (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(३) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ३५५३—५६

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घण्टे की चर्चा . . . . ३५५७—६३

श्री अ० मु० तारिक ने दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १६३ के ५ अगस्त १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियों के बारे में घोषणा . . ३५६३

अध्यक्ष महोदय ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने के लिये पांच समितियां बनाये जाने की घोषणा की ।

बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०/१६ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर विचार और उस का पारित किया जाना और उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1115 (Ai) LSD—8-10-60—135